पंचम माला, खंड 37, अंक 22, गुरुवार, 21 मार्च, 1974/30 फाल्गुन, 1895(शक)

Fifth Series, Vol. XXXVII, No. 22, Thursday, March 21, 1974/Phalguna 30, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 37 में अंक 21 से 30 तक है
Vol. XXXVII contains Nos. 21 to 30]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य । दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a Summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 22, गुरुवार, 21 मार्च, 1974/30 फाल्गुन, 1895 (शक)

No. 22, Thursday, March 21, 1974/Phalguna 30, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
निधन संबंधी उल्लेख	OBITUARY REFERENCE	
ता० प्र० संख्या S.Q.No.		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
384 'टिस्को' द्वारा विस्तार के लिये उपकरणों का आयात	Import of Equipment for Expansion by TISCO	2
385 महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में बसाये गये भूतपूर्व पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की दुर्दशा	Condition of Displaced persons of former East Bengal settled in Maharashtra, Rajasthan and U.P.	4
387 प्रादेशिक सेना को लोकप्रिय बनाने के लिये की गई कार्यवाही	Steps to popularise Territorial Army	8
389 मजूरी संबंधी विवादों में अनिवार्य मध्यस्थता	Compulsory arbitration in Wage Disputes	12
390 जीपों और ट्रकों के निर्माण की अधिष्ठापित क्षमता तथा उनका वास्तविक उत्पादन और उनकी बिक्री	Installed Capacity, Production and sale of jeeps and Trucks	14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
386 दिल्ली में चेचक के फैलने का खतरा	Small Pox Menace in Delhi	16
388 हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कंपनी (हिंडाल्को) में एल्यूमीनियम का उत्पादन	Aluminium Production in Hindalco	17
391 वायु सेना संग्रहालय, नई दिल्ली से मशीनगन शैलों की चोरी	Theft of Machine Gun Shells from Air Force Museum, New Delhi	17
392 नये गर्भ-निरोधक 'वोल्व' का विकास	Development of a New Birth Control Valve	18
393 कर्नाटक में चाय बागानों की और कर्मचारी भविष्य निधि की वकाया राशि	E.P.F. Arrears against Tea Plantations in Karnataka	18

किसी नाम पर अंकित † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
394	दंडकारण्य परियोजना में श्रमिकों को दी जाने वाली दैनिक मजूरी	Daily Wages paid to workers in Dandakaranya Project .	19
395	औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों को अत्यावश्यक वस्तुओं का संभरण	Supply of Essential Commodities to Workers in Industrial Centres . . .	19
396	कृषि श्रमिकों का कल्याण	Welfare of Agricultural Labour	19
397	पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात का उत्पादन	Steel Production during Fifth Plan	20
398	विदेशों में राजदूतों/उच्चायुक्तों की नियुक्ति की शर्तें	Conditions for Appointment of Ambassadors/High Commissioners Abroad	20
399	देश में रक्त एकत्रित करने की व्यवस्था की जांच करने के लिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Health Ministers to examine Blood Collection in country .	20
400	धातुकर्मीय कोयले का निक्षेप	Reserve of Metallurgical Coal	21
401	पाकिस्तान द्वारा रावी नदी के पार बांध और सड़क का निर्माण	Construction of Dam and Road across River Ravi by Pakistan . . .	21
402	भिलाई में स्लैग सीमेंट कारखाना	Slag cement factory at Bhilai	22
403	श्रमिक विवादों में भारत रक्षा नियमों का प्रयोग	Use of DIR in Labour disputes .	22
अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.			
3979	बालाघाट जिले में तांबा-खनन में सोवियत संघ की रुचि	Soviet interest in copper mining in Balaghat District	23
3980	दिल्ली में सेशन तथा उच्च न्यायालय में खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम के अंतर्गत संचालित खाद्य अपमिश्रण के मामले	Food Adulteration Cases conducted in Sessions and High Court in Delhi under Prevention of Food Adulteration Act	23
3981	गत तीन वर्षों में उर्वरकों का आयात	Import of fertilisers during last Three Years	24
3982	लघु अद्योग विकास आयुक्त द्वारा ई० सी० ग्रेड के एल्यूमिनियम की मांग	Demand of EC Grade Aluminium by Development Commissioner, Small Scale Industries	25
3983	मोती नगर स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय का स्थानान्तरण	Shifting of Moti Nagar CGHS Dispensary.	25

अता० प्र० संख्या U.S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3984	मध्य प्रदेश की खानों के मुहानों पर कोयले का स्टाक	Coal Stocks at Pitheads of Madhya Pradesh Coal Mines	26
3985	रक्षा मंत्रालय में कर्मचारी	Staff of Defence Ministry .	26
3986	इस्लामी सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों से भारतीय उप-महाद्वीप के संबंध में मामले न उठाने का अनुरोध	Request to Participants of Islamic Conference not to raise issues regarding Indian Sub-continent	26
3988	कलामासरी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में कर्मचारी और उनके वेतनमान	Employees in HMT at Kalamassery and their Pay Scales . . .	26
3989	सेन्ट्रल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट फार इंस्ट्रक्टर्स, मद्रास के कर्मचारियों द्वारा गृह निर्माण ऋण के लिये आवेदन-पत्र	Applications for House Building Advances from Staff of Central Training Institute for Instructors, Madras	27
3990	प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रावास अधीक्षक	Hostel Superintendents in Training Institutes	27
3991	नई राष्ट्रीय मजूरी नीति	New National Wages Policy .	28
3993	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयातों का प्रस्तावित केन्द्रीयकरण	Proposed Centralisation of Imports through MMTC	28
3994	दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की उन्हें 'वर्कमेन' मानने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने की मांग	Delhi University Karamchari Union demand for Amendment of Industrial Disputes Act to include them as Workmen	29
3995	महाराष्ट्र के औद्योगिक कारखानों में कच्चे माल और मोटरों के अतिरिक्त पुर्जों की कमी	Shortage of Spare Motor Parts and Raw Materials in Industrial Units in Maharashtra . . .	29
3996	सरकारी उपक्रमों को हुए लाभ	Profits made by Public Sector Undertakings	29
3997	केन्द्रीय सरकार के एक दल द्वारा, 'इस्पात संकट' का घटना-स्थल पर अध्ययन	On the spot Study by Union Government Team of Steel Crisis	31
3998	बहु-राष्ट्रीय निगम के बारे में राष्ट्र संघ के दल की रिपोर्ट	Report by U.N. Group on Multinational Corporation	32
3999	वास्तविक उपभोक्ताओं की आयात हकदारियों के मूल्य में वृद्धि	Enhancement in value of Import Entitlements of Actual Users	32

अता० प्र० संख्या U.S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
4000	लोहे और तांबे की छीलन का पुनः उपयोग	Recycling of Iron and Copper Scrap	32
4001	सोने तथा चांदी समेत कच्ची धातुओं के मूल्यों का निर्धारण	Fixation of prices of Raw metals including Gold and Silver	33
4002	तेहरान को गये भारतीय प्रतिनिधि मंडल पर खर्च	Expenditure on Indian Delegation to Tehran . . .	33
4003	पोनेरु सिंचाई और पुनर्वास योजना के अन्तर्गत माना केम्प के कृषक परिवारों का पुनर्वास	Rehabilitation of Agricultural Families from Mana Camp under Poteru Irrigation-cum-Resettlement Scheme . .	33
4004	मिलावटी वनस्पति घी और खाद्य तेलों की बिक्री	Sale of adulterated Vegetable ghee and edible oils . . .	34
4005	पाउडर के रूप में उपलब्ध मिलावटी वस्तुएं	Adulterated Commodities available in form of Powder . . .	34
4006	मिलावटी तथा घटिया औषधियों का उत्पादन	Manufacturing of Adulterated and substandard drugs	35
4007	मार्टिन बर्न संगठन को नियंत्रण में लेना	Take over of Martin Burn Organisation .	35
4008	कोचीन पत्तन के हड़ताली श्रमिकों की मांग	Demands of workers who went on strike in Cochin Port	35
4009	दिल्ली पुलिस द्वारा नर्सों का घेराव और उन्हें पीटा जाना	Nurses gheraoed and beaten up by Delhi Police	36
4010	'अपोलो' स्कूटर के लिये अग्रिम जमा राशि के बारे में भरतपुर स्थित प्रजा सहकारी उद्योग की जांच	Enquiry into Praja Sahkari Udyog Bharatpur regarding advance deposit for Apollo Scooters	36
4011	पंजाब में भारी औद्योगिक कारखाने	Heavy Industrial Units in Punjab	36
4012	लघु क्षेत्र को ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम का आवंटन	Allotment of E.C. grade aluminium to small scale sector	37
4014	केरल में छपाई एवं कागज कटाई की मशीनों का कारखाना आरम्भ करने के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र	HMT application for licence to start printing and paper cutting machine factory in Kerala . . .	38

प्रता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4015	दानापुर छावनी में टाउन हाल और पुस्तकालय का प्रस्ताव	Proposal for Town Hall and Library in Danapur Cantonment	38
4016	सीमेंट संयंत्रों के लिये मशीनों और उपकरणों के उत्पादन के लिए सहयोग पर प्रतिबन्ध	Ban on collaboration for manufacture of machinery and equipment for Cement plants	38
4017	आल इंडिया प्रोविडेन्ट फंड एम्प्लाईज फैडरेशन को मान्यता दिया जाना	Recognition of All India Provident Fund Employees Federation	39
4019	मिस्र के राष्ट्रपति का दौरा	Visit by President of Egypt	39
4020	सलेम इस्पात परियोजना पर परिव्यय में कटौती	Cut in Outlay on Salem Steel Project	39
4022	खाद्य पदार्थों और दवाइयों में मिलावट के मामले	Food and Drug adulteration cases	40
4023	लाहौर में इस्लामी देशों के सम्मेलन में किये गये निर्णय	Decisions taken at Lahore Islamic Conference	40
4024	स्वास्थ्य के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता	W.H.O. assistance for Health	40
4025	रक्षा उत्पादन एककों तथा आयुध कारखानों द्वारा 'एशिया-72' में हिस्सा लिया जाना	Participation in Asia 72 by Defence Production Units and Ordnance Factories	41
4026	कोयले के भाव निर्धारित करने के आधार	Criteria for fixation of coal rates	42
4028	फ्रांस के सहयोग से युद्धपोत बनाने का प्रस्ताव	Proposal for manufacture of warships with French Collaboration	42
4029	मध्य प्रदेश में नकली और घटिया किस्म की औषधियों की बिक्री	Sale of Spurious and sub-standard Drugs in Madhya Pradesh	42
4030	कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय बंद पड़ी कोयला खानें	Mines lying closed at the Time of Nationalisation of coal Mines	42
4031	जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में श्रम न्यायालय	Labour courts in Jammu and Kashmir, Haryana, Himachal Pradesh and Punjab	43
4032	हिमाचल वूलन मिल्स, अमृतसर के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा के लाभों की अदायगी	Payment of ESI benefits to Employees in Himalaya Woollen Mills, Amritsar	43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4033 केरल में चाय बागानों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशियां	EPF dues from Tea Plantations in Kerala	44
4034 पुलिस और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा पकड़ी गयी नकली अनलजिन और प्रीडनोसोलन	Spurious Analgin and Prednosolon seized by Police and officers of Directorate of Health Services .	44
4035 जबलपुर के आयुध कारखाने के प्रशासनिक नियंत्रण को भारी उद्योग मंत्रालय को सौंपना	Transfer of Jabalpur Ordnance Factory to Heavy Industry	44
4036 चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में तमिलनाडु में भारी उद्योग का सर्वेक्षण	Survey of Heavy Industries in Tamil Nadu during the Fourth Plan Period .	45
4037 मध्य प्रदेश में सैनिक भर्ती कार्यालय और प्रशिक्षण केन्द्र	Military Recruiting offices and training centres in Madhya Pradesh . .	46
4038 मौलाना आजाद कालेज, दिल्ली के प्लास्टिक यूनिट को मान्यता देना	Recognition of plastic Unit of Maulana Azad College, Delhi . . .	46
4039 केबल निर्माता एककों के लिये एल्यूमिनयम का आयात	Import of Aluminium for Cable Manufacturing units	46
4040 तटस्थ देशों की एकता के विरुद्ध विश्व की बड़ी शक्तियों की कथित कार्यवाही	Alleged move by world powers against unity of non-aligned countries . .	47
4041 कोयला खान प्राधिकरण में सरकारी अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति	Reappointment of Govt. officials in coal Mines Authority	47
4042 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में इंजीनियरिंग संवर्ग में अनर्ह कार्यकारी अभियंता	Unqualified Executive Engineers in Engineering Cadre of HEC Ranchi . .	47
4043 सशस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की भर्ती	Recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in armed forces .	48
4044 नशे वाली तथा अन्य औषधियों के प्रयोग में वृद्धि	Increase in use of narcotics and other drugs	48
4045 भारत और आस्ट्रेलिया के बीच वार्ता	Talks between India and Australia	49

अता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4046	रानीगंज खान क्षेत्र के श्रमिकों से प्राप्त ज्ञापन	Memo from workers of Raniganj Mine area . . .	49
4047	बोकारो में कच्चे लोहे का उत्पादन	Production of Pig Iron at Bokaro .	50
4048	फार्मेस्युटिकल कम्पनियों द्वारा रजिस्टर्ड नामों का बदला जाना	Changing registered titles by Pharmaceutical Companies .	50
4049	ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की भारतीय पद्धति को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of Indian system of medicines in rural areas . . .	50
4050	श्रमिक असंतोष के कारण एककों को हुई क्षति	Units Hit by Labour Unrest .	51
4051	कानपुर में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा सफेद रोगन का विकास	Development of white Plant by Defence Research Labouratory at Kanpur .	52
4052	परिवार नियोजन के लिए धनराशि दियां जाना	Grant for Family Planning	52
4053	कृषि उद्देश्यों के लिए इस्पात	Steel for Agricultural Purposes	53
4054	चेचक के उन्मूलन पर किया गया व्यय	Amount incurred on Eradication of Small Pox . .	53
4055	मालापुरम अपहिल गोलावारी रेंज की जगह	Location of Malappuram Uphill Firing Range	53
4056	ध्वज दिवस पर एकत्र की गई राशि में कमी होना	Decline in Flag Day Collections .	54
4057	भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच व्यक्तियों की स्वदेश वापसी	Repatriation between India, Pakistan and Bangaladesh	54
4058	बैंकों और कोयला खानों के राष्ट्रीय करण के परिणामस्वरूप औद्योगिक विवादों में कमी	Decrease in Industrial Disputes due to Nationalisation of Banks and Coal mine	54
4059	कोयला खान प्राधिकरण के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा ज्ञापन	Memo from President, Employees Union of Coal Mines Authority .	55
4060	गत तीन वर्षों के दौरान भारत लौटने वाले भारत मूलक लोगों की संख्या	Persons of Indian Origin repatriated during last three years	55
4061	बीड़ी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मंजूरी का क्रियान्वयन	Implementation of Minimum Wages for Bidi Workers	56

अता० प्र० संख्या U.S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4062	इस्पात संयंत्र की समस्यायें	Problems of Steel Plants	57
4063	राजेन्द्र टी० बी० अस्पताल, नई दिल्ली में पकड़ी गई नकली दवाएं	Spurious. Drugs Seized from Rajendra T.B. Hospital, New Delhi . .	57
4064	विदर्भ, महाराष्ट्र के खनिज निक्षेपों का उपयोग	Exploitation of Mineral Deposits in Vidarbha, Maharashtra . .	58
4065	सरकारी कोटे में स्कूटर लेने वाले व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची और पांचवीं योजना के लिए लक्ष्य	Persons on waiting list for allotment of Scooters from Government quota and target for fifth Plan	58
4066	भारतीय तांबा कम्प्लेक्स द्वारा की गई प्रगति	Progress of Indian Copper Complex	59
4067	एल्यूमिनियम उद्योग की प्रगति के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	Tariff Commission Report on Progress of Aluminium Industry . .	61
4068	दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण के मामलों में वृद्धि	Increase in Food Adulteration cases in Delhi	61
4069	विदेशों या विदेशी कम्पनियों के सहयोग से कार्य कर रहे उत्पादन-एकक	Production Units working in collaboration with Foreign countries of firms .	62
4070	कोयले के मूल्य	Prices of Coal	62
4071	भारत कोकिंग कोल प्राधिकरण द्वारा बिचौलियों की नियुक्ति	Middlemen appointed by Bharat Coking Coal Authority	63
4072	पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Journalists	63
4073	सरकारी अस्पतालों से नकली दवाओं का पकड़ा जाना	Spurious Drugs seized from Government Hospitals	63
4074	स्पेन के राजकुमार तथा राजकुमारी द्वारा फरवरी, 1974 में भारत का दौरा	Visit by Prince and Princess of Spain in February, 1974. . . .	63
4075	गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें	Basic Health Services for People living in Slum Areas	64
4076	बोनस पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन	Report of Bonus Review Committee .	64
4077	पूना में सेवा-निवृत सैनिक अधिकारियों के लिए बहु-प्रयोजनीय सहकारी समिति	Multi-service co-operative Society in Poona for retired Army Officers	65

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4078	खानों में राष्ट्रीयकरण से पहले और बाद में हुई दुर्घटनाएं	Accidents in Mines before and after Nationalisation	65
4079	कोयले के भंडार	Reserve of Coal	65
4080	पटसन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strikes by Jute Workers	66
4081	पश्चिम बंगाल के ग्रामीण अस्पताल को सहायता	Assistance to Rural Hospitals of West Bengal	67
4082	इस्पात के व्यापार और उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Trading and Movement of Steel	67
4083	सरकारी कोटे से लम्ब्रेटा स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Lambretta Scooters from Government Quota	67
4084	भारतीय नौसेना में पनडुब्बी-विनाशक अस्त्र (एन्टी सबमैरीन)	Anti submarines in Indian Navy	68
4085	इस्पात का दुरुपयोग	Misuse of Steel	68
4086	दिसम्बर, 1973 में श्रमिक अशांति से प्रभावित एकक	Units hit by Labour unrest in December, 1973	69
4087	दिल्ली में नकली दवाइयों का पकड़ा जाना	Seizure of Spurious Drugs in Delhi	70
4088	बख्तरबंद गाड़ियों के उत्पादन में वृद्धि की योजना	Scheme to increase production of Armoured Vehicles	70
4089	कोयला खान प्राधिकरण द्वारा डिब्बा लदान	Rake loading by Coal Mines Authority	70
4090	रेलवे में श्रम-दिवसों की हानि	Man days lost in Railways	71
4091	ईरान द्वारा हथियारों का जमा किया जाना तथा उन्हें पाकिस्तान भेजा जाना	Arms build up by Iran and their transfer to Pakistan	71
4092	पटसन मिल मजदूरों की मजूरी	Wages of Jute Mill Workers	71
4093	चाय बागान श्रमिक	Tea Plantation Workers	72
4094	पश्चिम बंगाल में इस्पात निर्माताओं के लाइसेंस निलंबित करना	Suspension of licences for Steel Manufacturers in West Bengal	72
4096	मिश्र के राष्ट्रपति के साथ पश्चिम एशिया संकट के संबंध में वार्ता	Talks with President of Egypt on West Asian crisis	72
4097	तेल संकट के बारे में मिश्र के राष्ट्रपति के साथ बातचीत	Talks with President of Egypt on oil Crisis	73

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृ० PAGE
4098	वर्ष 1973-74 के दौरान राज्यों में खाद्य में मिलावट के मामले	Food Adulteration Cases in States during 1973-74	73
4099	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में केरल राज्य को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाएं	Medical Facilities to Kerala State during 1st Year of Fifth Plan .	73
4100	दिल्ली में विक्रेताओं द्वारा लम्ब्रेटा स्कूटरों के मूल्य में वृद्धि करना और अधिमूल्य पर इनकी बिक्री	Increase in prices of Lambretta Scooters and their sale on Premium by Dealers in Delhi . . .	74
4101	कोयले के खुदरा विक्रय में कथित गोलमाल	Alleged Bungling in Retail Sale of Coal .	74
4102	50 करोड़ रुपये और इससे अधिक के पूंजी निदेश वाले उद्योग	Industries with Capital Investment of Rs. 50 crores and More . . .	75
4103	खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध केन्द्रीय नागरिक परिषद् द्वारा आरंभ किया गया अभियान	Drive Launched by Central Citizens Council against Adulteration in Food Stuffs	75
4104	पोन्डा (गोआ) के निकट फार्मागुंडी स्थान पर नौसैनिक हैलीकोप्टर की दुर्घटना	Crash of Naval Helicopter at Farmagundi near Ponda (Goa)	76
4105	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और इसके कर्मचारियों के बीच विवाद की वे बातें जिन पर समझौता नहीं हुआ	Unsettled Points of Dispute between EPFO and its Employees . . .	76
4106	कलामासरी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल यूनिट के कर्मचारियों के बीच वेतनमान में असमानता	Disparity in pay scales of Employees in HMT at Kalamassery . . .	77
4107	पटपड़गंज औषधालय के विभागाध्यक्ष द्वारा चिकित्सा सुविधायें देने से इन्कार करना	Denial of Medical Facilities by Head of Deptt. of Patparganj Dispensary .	77
4108	यमुना पार क्षेत्र से मिली शिकायतें	Complaints Received from Trans-Jamuna Area	77
4109	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों में लापरवाही	Carelessness in CGHS Dispensaries	78
4110	प्राकृतिक उपचार के लिए प्रशिक्षण हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता देना	Financial Assistance o States for Training in Nature Cure	78

अता० प्र० संख्या U.S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4111	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को खानों पर लागू करना	Application of EPF Act to Mines .	78
4112	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों की और कोयला खान भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of Coal Mines, Provident Fund of Nationalised Coal Mines .	80
4113	बिहार में अभ्रक खानों में श्रमिक कानूनों का पालन न किया जाना	Non-Implementation of Labour Laws in Mica Mines in Bihar . . .	80
4114	बेलाडीला परियोजना में लोहे का उत्पादन	Iron Production in Bailadila Project .	81
4115	पश्चिम त्रिपुरा जिले के फटिक-चारा क्षेत्रों के कृषकों को मुआवजे की अदायगी	Payment of Compensation to Agriculturi-sts of Fatikchara Areas of West Tripura District	82
4116	सेल्फ प्रोपेल्ड कम्बाइन्ड हारवेस्टर्स	Self propelled combined Harvesters	82
4117	विदेशों से स्वदेश वापिस लौटे व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Repatriates from Fore-ign Countries	83
4118	इस्पात की कीमतों में वृद्धि	Increase in Prices of Steel	83
4119	भारतीय एल्यूमिनियम निगम का अधिग्रहण	Take over of Aluminium Corporation of India	83
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	84
	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	Committee on Public Undertakings	85
	48वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	Forty eighth Report—presented	85
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	85
	39वां प्रतिवेदन--स्वीकृत	Thirty ninth Report—Adopted	85
	बिहार की स्थिति के बारे में चर्चा	Discussion re. Situation in Bihar .	86
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	86
	श्री ए० पी० शर्मा	Shri A. P. Sharma	87
	श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha .	89
	श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	89
	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri G. P. Yadav	90
	श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur .	91
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	91
	श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra . .	92
	श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	93
	श्री सुरेन्द्र महंती	Shri Surendra Mohanty	93

अता० प्र० संख्या U. S. O. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन		Shri K.P. Unnikrishnan	95
श्री आर० वी० उलगनम्बी		Shri R.V. Ulaganambi	96
श्री जगन्नाथ मिश्र		Shri Jagannath Mishra .	97
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह		Shri Ramshekhar Prasad Singh .	97
श्री पी० के० देव		Shri P.K. Deo . .	97
श्री आर० पी० यादव		Shri R.P. Yadav . . .	98
श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान		Shri Md. Jamilurrahman . .	99
श्री पी० जी० मावलंकर		Shri P.G. Mavalankar .	99
श्री कार्तिक उरांव		Shri Kartik Oraon .	100
श्री तुलमोहन राम		Shri Tulmohan Ram	101
श्री राम देव सिंह		Shri Ram Deo Singh	101
श्री भोला राउत		Shri Bhola Raut .	101
श्री एन० पी० यादव		Shri N.P. Yadav .	101
श्री रामावतार शास्त्री		Shri Ramavatar Shastri	101
श्री चिरंजीव झा		Shri Chiranjib Jha .	102
श्री यमुना प्रसाद मंडल		Shri Yamuna Prasad Mandal	102
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी		Sardar Swaran Singh Sokhi.	102
श्री समर गुह		Shri Samar Guha . .	102
श्री उमाशंकर दीक्षित		Shri Uma Shanker Dikshit	103

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 21 मार्च, 1974/30 फाल्गुन, 1895 (शक)
Thursday March, 21, 1974/Phalguna 30, 1895(Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at Three Minutes past Eleven of the Clock

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]**

निधन संबंधी उल्लेख
Obituary Reference

अध्यक्ष महोदय: जैसा कि आपको पता है हमें कल बताया गया था कि हमारी प्रेस दीर्घा के पी०टी०आई० सदस्य श्री के० सुब्रह्मण्यम दिल के दौरे से हठात बीमार हो गये थे और अस्पताल पहुंचते ही उनका स्वर्गवास हो गया। वह प्रैस दीर्घा के बहुत पुराने सदस्यों में से थे और उन्होंने अपने व्यवसाय में बहुत ख्याति प्राप्त की और ईमानदारी, योग्यता और शालीनता से कार्य किया। सदस्यगण जानते हैं कि हम ऐसे उल्लेख केवल सदस्यों के बारे में ही करते हैं परन्तु मैं प्रेस को भी संसद् का ही अंग मानता रहा हूं क्योंकि प्रेस के बिना लोकतंत्र ठीक से कार्य नहीं कर सकता। अतः हमें उनके प्रति पर्याप्त सम्मान प्रदर्शित करना चाहिये। साथ ही वह बीमार होते समय दीर्घा में बैठे हुए थे। अतः अन्य किसी बात पर ध्यान दिए बिना मैंने उनका उल्लेख करना उचित समझा। उनके निधन से हम अपने एक अच्छे योग्य मित्र और काफी समय से दीर्घा में बैठने वाले व्यक्ति से वंचित हो गए हैं। हमें उनकी अनुपस्थिति खटकगी ।

आपकी अनुमति से मैं सदस्यों की संवेदना उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा।

अब हम शोक प्रकट करने के लिए कुछ देर मौन खड़े होंगे।

(तत् पश्चात् सदस्यगण कुछ समय के लिए मौन खड़े रहे)

(The Members then stood in silence for a short while)

अध्यक्ष महोदय : आपको याद होगा कि मैंने समय पर चिकित्सा सहायता उन्हें न मिलने की बात पता चलने पर जांच कराने का वचन दिया था।

मैंने महासचिव को जांच करने को कहा था और वास्तविक घटना के बारे में मैं स्वयं सम्पर्क बनाए हुए था। मध्याह्न पश्चात् मंत्री महोदय ने मुझे बताया था कि वह डाक्टर को निलम्बित करना चाहते हैं और उन्होंने ऐसा कर भी दिया था। की गई जांच के बारे में मैं आपको सूचित कर ही दूं।

लेडी डाक्टर को टेलीफोन से सूचना मिली और रोगी को देखभाल के लिए कम्पांउडर को कहा गया और जब डाक्टर को बताया गया उस समय वह 4-5 सदस्यों को देख रहे थे। तथ्य यही है जिनका आधार सुरक्षा अधिकारी और डाक्टर के बयान हैं।

अतः जब डाक्टर को निलम्बित किया गया, तो मैंने समझा कि मंत्री महोदय ने स्वयं वहां जाकर जांच की है पता नहीं उन्होंने ऐसा किया है या नहीं, परन्तु मेरी जानकारी में जो तथ्य आये हैं उन्हें मैंने बता दिया है। मैं यह बातें मंत्री महोदय को भोजन-काल में बता दूंगा।

हम आवेश में कोई कार्यवाही नहीं चाहते जब तक कि उनकी जांच न हो जाए। इसीलिये मैंने कल की घटनाओं की जांच के परिणाम की सूचना मंत्री महोदय को दे दूंगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Import of Equipment for Expansion by TISCO

*384. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) wheher the **TISCO** management has prepared a scheme for its expansion;

(b) if so, the features thereof;

(c) whether **TISCO** plans importing from abroad necessary machinery required for the expansion of their company instead of depending on the Heavy Engineering Corpor tion, Ranchi; and

(d) if so, Government's reaction thereto?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। 'टिस्को' ने सरकार को अनुमति से जमशेदपुर स्थित इस्पात कारखाने की 20 लाख टन पिण्ड की वर्तमान क्षमता को 40 लाख टन पिण्ड अथवा इससे अधिक करने तथा इसे अधिकाधिक मितव्ययी ढंग से तथा शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के लिए जापान के निप्पन स्टील कारपोरेशन द्वारा शक्यता अध्ययन करवा रही है। शक्यता अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ग) शक्यता अध्ययन के प्राप्त होने, उस पर विचार किये जाने तथा विस्तार संबन्धी प्रश्न पर निर्णय लिये जाने के बाद ही मशीनों की प्राप्ति का प्रश्न आयेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Ramavatar Shastri: Sir, Nippon Steel Corporation of Japan has been entrusted with the task of undertaking feasibility study for increasing the capacity from 2 to 4 million in respect of Steel Plant at Jamshedpur. So, I want to know whether such arrangement could not be made within the country? If so, why such arrangement could not be made and why this job was entrusted to this Japanese Corporation.

Shri Sukhdev Prasad: As far as the Nippon Steel Co. is concerned, the feasibility study for Tata's expansion has been assigned to them. There are two such companies in India, *i.e.* Mackon and M.N. Dastur & Co. and they cannot undertake any fresh assignement because they are over-occupied with such jobs. Apart from this Japan has developed much in the new Steel technology and keeping this in view the Tatas fell that this job be assigned to them so that this new know-how will go into the preparation of such Report and their capacity would also increase and the Steel Plant would improve. That is why this job has been assigned to them. Also, the mutual relations of the two had been very good and Nippon Steel Co. was engaged by them previously. In view of the old association, they thought it proper to engage them.

Shri Ramavatar Shastri: In view of the fact that the question of expansion of capacity will arise after the receipt of Feasibility Report, I want to know whether TISCO will be asked to go in for indigenous machinery particularly manufactured by H.E.C. and import only those types which is not available in the country. Whether he is prepared to make such an announcement just now?

Shri Sukhdev Prasad : I fully agree with Shri Shastri that as far as indigenous machinery is concerned, our efforts would be to first make use of them and only such machinery is allowed to be imported as is not available in the country and is essential for the Plant. We contemplate importing such rare machinery only.

प्रो० मधु दण्डवते: क्या श्री टाटा ने, जो 'टिस्कों' के चेयरमैन हैं, यह घोषणा की है कि वह इस्पात क्षमता 800 करोड़ रुपये की लागत से 20 करोड़ टन तक बढ़ाना चाहते हैं और क्या इसमें से आधी पूंजी विदेशी मुद्रा के रूप में होगी ? क्या इतनी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करने देना ठीक होगा और क्या यह उत्पादन क्षमता टिस्को में ही बढ़ाई जाएगी या क्या इसके लिए पृथक कम्पनी बनेगी ?

Shri Sukhdev Prasad: Regarding spending 800 Crores in terms of foreign exchange, it is not so. According to the original proposal of the Tatas 350 crores was in foreign exchange out of total expenditure of Rs. 700 crores on the Plant.

प्रो० मधु दण्डवते: उन्होंने मेरे प्रश्न को ठीक से समझा नहीं है। मैंने पूछा था कि 800 करोड़ के कुल प्रस्तावित व्यय में से आधा विदेशी मुद्रा के रूप में होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के०डी० मालवीय) : विस्तार, विदेशी मुद्रा और मूल मशीनों के निर्माण या उनके आयात का प्रश्न मार्गदर्शक समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही विचाराधीन आएगा और सरकार का भरसक प्रयास रहता है कि विदेशी मुद्रा का अनावश्यक व्यय न हो और न ही विदेशों से ऐसी तकनीकी जानकारी उपलब्ध की जाए जो देश में ही उपलब्ध हो। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार उक्त समिति बना दी गई हैं जो संभाव्यता रिपोर्ट मिलने पर इन सभी बातों की देखरेख करेगी। इस प्रकार हम सभी प्रकार से यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी राशि व्यर्थ खर्च न हो और इस विस्तार योजना को किफायती आधार पर पूरा करने के लिए हम सभी संभव उपाय कर रहे हैं ।

श्री राम सहाय पांडे : मंत्री महोदय के अनुसार टिस्कों में विस्तार संभावनाओं का पता लगाने के लिए दो देशीय कंपनियां पहले ही व्यस्त हैं और लगता है कि वे आधुनिक प्रविधि से भी अवगत नहीं हैं । जापानी फर्म को यह काम सौंपने का यही कारण बताया गया है । क्या हमारी दोनों फर्में पुराने ढंग की हैं ?

Shri Sukhdev Prasad: It would be appreciated if he reports the Question.

Shri R. S. Pandey: He had just said that in view of TISCO'S expansion, production and capacity etc. the two indigenous firms are much pre-occupied and, therefore, have not been entrusted with this job. In view of cordial relation also the job was entrusted with the Japanese firm as also due to their modern technical know-how. So whether these Indian firms are very much backward as compared to this Japanese firm?

Shri Sukhdev Prasad: I had stated that they had good mutual relations, but the job was not entrusted due to this.

Secondly, there are no two opinions about the fact that Japan is much advanced in respect of steel making. That Company is more forward and therefore more beneficial than our companies, Mackon and Dastur in this field.

महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में बसाये गये भूतपूर्व पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की दुर्दशा

*385. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भूतपूर्व पूर्वी बंगाल के उन 100 से अधिक विस्थापित परिवारों की ओर दिलाया गया है जो रोजगार तथा बेहतर जीवन के लिये महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अपने पुनर्वास केन्द्रों से आये हैं ; और

(ख) क्या उनकी सहायता करने के उद्देश्य से दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली प्रशासन के साथ सलाह करके कोई ठोस योजना तैयार की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जी, हां। 16-3-1974 को 477 व्यक्तियों के 107 परिवार जैसलमेर भवन के इर्द-गिर्द तथा आस-पास के क्षेत्रों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं। ये विभिन्न स्थानों से, अधिकांशत: बिहार से आए हैं। इनमें से 67 परिवार पुनर्वास स्थलों और 13 परिवार राहत शिवरों से आए हैं। शेष 27 परिवारों के पूर्व पते सत्यापित नहीं हो सके हैं क्योंकि उनके पास भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने के बारे में कोई प्रमाण-पत्र नहीं हैं जो कि सामान्यतया भारत में प्रवेश करते समय सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं। उन्होंने भारत आने के बाद किसी भी राहत शिविर में प्रवेश नहीं चाहा था।

पुनर्वास विभाग के अनुरोध पर नई दिल्ली नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी इन अनधिवासियों के चिकित्सा उपचार तथा चेचक के टीके लगाने के लिए अपनी चल चिकित्सा गाड़ी को नियमित रूप से भेज रहे हैं। वे आवश्यक स्वास्थ्य संबन्धी उपाय भी अपना रहे हैं तथा पीने को स्वच्छ पानी दिया जा रहा है। बीमार पाए गए व्यक्तियों को विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया था। कुछ परिवारों को मंत्री जी को विवेक निधि से अनुदान भी दिए गए हैं जिनके सदस्य चेचक से प्रभावित हुए हैं और संक्रामक रोगों के अस्पताल में भर्ती किए गए हैं।

पुनर्वास विभाग इन परिवारों को अपने पुनर्वास स्थानों पर जाने के लिए सहमत करने के सभी प्रयत्न कर रहा है और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी वास्तविक कठिनाइयों तथा शिकायतों पर विचार किया जाएगा। विभाग ने बिहार सरकार से वहां बसाए गए प्रवासियों की समस्याओं की

जांच करने तथा उनकी उचित शिकायतों तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी लिखा है । भारत सरकार मूल पुनर्वास योजनाओं में की गई व्यवस्था के अनुसार और सहायता देने पर विचार कर सकती है यदि इस तरह की सहायता आवश्यक समझी जाती और इसकी सिफारिश बिहार सरकार द्वारा की जाती है ।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए वास्तविक विस्थापित व्यक्तियों के मामले में पुनर्वास विभाग ने उन्हें श्रमिक योजनाओं के अधीन तावा परियोजना, मध्य प्रदेश, में नहर-निर्माण के कार्य पर लगाने की भी पेशकश की है ।

1-1-1974 से 16-3-1974 तक की अवधि में 134 अनधिवासी परिवार चले गये है परन्तु इस समय अनधिवास करने वालों ने इस पेशकश को ठुकरा दिया है ।

पुनर्वास विभाग ने इनमें से उन परिवारों को हटाने की आवश्यकता के बारे में दिल्ली प्रशासन को भी लिखा है जो अपने पुनर्वास स्थलों या तावा परियोजना के क्षेत्रों में जाने से इंकार करते हैं, जहां कि उनके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त कदम उठाये जा सकते हैं । यदि वे अपने वर्तमान स्थान पर अनधिवास जारी रखते हैं तो ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकेगी।

श्री त्रिदिब चौधरी : श्रीमन्, ये 167 परिवार एक महीने से भी अधिक समय से मानसिंह रोड स्थित पुनर्वास विभाग के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें बसाने के लिये अभी तक कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाया गया है । मंत्री महोदय ने कहा है कि इनमें अधिकांश शरणार्थी बिहार के पुनर्वास राहत शिवरों से आये हैं और उन्होंने विहार सरकार को लिखा है कि वे विहार में बसे अप्रवासियों की शिकायतों पर ध्यान दें। क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि वे लोग, जिनके बारे में बताया गया था कि इन्हें बिहार पुनर्वास केन्द्रों/राहत शिवरों में भेज दिया गया है, जब पुनर्वास केन्द्रों पर गये तो उन्हें पुनर्वास शिवरों/पुनर्वास स्थानों के कार्यप्रभारी अधिकारियों ने बताया कि न तो भारत सरकार ने और न ही बिहार सरकार ने उनके लिये कोई योजना बनाई है और इन अधिकारियों ने ही इन लोगों को दिल्ली पहुंचने तथा पुनर्वास मंत्रालय पर जोर देने के लिये कहा ताकि पुनर्वास मंत्रालय बिहार सरकार की सहायता के लिये कुछ धनराशि मंजूर करे ? अब मंत्री महोदय कहते हैं कि एक साधारण सा पत्र लिखा गया है । परन्तु क्या मैं जान सकता हूं कि विशेषतया बिहार से आये लोगों की समस्या ही बिहार सरकार को क्यों नहीं सौंपी गयी और अब तक उनके लिये कोई प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : माननीय सदस्य ने जो यह बात कही है कि अधिकारियों ने उन्हें राहत पाने के लिये दिल्ली पहुंचने के लिये कहा ठीक नहीं है । यह ठीक नहीं है । जैसे ही ये परिवार यहां पहुंचे हमने अपने अधिकारियों को स्थिति का पता लगाने के लिये बिहार भेजा और इन लोगों को सहायता देने के लिये बिहार सरकार के परामर्श से सभी संभव कदम उठाये गये। अतः जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, जो परिवार पहले जत्थे में यहां आये थे, वापस चले गये हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : राष्ट्रपति शासन लागु होने से पहले ही समस्या का समाधान कर दिया जाना चाहिये ।

श्री आर० के० खाडिलकर : वर्तमान कठिनाइयों को देखते हुए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। कुछ अतिरिक्त मंजूरियां दी गई हैं। अधिकांश परिवार मछेरों के हैं। मछेरों के 14 परिवारों को सहकारी समिति के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव है और अब हमने और अनुदान मंजूर किये हैं। इन 14 परिवारों को पुरानी नौकाओं की मरम्मत करवाने नई नौकाएं खरीदने के लिये तथा नई लाइनें तथा जाल खरीदने के लिए 30,000 रुपये की राशि दी है। नदी तल से मछली पड़ने की दरें बढ़ गई हैं और उन्हें पूरा करने के लिये हमने व्यवस्था की है। अतः ये सभी कदम उचित जांच के पश्चात् उठाये गये हैं और उनमें से बहुत से वापस चले गये हैं।

श्री त्रिदिब चौधरी: उत्तर के अन्त में मंत्री महोदय ने बताया है कि पुनर्वास विभाग ने दिल्ली प्रशासन को लिखा है, संभवतया उन 27 परिवारों के बारे में जो बंगला देश संकट के समय भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये थे; मंत्रीमहोदय ने आगे बताया है कि सरकार ने शरणार्थियों को वापस भेजने अथवा उन्हें उस स्थान पर ले जाने जहां उनके स्वास्थ्य के लिये उपयुक्त कदम उठाये जा सके, के लिये दिल्ली प्रशासन को लिखा है। यह प्रश्न स्वास्थ्य का नहीं है, प्रश्न उनके पुनर्वास का है। क्या पुनर्वास मंत्रालय को इस बात का पता है कि दिल्ली प्रशासन को पुनर्वास तथा गंदी बस्ती हटाने की बाहय दिल्ली में कुछ योजनायें चल रही हैं जिनका लाभ प्राप्त करने का इन लोगों को भी अधिकार है, और यदि हां, तो क्या यह पता लगाने के लिये कि ये लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। विशेष रूप से दिल्ली प्रशासन से कोई पूछ ताछ की गई है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : हमने दिल्ली प्रशासन को सर्वप्रथम उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिये लिखा है क्यों कि बहुत से लोगों के चेचक निकल आई और उन स्थानों पर पड़ौस में रहने वाले लोगों को यह भय हो गया कि वह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक सिद्ध होगा। अतः इस संदर्भ में हमने दिल्ली प्रशासन से कहा और उन्होंने पूरी सावधानी बरती।

दूसरे, उनके सदैव चक्कर काटते रहने से आगे चलकर स्वास्थ्य संबन्धी कठिनाइयां तथा स्थानीय लोगों को असुविधायें हो सकती हैं। अतः हमने उनसे कहा है कि वे कुछ स्थान ढूंठ ले जहां उन्हें भेज दिया जाये। यह प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है यदि उन्हें दिल्ली के निकट कुछ स्थानों पर दिल्ली प्रशासन द्वारा बसा दिया जाता है तब समस्या की चिंता की जा सकती है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : शरणार्थियों की समस्या के बारे में प्रेस से गत एक वर्ष से यह समाचार प्राप्त हो रहा है कि सरकार और मंत्रालय यह समझते हैं कि शरणार्थियों को बसाने का प्रश्न समाप्त हो चुका है। क्या यह सच नहीं है कि कुछ वर्ष पूर्व अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की तरह शरणार्थियों को सरकारी सेवाओं, गैर सरकारी क्षेत्र की सेवाओं, विशिष्ट श्रेणियों के अतिरिक्त, में नियुक्तियों के मामले में प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई थी। क्या मंत्रालय का विचार है कि शरणार्थियों की समस्या का समाधान हो गया है और यदि नहीं, तो वे क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करने जा रहे हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त हमने किसी अन्य राज्य के बारे में भी यह नहीं सोचा है कि शरणार्थी समस्या का समाधान हो गया है। केवल पश्चिम बंगाल के मामले में, हाल ही की वृहत योजना तथा मुख्य मंत्री से बात-चीत करने के पश्चात् उत्तरदायित्व, वर्तमान मनोवैज्ञानिक धारणा को समाप्त करने और उनके समान्य जन जीवन तथा समाजिक ढांचे में प्रवेश करने के उद्देश्य

से, पश्चिम बंगाल सरकार को सौंप दिया गया है। जहां तक उनके रोजगार तथा भविष्य का संबन्ध है, पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त, उनको बसाने का दायित्व हमारा है और उनकी समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। उन्हें विभिन्न विकास परियोजनाओं में, स्कूलों में भेजा जा रहा है, उनके प्राथमिक प्रशिक्षण के लिये तकनीकी स्कूल खोले जा रहे हैं। जहां तक रोजगार में प्राथमिकता देने की बात है, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या पहले कभी ऐसी प्राथमिकता दी जाती थी। मैं इसकी जांच करूंगा और देखूंगा कि क्या इस प्रकार का कोई प्रयास था।

डा० रानेन सेन: अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि जो शरणार्थी दिल्ली आये, उन्हें बिहार वापस जाने के लिये कहा गया है और बिहार सरकार से भी यह कहा गया है कि इन शरणार्थियों की ओर पूरा ध्यान दिया जाये अथवा उन्हें बसाया जाये। क्या यह सच है कि बिहार सरकार तथा अन्य राज्य सरकारें इस कार्य में शरणार्थियों की काफी समय से उपेक्षा कर रही हैं जिसके परिणाम-स्वरूप शरणार्थी विभिन्न शिविरों और तथाकथित पुनर्वास क्षेत्र को छोड़कर भारत के अन्य भागों में जाने लगे, यदि हां, तो अब केन्दीय सरकार इस संबन्ध में क्या उपयुक्त कदम उठा सकती है कि राज्य सरकारें क्या उनके निर्देशानुसार उचित कार्यवाही करें और इनको क्रियान्वित किया जाये तथा ये शरणार्थी राज्य सरकारों की अनुकम्पा पर निर्भर न करें क्योंकि ये सरकारें काफी समय से इन शरणार्थियों की उपेक्षा करती रही ह ?

श्री आर० के० खाडिलकर: मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने यह कहा है कि बिहार सरकार शरणार्थियों की उपेक्षा कर रही है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं।

डा० रानेन सेन: तब शरणार्थी यहां क्यों आये ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैंने पहले बताया है, प्रशासनात्मक पर्यवेक्षण का दायित्व उन पर है परन्तु हम वित्त कि व्यवस्था करते हैं और हमारी भी अपनी योजनायें हैं। हमारे अधिकारियों ने जो बातें उनसे की, जो कुछ कहा गया तथा किया गया उसी के कारण वे यहां आये। उन्हें भोजन संबन्धी कुछ कठिनाइयां हैं। उनमें से भी कुछ ने शिविर छोड़ दिये थे। खेतिहर मजदूर को 3 रुपये प्रतिदिन वेतन मिलता है; दिल्ली में वे प्रसन्न है और यहां से जाने की इच्छा नहीं रखते क्योंकि यहां भोजन भी उपलब्ध है और प्रतिदिन 5 रुपये मिलते हैं। ये समस्यायें इस विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। जहां तक बिहार सरकार के दायित्व की बात है, जो भी निर्देश दिये गये हैं, सरकार उनका अनुसरण कर रही है।

डा० रानेन सेन : मेरा प्रश्न यह था कि क्या केन्द्रीय सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि क्या इन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है अथवा नहीं ? क्या इसके लिये किसी तन्त्र की व्यवस्था है ?

श्री आर० के० खाडिकर : केवल इन्हें क्रियान्वित ही नहीं किया जा रहा है अपितु समय समय पर हमारे अधिकारी उन क्षेत्रों में जाकर स्वयं देखते हैं कि इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री राम गोपाल रेड्डी : बंगलादेश ने एक करोड़ लोग वापस ले लिये हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। केवल अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये ही प्रश्न पूछना आवश्यक नहीं है।

श्री समर गुह: क्या सरकार ने शरणार्थियों द्वारा इन शरणार्थी शिविरों अथवा पुनर्वास स्थलों के छोड़े जाने के मूल कारणों की जानकारी प्राप्त की है । क्या यह सच है कि 22 शिविरों में गत 10, 15, 20 तथा 25 वर्षों से अभी भी 1, 10,000 शरणार्थी मौजूद हैं ? वे इन शिविरों में पड़े सड़ रहे हैं । मैं सरकार से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या शिविर छोड़ने का कारण यह है कि उन्होंने पाया कि दो दशाब्दियों तक इस दयनीय स्थिति में रहने के उपरान्त भी उन्हें उन पुनर्वास स्थलों पर भेजा जा रहा है जहां संचार तथा आर्थिक पुनर्वास की कोई गुंजाइश नहीं है । उन्हें केवल उन स्थानों पर पटका जा रहा है । क्या सरकार पूरे मामले की जांच करेगी और संसद सदस्यों की एक समिति बनायेगी जो पुनर्वास क्षेत्रों में शरणार्थियों की समस्याओं और अंडमान में बसने की उनकी मांग की जांच करेगी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : कल उत्तर देते समय मैंने बताया था कि पश्चिम बंगाल से बाहर शिविरों में 23,000 परिवार थे । उन्हें बसाने के लिये भरसक प्रयास किया गया है । इस सदन की समिति नियुक्त करने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि मूल प्रश्न भूमि का है । भूमि देने के लिये हमें विभिन्न राज्यों को सहमत कराना है । प्रत्येक सदस्य को राज्य सरकार से यह प्रश्न उठाना चाहिये और कुछ भूमि देने के लिये उन्हें सहमत करना चाहिये ।

श्री समर गुह: मंत्री महोदय ने बताया है कि अधिकांश क्षेत्रों से छोड़कर वे नहीं गये हैं । केवल नैनीताल को छोड़कर.....

श्री आर०के० खाडिलकर: यह सही नहीं है कि अधिकांश शरणार्थी छोड़कर चले गये हैं, कुछ को छोड़कर शेष नहीं गये हैं । यदि आप चाहें तो मैं आंकड़े दे सकता हूं ।

Shri Hukam Chand Kachwai: Sir, the hon. Minister has just now said that 50,000 famlies over to be rehabilitated. It is correct that adequate facilities were not provided at all those sites wherever arrangements were made to settle them, therefore, desertion is taking place out of dissatisfaction. The hon. Minister says that state Governments are required todo this job. May I know the action Central Government takes if the State Governments fails in discharging their responsibilities? Secondly, the Central Government is prepared to provide adequate funds to the State Government for such relief works?

The Central Government have written to Delhi Administration to make medical facilities available to the refugees. May I know whether the Government besides medical facilities have also recommended to make provision for food and house to these refugees, if so, when?

श्री **आर०के० खाडिलकर**: प्रशासनात्मक तथा वित्तीय दायित्व पूर्णतया राज्य सरकारों पर छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसकी व्यवस्था केन्द्र द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत की जाती है । मूल्य-वृद्धि हो जाने के कारण हमारा यह विचार है कि धर्मार्थ दान, शिक्षा आदि की व्यवस्था, जो हमें करनी होती है, संशोधन किया जाये । इस दिशा में कदम उठाने का हमारा विचार है ।

प्रादेशिक सेना को लोकप्रिय बनाने के लिए की गई कार्यवाही

*387. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिये कर्नाटक के लोगों में ग्रम उत्साह पाये जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रादेशिक सेना को लोकप्रिय बनाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

कर्नाटक स्थित प्रादेशिक सेना यूनिटों में मनुष्य-शक्ति में कमी की सरकार को जानकारी है नियंत्रित असैनिक व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को पर्याप्त संख्या में प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिये प्रोत्साहित करने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है । 1972 में रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए निदेश के अनुसरण में नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडलों के महासंघ के अध्यक्ष और कलकत्ता में भारतीय वाणिज्य और उद्योग के संबंध मंडलों से अनुरोध किया गया था कि वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र से प्रादेशिक सेना में भर्ती को प्रोत्साहित किया जाए । इनके उत्तर में नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडलों के महासंघ के अध्यक्ष ने कर्नाटक वाणिज्य और उद्योग मंडलों के अध्यक्ष और बंगलौर में मैसूर वाणिज्य और उद्योग मंडल के अध्यक्ष से सभी संभव सहायता देने का अनुरोध किया था । प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिए राज्य सरकारों, सरकारी उपक्रमों और अर्ध-सरकारी संगठनों के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त सरकारी अनुदेश भी जारी किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, प्रादेशिक सेना ग्रुप मुख्यालय दक्षिणी कमान को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि प्रादेशिक सेना यूनिटों में कमी पूरी करने के लिए वे अपने कमान में औद्योगिक संगठनों के साथ सम्पर्क रखें ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : सरकार ने प्रशंसनीय प्रयास किये हैं मैं उनके परिणाम जानना चाहता हूं । क्या उस क्षेत्र में भर्ती में कोई सुधार हुआ है ।

श्री जे० बी० पटनायक: भर्ती की दिशा में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी: यदि कोई सुधार नहीं हुआ है तो फिर आगे क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री जे० बी० पटनायक: और आगे प्रयास किये जा रहे हैं .... (**व्यवधान**)

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी: पहले स्थिति क्या थी और अब क्या है ? मैं आंकड़े जानना चाहता हूं ?

श्री जे०बी० पटनायक: 31-12-73 को प्रादेशिक सेना के सैनिकों की अधिकृत संख्या 44,204 थी जब कि वास्तविक संख्या 35,463 थी ।

Shri Madhu Limaye: It is true that since the Territorial Army is being used to crush mass-agitations and just strikes, instead of defending the country's borders a common man or a youth is not encouraged to be recruited to this Army? Do you expect the Kanada people to join the Territorial Army which would be misused to crush the public movements? You appear to have a very low opinion about the State of Karnataka.

Mr. Speaker: What reply can be expected from the hon. Minister for it? Shri Shenoy?

Shri Madhu Limaye: Please ask him to answer.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संबंधित नहीं है, ।

Shri Madhu Limaye: How is that it has no relevance? The question is as to why people are not inclined to join Territorial Army. I want to know from the hon. Minister whether it is due to the fact that the Territorial Army is being misused to work against the public agitations. Let the hon. Minister state whether it is a fact or not.

Mr. Speaker: What reply you expect? You please seek information. You are giving a proposition and then ask an answer therefor.

Shri Madhu Limaye: I had asked whether the people were not joining because the Territorial Army was being misused.

श्री जे० बी० पटनायक : यह कथन सही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिये एक प्रकार का हिसाब है ।

Shri Madhu Limaye: It is not a suggestion for action. My question should be answered.

Mr. Speaker: Here we should discuss valid points; other things can be had outside.

Shri Hukam Chand Kachwai: Why do you link it with Bihar?

Shri Madhu Limaye: I am asking about Karnataka.

Mr. Speaker: How does the hon. Minister want to reply?

श्री एम०एम० पटेल : प्रश्न तो बड़े उचित ढंग में हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । वह कोई सुझाव दे रहे हैं । मंत्री महोदय का क्या उत्तर दें ?

श्री मधु लिमये : मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन्, एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को इस बारे में क्या कहना है ?

श्री जे०बी० पटनायक : उत्तर "नहीं" है विशिष्ट रूप से "नहीं है ।"

श्री पी० आर० शिनाय : मंत्री महोदय ने कहा है कि कर्नाटक के लोगों ने प्रादेशिक सेना में भर्ती होने में पर्याप्त उत्साह नहीं दिखाया है । इसके क्या कारण हैं और प्रादेशिक सेना में भर्ती की दिशा में अन्य राज्यों में कितना उत्साह पाया गया है ?

श्री जे० बी० पटनायक : कर्नाटक राज्य के लोगों का प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिये प्रोत्साहित न होने के कोई विशिष कारण नहीं हैं । आम तौर पर देश भर में ही पर्याप्त उत्साह नहीं पाया गया है । इसका कोई विशेष कारण नहीं है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया: मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर में प्रादेशिक सेना में भर्ती के लिये सामान्य उत्साह का जिक्र नहीं है । यहां कहा गया है कि:

"नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडलों के महासंघ के अध्यक्ष और कलकत्ता में भारतीय वाणिज्य और उद्योग के संबंद्ध मंडलों के अध्यक्ष से अनुरोध किया गया था कि वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र से प्रादेशिक सेना में भर्ती को प्रोत्साहित किया जाये ।"

अब मैं मंत्री महोदय से जो जानकारी चाहता हूं वह यह है । कर्नाटक में कई सरकारी क्षेत्रीय परियोजनायें हैं । क्योंकि वे केन्द्र सरकार का ही एक अंग है तो क्या उसने सहृदयता के साथ कम से कम सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं को तो ये निर्देश भेजे हैं कि वे प्रादेशिक सेना में समुचित भर्ती की व्यवस्था करें ?

श्री जे०बी० पटानायक: सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को निर्देश भी दिये गये हैं कि वे अपने अपने कर्मचारियों को प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिये प्रोत्साहन दें ।

श्री पी०जी० मावलंकर: भाग (ख) का उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं होता । मंत्री महोदय ने बस इतना कहा है कि कर्नाटक राज्य में प्रादेशिक सेना में भर्ती को प्रोत्साहन देने के लिये वहां कंपनियों तथा फर्मों के संबद्ध अधिकारियों को कई पत्र लिखे गये हैं । परन्तु उन्हें ठोस उपाय तो नहीं माना जा सकता । क्या ठोस उपाय किये गये हैं ?

श्री जे०बी० पटनायक: सरकार ने प्रादेशिक सेना में भर्ती होने का उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से पटियाला के लैफ्टिनेन्ट जनरल यादवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में 63 सिफारिशें की थीं जिनमें से 42 स्वीकार कर ली गई हैं और 14 सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है सात सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं । इसके अतिरिक्त सरकार ने राज्य सरकारों तथा अन्य मंत्रालयों से भी अपने अपने कर्मचारियों को प्रादेशिक सेना में भर्ती होने को कहने का अनुरोध किया था । सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को भी कहा गया है । साथ ही एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स तथा एफ०आई०सी०सी०आई० से भी अनुरोध किया गया है और उन्होंने भी अपने क्षेत्रों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने कर्मचारियों को प्रादेशिक सेना में भर्ती होने को प्रोत्साहन दें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: भाग (ख) अर्थात् "यदि हां, तो प्रादेशिक सेना को लोक प्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, " के बारे में, क्या मंत्री महोदय हमें बतायें कि क्या प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों को हड़तालों के दौरान हड़ताली कर्मचारियों के कार्य को संचालने के लिये बार बार नियुक्त किये जाने के कारण ही प्रादेशिक सेना में लोगों में अलोकप्रिय होती जा रही है और यदि हां, तो प्रादेशिक सेना को अधिक लोक प्रिय बनाने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

श्री जे०बी० पटनायक: मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि इसके कारण प्रादेशिक सेना अलोकप्रिय हुई है ।

Shri Jagannathrao Joshi: I want to know from the hon. Minister whether disinclination towards joining the territorial army is noticed only in Karnataka or the same attitude is seem in other states also? If this attitude is available in other states also, whether efforts have been made to find out the reasons therefor? Until such a study is made how would your efforts to make the people interested in joining the T.A. fructify ?

श्री बी०बी० पटनायक: मैं इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि इस दिशा में देश भर में आम तौर से कम उत्साह पाया गया है ।

श्री जगन्नाथराव जोशी: परन्तु वह तो केवल कर्नाटक राज्य में ही नहीं बल्कि देश भर में है ।

Compulsory arbitration in Wage Disputes

*389. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to make arbitration compulsory for solving all the wage disputes;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) whether any new legislation will be enacted or any existing law will be amended for this purpose?

Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) to (c) The Industrial Disputes Act provides for reference of all industrial disputes for voluntary arbitration. A comprehensive Industrial Relations Bill providing **inter alia** machinery for dispute settlement is expected to be introduced in Parliament as early as possible.

श्री मूल चन्द डागा : मेरा प्रश्न यह था "क्या मजूरी संबंधी विवादों को हल करने के लिये मध्यस्थता को अनिवार्य बनाने का विचार है ।" और उत्तर दिया गया कि "औद्योगिक विवाद अधिनियम में सभी औद्योगिक विवादों को स्वैच्छिक रूप में मध्यस्थता के लिये भेजने की व्यवस्था है । उत्तर प्रश्न के बिल्कुल भिन्न है । जब मैंने अनिवार्यता के लिये पूछा तो उन्होंने स्वैच्छिक रूप से भेजने की बात कही । इसलिए उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । मैं अपने प्रश्न का विशिष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 (क) के अधीन मजूरी संबंधी विवादों सहित औद्योगिक विवादों को दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से स्वैच्छिक रूप में मध्यस्थता के लिये भेजने का प्रावधान है । अनुशासन संहिता में भी विवादों का निपटारा स्वैच्छिक मध्यस्थता के द्वारा करने पर जोर दिया गया है ।

श्री मूल चन्द डागा : क्या आपका विचार इसे अनिवार्य बनाने का है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : जी नहीं, हमारा ऐसा विचार नही है । भविष्य में भी अनिवार्य मध्यस्थता का प्रावधान नहीं होगा ।

श्री मूल चन्द डागा : आपने अपने उत्तर में कहा है :--

"एक व्यापक औद्योगिक संबंध विधेयक जिसमें अन्य बातों के साथ साथ विवाद निपटाने के तंत्र की व्यवस्था होगी, संसद में यथाशीघ्र पेश किये जाने की आशा है ?"

यह व्यवस्था तो कानून के अंतर्गत पहले ही मौजूद है । फिर आप इसमें कोई संशोधन क्यों करना चाहते हैं, जैसा कि आपने अपने उत्तर में कहा है ? उसकी रूप रेखा क्या होगी ?

श्री बाल गोविंद वर्मा : औद्योगिक संबंधों के बारे में व्यवस्था राज्यों तथा केन्द्र में पहले ही गठित है । वह मध्यस्थता, न्याय निर्णय तथा समझौते के प्रश्न पर विचार कर रही है । इसलिये अनिवार्य मध्यस्थता का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri M. C. Daga: What amendment is proposed ?

Shri Balgovind Verma: No amendment is being made therein.

Shri M.C Daga: You have stated that you propose to make amendments and that would be done as early as possible.

Shri Balgovind Verma: We are not going to have compulsory arbitration. As regards the measures to settle industrial disputes and also to expand that machinery, such provisions are going to be made in that Bill.

Shri A. P. Sharma: You have stated that you would not go for compulsory arbitration. What would you do with the provision of a compulsory arbitration which is already there in the Act? Would abolish that or it would remain?

Shri Balgovind Verma: That is not compulsory but is a voluntary provision. I have just now quoted section 10(a) of Industrial disputes Act, 1947. Under that both the parties can refer the dispute for voluntary arbitration. Such a provision exists in certain other laws also.

Shri A. P. Sharma: No answer has been given. What would you do where there is provision for compulsory arbitration namely arbitrable for central Government employees, and also about non-arbitrable subjects? Whether you would abolish or not the provisions of compulsory arbitration wherever those exist?

Shri Balgovind Verma: If such a provision exists for central Government employees we are not going to abolish that we are not going to have any new provisions.

Shri Narsingh Narain Pandey: You have referred to Industrial Disputes Act, 1947. that provides that in case conciliation ends and both the parties do not come to an agreement then the conciliation officer voluntarily refers it for adjudication. The Allahabad High Court in a case relating to Mahavir Jute Mills Sehajanava, Distt. Gorakhpur works Management has ruled that this power of the conciliation officer should be done away with and the provisions should be made for compulsory adjudication. Would you think in terms of checking such disputes in future and provide for in a comprehensive way so as strengthen the industrial relations?

Shri Balgovind Verma: When the conciliation proceedins fail and the Government receive a report, then we examine that in details and send the matter for adjudication if found desirable you have cited one case.....

Shri Narsingh Narain Pandey: It is in respect of many cases.

Shri Blagovind Verma: Government have no proposal to make arbitration compulsory for everybody.

श्री एस० बी० गिरि : औद्योगिक विवाद अधिनियम में मध्यस्थता करने वाली व्यवस्था के न होने के कारण क्या सरकार विवादों को तुरन्त ही हल करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि देश में हड़तालें तथा अन्य औद्योगिक आन्दोलन न हों ?

श्री बाल गोविंद वर्मा : आजकल एक नई प्रवृत्ति पैदा हो गई है । विवादों को मध्यस्थता के लिये सौंपने के बजाय आमतौर पर विवादों को निपटाने के लिये द्विपक्षीय बातचीत करने की प्रवृत्ति बनी है ? जब भी श्रमिक वर्ग द्वारा कोई सुझाव दिया जाता है तथा सरकार भी उसके सहमत होती है तब हम द्विपक्षीय बात चीत का आयोजन कर लेते हैं और विवाद हल हो जाता है । इसलिये अनिवार्य मध्यस्थता का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जीपों और ट्रकों के निर्माण की अधिष्ठापित क्षमता तथा उनका वास्तविक उत्पादन और उनकी बिक्री

*390. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान प्रत्येक निर्माता के नियंत्रणाधीन संयंत्रों में जीपों और ट्रकों के निर्माण की अधिष्ठापित क्षमता क्या थी तथा उनमें वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ।

(ख) गत छः महीनों में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को बेची गई जीपें और ट्रकों की संख्या कितनी है ; और

(ग) जीपों और ट्रकों की उत्पादन लागत क्या है ; और गत 6 महीनों में संबद्ध पार्टियों को कितने मूल्य पर जीपें और ट्रक बेचे गये ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जीपों और ट्रकों (बस चेसिसों को मिलाकर) की अधिष्ठापित क्षमता और वर्ष 1973-74 फरवरी, 1974 तक) में हुआ उत्पादन विवरण-दो में दिया गया है ।

जीपों और ट्रकों की बिक्री पर सरकार का नियंत्रण नहीं है । फिर भी जीपों और ट्रकों के निर्माताओं से पता लगाया गया है कि गत छः महीनों में उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष रूप से कोई भी गाड़ी नहीं बेची है ।

चूंकि किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष रूप में कोई बिक्री नहीं की गई है इसलिए उनको बेची गयी जीपों और ट्रकों के मूल्यों का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण–दो

वर्ष 1973-74 की अवधि में (फरवरी 1974 तक) जीपों और ट्रकों (बस चेसिसों सहित) की अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :—

निर्माता का नाम	अधिष्ठापित क्षमता संख्या प्रतिवर्ष	वर्ष 1973-74 (फरवरी तक) में उत्पादन सं०
जीपें :		
1 मे० महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड, बम्बई ।	13,000	11,366
ट्रक (बस चेसिसों सहित)		
1 मै० टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर ।	24,000	20,122
2 मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, उत्तरपाड़ा, प० बंगाल	7,500	2,185
3 मै० प्रिमीयर आटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई	6,000	3,743
4 मै० अशोक लेलैंड लिमिटेड, मद्रास	6,400	5,750
5 मै० बजाज टेम्पो लिमिटेड, पूना	4,000	4,698
6 मै० महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड, बम्बई	2,000	1,394
7 मै० स्टैंडर्ड मोटर्स प्रोडक्टस् स आफ इंड़िया लि०, मद्रास	1,000	712

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है "जीपों और ट्रकों की बिक्री पर सरकार का नियंत्रण नहीं है।" उन्होंने आज कहा है "फिर भी जीपों और ट्रकों के निर्माताओं से पता लगाया गया है कि गत छः महीने में किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष रूप से कोई भी गाड़ी नहीं बेची है।" मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस संबंध में कुछ और जानकारी देते हुए हमें यह बताएं कि उनकी जानकारी के अनुसार रक्षा कोटे में से कितनी जीपें वितरकों द्वारा राजनीतिक दलों को दी गयी।

श्री दलबीर सिंह : सदस्य महोदय ने अपने प्रश्न में गत छः महीनों का उल्लेख किया है। पिछले छः महीनों में राजनीतिक दलों को जीपों का कोई आवंटन नहीं किया गया है। परन्तु 1971 के चुनाव के दौरान पार्टियों को कुछ जीपों का आवंटन किया गया था और उस समय 1266 जीपें विभिन्न राजनीतिक दलों को दी गई थी (**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye: How many Jeeps were allotted to Congress Party?

Shri Hukam Chand Kachwai: The Minister should give partywise figures.

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। निर्माता यह नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को जीपों की सप्लाई की थी।

एक माननीय सदस्य : अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने की थी।

श्री टी० ए० पाई : कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के लिए गाड़ी खरीद सकता है और उसका प्रयोग करना है तो उसे हम किसी प्रकार से रोकते नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में चेचक के फैलने का खतरा

*386. **श्री बेकारिया** :
श्री इसहाक सम्मली :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ भागों से चेचक के मामलों के समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां; तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) चेचक को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चेचक के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने तुरन्त उपाय किये हैं।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दिल्ली में चेचक के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) रोग प्रकोप की रोकथाम करने और उसकी निगरानी सम्बन्धी गति विधियों को तेज करना।

(2) प्राथमिक टीकों (इसमें नवजात शिशु का टीका भी शामिल है) और समय समय पर दुबारा टीका लगाने के काम को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

(3) अधिक से अधिक संख्या में लोग स्वेच्छा से टीका लगवाएं और चेचक के संदिग्ध रोगी की तुरन्त सूचना दें इसके लिए संबंधित अधिकारियों को काफी मात्रा में स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार सामग्री सप्लाई की जा रही है। आकाशवाणी (विविध भारती) दिल्ली से एक विज्ञापन भी प्रसारित किया जा रहा है जिसमें जनता से चेचक के संदिग्ध रोगों की सूचना किसी नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में देने और चेचक का टीका लगवाने का भी अनुरोध किया जाता है।

(4) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में होने वाली बैठकों में दिल्ली में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की क्रियान्विति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में जो कमियां रह जाती हैं उनकी जानकारी दी जाती है ताकि तत्काल उपचारी उपाय किये जा सकें।

(5) केवल चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के लिए अलग से एक गाड़ी और नौ मोटर साइकिल पहले ही दी जा चुकी हैं ताकि रोग पर सक्रिय निगरानी रखने और उसकी रोकथाम करने संबंधी कार्य को तुरन्त और प्रभावशाली ढंग से किया जा सके।

(6) जमाकर सुखाई गई चेचक वैक्सीन और दो मुंहीं सुइयां काफी मात्रा में सप्लाई की जा रही हैं।

(7) राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जो शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से चलने वाली एक केन्द्रीय पोषित योजना है 1973-74 में उसकी संचलान लागत को पूरा करने के लिए 2.15 लाख रुपये की राशि नियत की गई है।

(8) चेचक की सूचना देने की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित कर दिया गया है और साप्ताहिक महामारी रिपोर्टों को भेजने के लिए दिल्ली स्वास्थ्य अधिकारियों को छपे फार्म भी दे दिये गए हैं।

Aluminium Production in 'Hindalco'

*388. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state:

(a) whether a fall in production in Hindalco is anticipated in 1973-74 ; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard?

Minister of Steel and Mines (Shri K.D. Malaviya): (a) Yes, Sir.

(b) The reason for fall in the production of Hindustan Aluminium Corporation is the severe power cuts imposed by the Uttar Pradesh State Electricity Board on Hindalco's smelter. Steps to increase power generation to the extent possible are continuously being taken by Government.

वायु सेना संग्रहालय, नई दिल्ली से मशीनगन शैलों की चोरी

*391. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री भागीरथ भंवर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 फरवरी, 1974 को दिल्ली के वायु सेना संग्रहालय से कुछ मशीन-गन शैल चुराए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) बाउन्सि लाइट मशीनगन में उपयोग की जाने वाली .30 केलीवर की 50 खाली गोलियां 20 फरवरी, 1974 को भारतीय वायु सेना संग्रहालय से चोरी की गई थी। चोरी का उसी दिन 14-15 बजे पता लग गया था और मामला सिविल पुलिस में रजिस्टर करा दिया गया था जो जांच-पड़ताल कर रही है। सिविल पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। सेना की जांच-अदालत के भी आदेश दे दिये गये हैं।

नये गर्भ-निरोधक 'वोल्व' का विकास

*392. **डा० कर्ण सिंह :**
श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालौजी और आल इंडिआ इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइसेंज नई दिल्ली के संयुक्त प्रयास से एक नए गर्भ निरोधक 'बाल्व' का विकास किया गया है; जो गर्भ निरोध का एक आदर्श उपाय है ;

(ख) क्या उक्त उपाय का मानवों पर परीक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने जिसने परियोजना को प्रायोजित किया गत वर्ष अनुदान देना सहसा बन्द कर दिया था; और

(ग) अनुदान बन्द करने के क्या कारण हैं और अनुदान देना पुनः आरम्भ करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यह उपाय अभी विकास के चरण में है।

(ख) 1973-74 के दौरान मानवों पर इसका कोई परीक्षण करने का प्रस्ताव नहीं था।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

E.P.F. Arrears Against Tea Plantations in Karnataka

*393. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the **Minister of Labour** be pleased to state;

(a) the number of tea plantation in Karnataka State against which amount of provident fund is outstanding at present; and

(b) the amount outstanding against each of them and the measures being taken by Government to realise this amount and the names of these plantations?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) The Provident Fund Authorities have intimated that all the covered tea plantations/estates in Karnataka State are complying with the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, and the Employees Provident Fund Scheme and are upto-date in compliance.

(b) Does not arise.

दंडकारण्य परियोजना में श्रमिकों को दी जाने वाली दैनिक मजूरी

*394. **श्री गजाधर मांझी**: क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दैनिक मजूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी 3.50 रुपये से बढ़ाकर 5.50 रुपये तक कर दी है परन्तु दंडकारण्य परियोजना में ऐसे श्रमिकों को 2.00 रुपये से 2.50 रु० तक प्रतिदिन मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1973 को जारी की गई अधिसूचना के आधार पर दण्डकारण्य प्रदेश का क्षेत्र डी श्रेणी में आता है जिसके अनुसार निर्माण या सड़कों की देख-भाल के कार्य आदि पर लगाए गए अकुशल कामगारों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दर 3.50 रु० प्रतिदिन है। अब दण्डकारण्य में निर्माण या देख-भाल के कार्य पर लगे अकुशल कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन मजदूरी देने का निश्चय किया गया है और इस संबंध में आवश्यक आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं।

औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों को अत्यावश्यक वस्तुओं का सम्भरण

*395. **श्री के० मालन्ना**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों को अत्यावश्यक वस्तुओं का पर्याप्त सम्भरण सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) और (ख) बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ श्रमिकों को सहायता देने के उपाय के रूप में भारतीय श्रम सम्मेलन ने 300 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के गठन करने की एक योजना (1962) में अभिस्वीकृत की। यह योजना 2500/- रुपये तक के शेयर पूंजी अंशदान 10,000 रुपये के कार्यकारी पूंजी ऋण और 1,800 रुपये की प्रबन्धकीय उपदान की व्यवस्था करती है जो 3-5 वर्षों की कालावधि में विस्तृत होंगें। जो ऐसे भंडारों को नियोजकों द्वारा दिये जाने हैं।

कृषि-श्रमिकों का कल्याण

*396. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन**:
श्री प्रसन्नभाई मेहता:

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए एक समिति स्थापित की है यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निदेशपद क्या हैं;

(ख) वह कृषि श्रमिकों के हितों का कहां तक ध्यान रखेगी; और

(ग) क्या इस समिति में किसी कृषि विशेषज्ञ को सम्मिलित किया गया है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) से (ग) श्रम मंत्रालय में कृषिक-श्रम की समस्याओं पर कृषिक-श्रम मंत्री को सलाह देने के लिए कृषिक श्रम संबंधी एक स्थायी समिति स्थापित की गई है। समिति का गठन और इसके विचारार्थ-विषय प्रस्तुत करने वाले पत्र की एक प्रति सभा की मेज पर रखी है। [ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी-6501/74]

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात का उत्पादन

*397. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत और परिवहन संकटों के कारण इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पांचवी योजना की विकास संबंधी नीति असफल हो जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) यद्यपि पांचवी योजनावधि में इस्पात उद्योग की बिजली तथा यातायात की समस्त आवश्यकता पूरी करने में समय-समय पर कठिनाइयां आ सकती है; तथापि विद्यमान सुविधाओं तथा चालू किये जाने वाले नये कारखानों से उत्पादन को अधिकाधिक करने की हर कोशिश की जायेगी।

Conditions for Appointment of Ambassadors/High Commissioners Abroad

*398. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the **Minister of External affairs** be pleased to state:

(a) the terms and conditions for appointment of Ambassadors/High Commissioners in the Indian Missions abroad; and

(b) whether any special qualification is required for this post?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) & (b) A Head of Mission is normally appointed for a three years assignment in a particular country. Appointments are made by Government on grounds of experience and suitability. It is Government's policy to select the best qualified person available for Ambassadorial posts whether they are from public life or officers of the IFS. However in diplomacy, as in any other profession, professional men,are mainly chosen for such assignments. The Foreign Minister and the Prime Minister exercise their discretion in this regard in the best interests of the country.

देश में रक्त एकत्र करने की व्यवस्था की जांच करने के लिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन

*399. **श्री डी०डी० देसाई** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में रक्त और उसके तत्वों की कमी है;

(ख) क्या उन्होंने देश में रक्त एकत्रित करने की व्यवस्था की जांच करने के लिए जनवरी, 1973 में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था;

(ग) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में अन्य किन विषयों पर विचार किया गया ; और

(घ) उसमें क्या निर्णय लिये गये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) देश में रक्त एकत्र करने की व्यवस्था के बारे में विचार विमर्श करने के लिए ही अलग से राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों का कोई सम्मेलन नहीं बुलाया गया। वैसे, 31 जनवरी, 1973 और 1 फरवरी 1973 को भुवनेश्वर में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की वार्षिक बैठक हुई थी जिसमें राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने भी भाग लिया । इस बैठक की कार्यसूची में "राष्ट्रीय रक्त बैंक संगठन" शीर्षक एक मद शामिल थी। वैसे, समयाभाव के कारण इस बैठक में इस मद पर विचार विमर्श नहीं किया जा सका और इसलिए इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

इस बैठक में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई उनके संबंध में पारित संकल्पों की एक प्रतिलिपि संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-6502/74]

धातु कर्मीय कोयले का निक्षेप

*400. **श्री दामोदर पांडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में धातु कर्मीय कोयले के सीमित निक्षेप को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उन कोयले का उपयोग केवल इस्पात संयंत्रों में करने का है ; और

(ख) क्या इस समय जो उपभोक्ता धातु कर्मीय कोयले का उपयोग गैर-धातु कर्मीय कार्यों के लिए कर रहें हैं उनसे देश में उपलब्ध अन्य प्रकार के कोयले का उपयोग करने के लिए कहा जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : **(क) और (ख)** धातुकार्मिक कोयले की आवश्यकता न केवल इस्पात कारखानों में होती है बल्कि इंजीनियरी उद्योगों, रसायन उद्योगों तथा उर्वरक के उत्पादन में भी होती है। घटिया किस्म का कोयला घरेलू इस्तेमाल में काम आने वाले सोफ्ट कोक के उत्पादन के लिए काम में लाया जाता है। सरकार की यह नीति है कि ऐसे सभी कामों के लिए जिनमें नान-मेटालर्जीकल कोयले का उपयोग करना उपयुक्त हो और ऐसा कोयला उपलब्ध हो, धातु-कार्मिक कोयला उपयोग में न लाया जाए।

Construction of Dam and Road across River Ravi by Pakistan

*401. **Shri M. S. Purty:** Will the **Minister of Defence** be pleased to state:

(a) whether Pakistan has constructed a 25-K.M. long protective earth dam across the river Ravi flowing in Derababa Nanak area;

(b) whether a pucca road has been constructed along this dam on which cars and jeeps can ply and bunkers have also been built for hiding tanks, machine guns besides constructing an underground road; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) and (b) Government have no such report.

(c) Does not arise.

भिलाई में स्लैग सीमेंट कारखाना

*402. **श्री रानेन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा स्लैग सीमेंट संयंत्र लगाये जाने के प्रस्ताव के बारे में 16 अगस्त 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3289 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने परियोजना को कार्य रूप देने का विचार छोड़ दिया है और ए० सी० सी० को उनके सीमेंट कारखानों के लिए स्लैग का उपयोग करने की अनुमति दी है और सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित सीमेंट कारखाने के लिए चूना पत्थर खानें भी सौंप दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मलवीय) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने भिलाई इस्पात कारखाने के अधीन धातुमल सीमेंट का एक कारखाना लगाने का विचार छोड़ दिया था। जैसा कि दिनांक 16-8-73 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3289 के उत्तर में बताया गया था हिन्दुस्तान स्टील लि० ने 1969 में यह फैसला किया था कि सीमित संसाधनों, पूंजीगत खर्च की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं तथा दानेदार धातुमल की उत्साह वर्धक मांग को देखते हुए, उन्हें सीमेंट का उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं है।

भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा उत्पादित दानेदार धातुमल का अपक्रय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी के साथ लम्बी अवधि (20 वर्ष) के लिए एक करार किया गया है।

भिलाई इस्पात कारखाने ने नन्दिनी के पास चूना पत्थर वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस ले लिया था। चूंकि भिलाई इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों के अधीन सीमेंट का एक कारखाना लगाने का विचार छोड़ दिया गया था, इस्पात कारखाने ने केवल इस्पात कारखानों में काम आने वाला चूना पत्थर अर्थात लोहा बनाने और इस्पात बनाने के काम में आने वाला चूना पत्थर तथा तापसह ईंट बनाने वाले कारखाने में काम आने वाले चूना पत्थर के क्षेत्र ही अपने पास रखे थे और ऐसे क्षेत्र जिनमें इस्पात कारखानों में काम आने वाला चूना पत्थर निकलने की संभावना नहीं थी राज्य सरकार को वापस कर दिये थे।

श्रमिक विवादों में भारत रक्षा नियमों का प्रयोग

*403. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रमिकों विवादों में भारत रक्षा नियमों के प्रयोग के विरुद्ध है; और

(ख) यदि हां तो ऐसे पुराने विवादों के निपटाने के लिए क्या समाधान करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) भारत रक्षा नियमों का आशय केवल विशिष्ट परिस्थितियों में लिया जाता है।

(ख) औद्योगिक सम्पर्क तंत्र द्वारा ऐसे मामलों को विद्यमान सांविधिक उपबन्धों या स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अधीन अनौपचारिक मध्यस्थता समझौता न्याय-निर्णय या विवाचन द्वारा निबटाने के निरन्तर प्रयास किये जाते हैं।

Soviet Interest in Copper Mining in Balaghat District

3979. **Shri G. C. Dixit:** Will the **Minister of Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Soviet Russia has shown interest in developing the copper mines in Saktaj Block area in Balaghat District;

(b) whether it has been established that Saktaj Block has copper deposits of about 60 million tons which can feed a 20,000 ton copper plant every year; and

(c) if so, the reaction of Government to this ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) to (c) Presumably the reference is to the Malanjkhand Copper Deposits in District Balaghat, Madhya Pradesh. The copper ore reserves proved so far are of the order of 50 million tonnes of 1.37% copper content.

Hindustan Copper Limited, entrusted with the task of development of copper deposits in the country, has signed an agreement with a Soviet Agency for the preparation of the Detailed Project Report for the Mining and Concentrator Complex based on the Malanjkhand Copper Deposits. Further details will be considered and investment decision taken on the receipt of the Detailed Project Report.

दिल्ली में सेशन तथा उच्च न्यायालय में खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत संचलित खाद्य अपमिश्रण के मामले

3980. **श्री पी० वेंकटसुब्बया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सेशन और उच्च न्यायालय में खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत मामले संचालित किये जाते हैं;

(ख) क्या स्थानीय प्राधिकारियों ने इन मामलों के संचालन के लिये किसी व्यक्ति की नियुक्ति की हैं;

(ग) यदि हां, तो 1973 में बार के अधिवक्ताओं को इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि की अदायगी की गयी और इस दोहरी पद्धति के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1973 में सेशन न्यायालय में कितने मामलों में अपीलें अथवा फैसला बदलने के मामले दायर किये गये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों पर प्रथमतः मजिस्ट्रेटों (प्रथम श्रेणी) की अदालतों में मुकदमा चलाया जाता है। सजा के मामलों में सेशन कोर्टों में अपील दायर की जाती है और बरी करने के मामले में उच्च न्यायालय में अपील की जाती है।

(ख) और (ग) ट्रायल कोर्टों में सजा सुनाने के बाद दोषी व्यक्तियों द्वारा की गई अपीलों पर कार्यवाही सेशन कोर्ट में राज्य के इस्तगासा द्वारा की जाती है। दिल्ली नगर निगम को नोटिस तभी दिया जाता है जब दोषी व्यक्ति उसे भी एक पार्टी बना देते हैं और उस दशा में निगम पक्ष की पैरवी म्यूनिसिपल प्रासीक्यूटर द्वारा की जाती है जो निगम का पूर्णकालिक कर्मचारी होता है। ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी कर देने के मामले में दिल्ली नगर निगम अपने वकील के जरिये उच्च न्यायालय में अपील दायर करता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मामलों में नगर निगम ने सन् 1973 के बीच वकीलों को उच्च न्यायालय में अपीलों/पुनरीक्षणों की पैरवी हेतु 13230.31 रुपये दिये हैं। नई दिल्ली नगर पालिका ने "बार" के किसी भी वकील की सेवाएं नहीं ली हैं।

(घ) 1973 के बीच दिल्ली नगर निगम द्वारा सजा को बढ़ाने के लिये 18 पुनरीक्षण मामले दायर किये गये जिसमें से 10 को खारिज कर दिया गया, एक को उच्च न्यायालय में भेज दिया गया शेष 7 अभी अनिर्णीत पड़े हैं। जहां तक नई दिल्ली नगर पालिका का संबंध है, इन्होंने 8 अपीलें दायर की जिनमें से तीन तो नगर पालिका के पक्ष में गई हैं और शेष अभी तक सेशन कोर्ट में चल रही हैं। दिल्ली छावनी ने सेशन कोर्ट में कोई अपील/पुनरीक्षण दायर नहीं किया है।

गत तीन वर्षों में उर्वरकों का आयात

3981. **श्री मार्तण्ड सिंह: क्या पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने उर्वरकों का आयात किया गया और किन देशों से आयात किया गया;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में कितने उर्वरक आयात करने का विचार है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी; और

(ग) क्या कुछ देशों से प्राप्त होने वाले उर्वरकों की सप्लाई अपर्याप्त है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) परिशिष्ट-1 में एक विवरण पत्र प्रस्तुत है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9503/74]**

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयात की जाने वाली प्रस्तावित उर्वरक की मात्रा पौष्टिक तत्व के रूप में 10.44 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन, 3.77 लाख मीटरी टन फास्फेट और 4.09 लाख मीटरी टन पोटाश है। इसके लिए आवंटित विदेशी मुद्रा 243.91 मिलियन डालर है।

(ग) वर्ष 1973-74 में पूर्ति मंत्रालय द्वारा 18.42 लाख मीटरी टन की कुल मात्रा के लिए ठेके किये गये थे। किन्तु तेल संकट के कारण कुछ सप्लायरों ने मूल्यों एवं माल-सुपुर्दगी की अवधियों को बढ़ाने की मांग की है। सप्लायरों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श किया जाता है ताकि ठेकों की शर्तों के अनुसार सप्लाई सुनिश्चित हो सके।

किन्तु, कुछ सप्लायर ऐसे हैं जिन्होंने अनिवार्य-बाध्यता की शर्त का संकेत किया है और उनकी ओर से सप्लाई होना अनिश्चित है। लगभग 97,000 मीटरी टन उर्वरक की मात्रा शामिल है। सप्लायरों की ओर से देय उर्वरक की मात्राओं को प्राप्त करने के लिये सरकार उनसे सम्पर्क बनाये हुए है।

लघु उद्योग विकास आयुक्त द्वारा ई०सी० ग्रड के एल्यूमिनियम की मांग

3982. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विकास आयुक्त ने वर्ष 1974-75 के लिए लघु क्षेत्र में केबिल और कन्डक्टर उद्योग के लिए दो शिफ्टों के आधार पर ई० सी० ग्रेड के 1,20,000 टन एल्यूमिनियम की मांग की है;

(ख) उन्हें कितनी मात्रा में इसका आवंटन किया गया तथा किस आधार पर किया गया;

(ग) डी० जी० टी० डी० के यूनिटों ने इसकी कितनी मात्रा में मांग की थी और उन्हें कितनी मात्रा में तथा कितनी क्षमता पर इसका आवंटन किया गया; और

(घ) लघु उद्योगों और डी० जी० टी० डी० यूनिटों को कच्चे माल के आवंटन के बारे में सरकार की क्या नीति है और क्या सरकार इन दोनों को समान आधार पर कच्चा माल आवंटित कर रही है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ). 1974-75 के लिए ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम का आवंटन हाल ही में किया गया। इसके लिए 1974-75 में ई० सी० ग्रेड सहित एल्यूमिनियम के संभावित उत्पादन प्रायोजी प्राधिकरणों द्वारा बताई गई मांग के आंकड़ों तथा पूर्व में किए गए आवंटनों को ध्यान में रखा गया है। लघु क्षेत्र के लिए आवंटन को बढ़ाने के प्रश्न पर तभी विचार किया जायेगा जब बिजली की कटौतियां समाप्त हो जाएंगी, धातु के उत्पादन में वृद्धि होगी और इस क्षेत्र की सप्लाई की गई धातु की क्षमता और उपयोग के बारे में ठीक-ठीक जानकारी मिल जाएगी।

मोती नगर स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय का स्थानान्तरण

3983. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार निगोजन** मंत्री 27 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4346 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोती नगर स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय को सम्पदा निदेशालय द्वारा उपयुक्त पाये गये स्थान पर स्थानान्तरित करवाने के संबंध में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थान का ब्यौरा क्या है और यह औषधालय बेहतर स्थान पर कब तक स्थानान्तरित किया जा सकेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रायल में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : **(क) तथा (ख).** मोती नगर स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय को पहले एक प्राइवेट मकान में ले जाने का विचार था किन्तु प्रशासनिक तथा कानूनी कठिनाइयों के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो पाया।

Coal Stocks at Pitheads of Madhya Pradesh Coal Mines

3984. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether there has been a shortage in the coal stocks at the pitheads of coal mines in Madhya Pradesh during 1972-73; and

(b) if so, the facts in this regard and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) and (b). In view of the nature of stacking of coal in the open space in and around the colliery, there do occur some cases of theft. All such cases including movement of coal stocks from the colliery without authorised permits are enquired into promtply and appropriate action taken. The Coal Mines Authority Ltd. also ensures safety of stocks by regular measurement of such stocks by independent surveyors and all shortages over 5% are properly investigated and necessary action taken. This system, by and large, is felt adequate to enforce security of stocks.

रक्षा मंत्रालय में कर्मचारी

3985. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों की संख्या के बारे में 29 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2674 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रक्षा मंत्रालय में काम करने वाले 269 अस्थाई कर्मचारियों में ऐसे अस्थाई कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो पांच वर्ष से अधिक समय से वहां काम कर रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : 20, श्रीमन् ।

Request to participants of Islamic Conference not to raise issues regarding Indian Sub-Continent

3986. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of countries which agreed to India's request made in her letter to Muslim countries participating in the Islamic Conference in Pakistan to the effect that no issue regarding this sub-continent be raised therein; and

(b) the number of the countries to which the letter was sent ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) & (b). No such letter was sent to any country. However, Government's views are well known about the inadvisability of such conference dealing with matters which are the subject of direct negotiations between India and the countries in the sub-continent.

कलामासरी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में कर्मचारी और उनके वेतनमान

3988. **श्री वयालार रवि** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलामासरी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स यूनिट में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, उनका श्रेणीवार ब्यौरा क्या है तथा उनके वेतनमान क्रमशः क्या-क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० कलामासरी में 30 सितम्बर, 1973 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 2325 है। श्रेणी वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

श्रेणी	संख्या	ग्रेड
1. पर्यवेक्षीय	339	रु० 400-700 और इससे अधिक
2. लिपिक वर्ग	229	रु० 190-340 से रु० 290-550
3. कुशल और अर्ध कुशल	1486	
4. अकुशल	134	रु० 110-165 से रु० 160-285
5. अन्य	137	

सैन्ट्रल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट फार इंस्ट्रक्टर्स, मद्रास के कर्मचारियों द्वारा गृह निर्माण ऋण के लिए आवेदन-पत्र

3089. **श्री एस०ए० मुरूगन्तम्** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट फार इंस्ट्रक्टर्स, मद्रास के कर्मचारियों से अप्रैल, 1973 के बाद गृह-निर्माण ऋण के लिए बहुत से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ग) कितने आवेदन-पत्र स्वीकार किए गए और गृह निर्माण के लिए उन्हें कितना ऋण दिया गया ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) और (ख). रोज़गार व प्रशिक्षण महा-निदेशालय के मुख्यालय में केवल तीन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

(ग) भू-खंड खरीदने हेतु 5,000 रुपए की राशि के लिए एक आवेदनपत्र स्वीकार किया गया है और इस राशि का भुगतान किया जा चुका है।

प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रावास अधीक्षक

3990. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम्** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षकों के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय, अग्रेतर प्रशिक्षण संस्थान, फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान और कर्मचारी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान में नियुक्त छात्रावास-अधीक्षकों की संख्या वास्तविक आवश्यकता से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या उनके लिए काम के घंटे निर्धारित किये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) केन्द्रीय महिला अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली; उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास तथा केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता के लिए किसी छात्रावास-अधीक्षक के पद की आवश्यकता नहीं है। अन्य संस्थानों के लिए छात्रावास-अधीक्षकों के पदों की संख्या और उन पर नियुक्ति व्यक्तियों की संख्या मानकों के अनुसार है और पर्याप्त है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ; और

(ग) उनके लिए सामान्य कार्य-घंटों के अलावा कोई अलग से कार्य-घंटे निर्धारित नहीं किए गए हैं। चूंकि उनकी सेवाओं की छात्रावास में किसी समय आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए उनके लिए संस्थानों के परिसर में ही मुफ्त आवास की व्यवस्था की गई है।

नई राष्ट्रीय मजूरी नीति

3991. **श्री चन्द्र शेखर सिंह**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार नई मजूरी नीति कब तक घोषित कर देगी ; और

(ख) मजूरी सम्बन्धी योजना आयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). योजना आयोग के सदस्य प्रो० एम० चक्रवर्ती, की अध्यक्षता में गठित समिति ने मजदूरी सम्बन्धी नीति पर एक अंतरिम रिपोर्ट दी है। इस मामले में निर्णय अभी किए जाने हैं। तथापि जैसा कि इस समिति ने सिफारिश की है, प्रथम प्रयास के रूप में, श्रम मंत्रालय में एक मजदूरी सैल स्थापित की गई है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयातों का प्रस्तावित केन्द्रीयकरण

3993. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी**: क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से उर्वरकों के आयात का केन्द्रीकरण करने की घोषणा के बावजूद, इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

(ख) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम इस समय केवल 25 प्रतिशत आयात कर रहा है जबकि बाकी आयात पूर्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस विषय पर पुनर्विचार किया जा रहा है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सरकार खनिज और धातु व्यापार निगम जैसे एक एकाकी संस्था के माध्यम से उर्वरकों के आयात-कार्य के केन्द्रीयकरण के बारे में ब्यौरों को तैयार कर रही है। किन्तु वर्तमान तेल स्थिति और कच्चे माल की अनुपलब्धि के कारण विश्व बाजार में उर्वरकों की बहुत कमी हो गई है और सरकार के सर्वोपरि हितों में खरीद की वर्तमान व्यवस्था को, किसी प्रकार का परिवर्तन किये बिना, कुछ और समय के लिए चालू रखा गया है।

खनिज और धातु व्यापार निगम पूर्वी योरुप के देशों और ट्रेड प्लैन्ज (व्यापार योजनाओं) के अन्तर्गत रुपया मुद्रा में अदायगी से संबंधित क्षेत्रों से उर्वरकों का आयात कर रहा है ; जो लगभग सम्पूर्ण आयात का 25 प्रतिशत है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की उन्हें 'वर्कमैन' मानने के लिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने की मांग

3994. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने उन्हें 'वर्कमैन' मानने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्तावत औद्योगिक सम्बन्ध विषयक विधान को ध्यान में रखते हुए यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

महाराष्ट्र के औद्योगिक कारखानों में कच्चे माल और मोटरों के अतिरिक्त पुर्जों की कमी

3995. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र राज्य में मोटरों के अतिरिक्त पुर्जों की अत्यधिक कमी है और इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक एककों को कच्चे माल की सप्लाई एक-एक कर और अपर्याप्त मात्रा में की जा रही है; और

(ख) क्या सरकार ने स्थिति सुधारने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मोटर गाड़ियों के कुछ श्रेणी के फालतू पुर्जों की कमी है। कमी के मुख्य कारण बिजली और कच्ची सामग्री की कमी तथा कुछ श्रेणियों के बारे में निर्माण क्षमता पर नियंत्रण होना है। परिस्थिति से निबटने के लिए सरकार ने सभी संकटग्रस्त क्षेत्रों में विद्यमान एककों का विस्तार और नये एककों की स्थापना करके अतिरिक्त क्षमता की अनुमति दी है।

सरकारी उपक्रमों को हुए लाभ

3996. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री मधु लिमये :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य कर रहे अनेक सरकारी उपक्रम अब लाभ में चलने लगे हैं और उन्होंने वित्तीय वर्ष 1973-74 के प्रथम दस महीनों में लाभ कमाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों के नाम क्या हैं और प्रत्येक एकक ने 1972-73 की तुलना में कितना लाभ कमाया और प्रत्येक एकक ने वास्तव में कितनी प्रगति की है; और

(ग) उन एककों के नाम क्या हैं जो उपर्युक्त एककों के विपरीत लाभ कमाने में असफल रहे हैं और उक्त अवधि में उन एककों को कितनी हानि हुई और उनको लाभप्रद बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के प्रथम दस महीनों में भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के एककों में हुए लाभ-हानि से संबंधित वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, 1972-73 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में (क्योंकि इस बीच फरवरी के उत्पादन आंकड़े भी उपलब्ध हो गए हैं) अप्रैल, 1973 से फरवरी, 1974 तक की अवधि में इन एककों की कार्य कुशलता निम्नलिखित तालिका में दी गयी है :—

(रुपये लाखों में)

	वास्तविक उत्पादन अप्रैल, 72 से फरवरी, 73 तक	वास्तविक उत्पादन अप्रैल, 73 से फरवरी, 74 तक	प्रतिशतता में वृद्धि
1. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन . .	4432	5065	11.4
2. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन	892	1166	31
3. भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसेल्स .	379	835	120
4. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि० . .	244	408	68
5. तुगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लि० .	167	210	26
6. जेसेप एण्ड कं० .	1443	2128	47
7. ग्रेशम एण्ड क्रेवन (इं०) लि०	71	95	34
8. ब्रेथवेड एण्ड कं० (इं०) लि० .	696	923	33
9. रिचार्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०	505	538	6
10. मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	81	121	49
11. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० . .	2530	3214	27
12. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० एण्ड हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इं०) लि०	10,799	19,035	87
	22,239	33,738	52

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अप्रैल, 1973 से फरवरी, 1974 की अवधि में सरकारी क्षेत्र के एककों के उत्पादन में 115 करोड़ रुपये अथवा 1972-73 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 52 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इसे कार्य में सुधार का सूचकांक माना जा सकता है।

निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1972-73 की अवधि में सरकारी क्षेत्र के एककों में हुए लाभ/हानि और 1973-74 की अवधि में पूर्वानुमानित लाभ/हानि दी गई है :—

(रुपये लाखों में)

	वर्ष 1972-73 के दौरान हुई लाभ (+) हानि (-)	1973-74 के दौरान पूर्वानुमानित लाभ (+) हानि (-)
1. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन . .	(-) 1656.98	(-) 800.00
2. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०	(+) 12.42	(+) 5.00
3. भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसेल्स लि० .	(-) 85.86	(-) 51.00

1	2	3
4. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	(−) 52.00	(−) 42.00
5. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०	(+) 5.46	(+) 6.25
6. जेसेप एण्ड कं० लि०	(−) 5,43.00	(−) 4,32.00
7. ग्रेशम एण्ड क्रेवन	(−) 15.00	(−) 14.50
8. ब्रेथ वेट्स	(−) 3,55.00	(−) 506.00
9. रिचार्डसन एण्ड क्रूडास	(−) 40.00	लाभ-हानि रहित स्थिति
10. मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	(−) 27.00	(−) 23.80
11. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० एण्ड हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इं०) लि०	(+) 13,28.00	(+) 26,00.00
12. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	(+) 75.85	(+) 75.00
13. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इं०) लि०	(+) 2.00	(+) 7.50
14. इंडियन कंसोर्टियम फार पावर प्रोजेक्ट्स	(+) 0.87	(+) 7.00
शुद्ध लाभ/हानि	(−) 13,30.50	(+) 8,01.72

अपर्युक्त तालिका से पता लगता है कि जिन एककों में वर्ष 1972-73 की अवधि में लाभ हुआ है उनके लाभ में चालू वर्ष के दौरान कुल मिलाकर वृद्धि हुई है और जिन एककों में हानि हो रही थी उनकी हानि में चालू वर्ष के दौरान पर्याप्त कमी हुई है।

सरकारी क्षेत्र के एककों की कार्यकुशलता में यह सुधार भारी अड़चनों जैसे बिजली की अपर्याप्त सप्लाई, परिवहन के लिए माल गाड़ी के डिब्बों की अनियमित उपलब्धता से कोयले/कोक की सप्लाई में कमी और देश के विभिन्न भागों में हुई बार-बार क्षमिक अशान्ति के बावजूद आ है फिर भी मंत्रालय ने उत्पादिता में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं जैसे वस्तु सूची पर और अच्छा नियंत्रण उत्पाद-मिश्र को युक्ति पूर्ण बनाना, प्रबंध का व्यवहारिकीकरण करना और संयंत्रों में प्रोत्साहन योजनायें लागू करना। मंत्रालय द्वारा उठाये गये कदमों के परिणामस्वरूप आशा है कि पिछले वर्ष के 13.31 करोड़ रु० के कुल घाटे से इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के एकक 73–74 में 8 करोड़ रु० का कुल लाभ कमायेंगे।

केन्द्रीय सरकार के एक दल द्वारा 'इस्पात संकट' का घटनास्थल पर अध्ययन

3997. **श्री एम० एस० पुरती**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के किसी सरकारी दल ने देश में 'इस्पात संकट' का घटनास्थल पर अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी, नहीं। यदि अभिप्राय वर्तमान वित्त वर्ष में इस्पात के उत्पादन की कमी से हैं, तो इसके कारणों का पता लगा लिया गया है और संबंधित अभिकरणों से परामर्श कर के उचित उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

(ख) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बहु-राष्ट्रीय निगम के बारे में राष्ट्र संघ के दल की रिपोर्ट

3998. **श्री बेकारिया**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विचारार्थ रिपोर्ट को तैयार करने के लिये बहु-राष्ट्रीय निगम संबंधी राष्ट्र संघ के दल की फरवरी, 1974 में नई दिल्ली में बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई रिपोर्ट में वर्णित तथ्य और उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बहु-राष्ट्रीय निगमों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों का एक संयुक्त राष्ट्रीय दल नियुक्त किया था। आशा है कि अन्य बातों के साथ-साथ यह दल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा। महासचिव द्वारा अपनी टिप्पणी एवं सिफारिशों के साथ इस दल की रिपोर्ट आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के जेनेवा में 3 जुलाई से 2 अगस्त, 1974 तक होने वाले 57वें सत्र में और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश की जाएगी। इस दल की बैठकें न्यूयार्क और जेनेवा में हुईं और अपेक्षाकृत एक छोटे प्रारूप-निर्मात्री दल की बैठकें रोम तथा नई दिल्ली में हुईं। रिपोर्ट पूरी करने के लिए दल का अंतिम सत्र न्यूयार्क में 25 मार्च से 5 अप्रैल, 1974 तक होगा। दल की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों को दल की रिपोर्ट उपलब्ध किए जाने पर ही विवरण ज्ञात होंगे।

वास्तविक उपभोक्ताओं की आयात हकदारियों के मूल्य में वृद्धि

3999. **श्री धामनकर**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग एककों की कठिनाइयों को समझा है और लौह धातुओं और नरम इस्पात के संबंध में लघु क्षेत्र में वास्तविक उपभोक्ताओं की आयात हकदारियों के मूल्य में 25 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार लघु क्षेत्र के अन्य एककों के संबंध में सहानुभूति पूर्ण रुख अपनाने और अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में दुर्लभ कच्चे माल के मूल्यों में तीन गुना वृद्धि को देखते हुए आयातित वस्तुओं के मूल्य की बजाये, सीमित करने वाले तत्व के रूप में, यात्रा को आधार मानकर रिलीज आर्डर जारी करने का है; और

(ग) क्या पहले जारी किये गये रिलीज आर्डरों में तदनुसार परिवर्तन करने का विचार है ताकि लघु उद्योग एकक अपनी आंकी गई उत्पादन क्षमता के आधार पर पूरी मात्रा प्राप्त कर सकें?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

लोहे और तांबे की छीलन का पुनः उपयोग

4000. **श्री बंसत साठे**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोहे और तांबे का अधिकाधिक उपयोग किये जाने के लिये विशेषज्ञों ने उन धातुओं की बेकार छीलन का पुनः उपयोग किये जाने की संभावना की जांच कर ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) इस्पात पिण्ड/बिलेट और स्टील की ढली हुई वस्तुओं के उत्पादन के लिए रद्दी लोहे के पुनः उपयोग के लिए पहले ही काफी क्षमता स्थापित की जा चुकी है। वास्तव में देश में अपलब्ध स्क्रैप की अपेक्षा स्क्रैप पिघलाने की क्षमता काफी अधिक है और रद्दी लोहे और बिजली जैसे आवश्यक आदानों की उपलब्धि को देखते हुए इस उद्योग के विकास को विनियमित किया जा रहा है। देश में तांबे की छीलन की कुल मात्रा का स्वयं उत्पादन करने वाले उद्योगों द्वारा पुनः उपयोग किया जा रहा है।

सोने तथा चान्दी समेत कच्ची धातुओं के मूल्यों का निर्धारण

4001. **श्री आर० एन० बर्मन**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सोने और चांदी सहित अपरिष्कृत धातुओं के मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी घोषणा कब तक किये जाने की संभावना है तथा अपरिष्कृत धातुओं के मूल्यों के निर्धारण के क्या कारण हैं; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक सोने और चांदी सहित धातुओं के मूल्य निर्धारित किये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) से (ग) देश में उत्पादित सीसा, जस्ता और एल्यूमिनियम के मूल्य समय-समय पर देशी निवेश-लागत और आयातित कच्चे माल आदि के मूल्य को ध्यान में रख कर तय किए जाते हैं। खुले बाजार में बिकने वाले तांबा, सोना और चांदी के मूल्य सरकार द्वारा तय नहीं किए जाते अपितु मांग और पूर्ति के आधार पर तय होते हैं।

Expenditure on Indian Delegation to Tehran

4002. **Shri Chandulal Chandrakar :**
Shri Chandra Bhal Mani Tewari :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred by India on the Indian delegation which went to Tehran on the 20th February to participate in the meeting of the Indo-Iran Joint Commission; and

(b) the break-up of the expenditure incurred ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) Rs. 55,000.00 (approximate).

(b)

Air fare etc.	Rs. 37,000.00
Gifts/presents	Rs. 11,000.00
Daily Allowance	Rs. 1,500.00
Entertainment & tips	Rs. 5,500.00

पोतेरू सिंचाई और पुनर्वास योजना के अंतर्गत माना कैम्प के कृषक परिवारों का पुनर्वास

4003. **श्री गजाधर माझी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोतेरू सिंचाई एवं पुनर्वास योजना में माना कैम्प के 10,000 कृषक परिवारों का पुनर्वास सम्मिलित है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दण्डकारण्य परियोजना की रुपरेखा क्या है; और

(ग) इस मामले में उड़ीसा राज्य द्वारा क्या सहायता दी गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां। योजना अभी विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) परियोजना के दो भाग हैं, अर्थात् (1) सिंचाई परियोजना और (2) पुनर्वास परियोजना। परियोजना की कुल लागत 41.85 करोड़ रुपये है ।

सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत 1,50,000 एकड़ भूमि आएगी जिसकी पूर्ण लागत भारत सरकार द्वारा वहन करने का प्रस्ताव है। पुनर्वास परियोजना के अधीन, पोतेरु सिंचाई परियोजना के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 40,000 एकड़ खेती योग्य भूमि उड़ीसा सरकार द्वारा दी जाएगी जिस पर 10,000 कृषक परिवारों और 1,000 गैर कृषक परिवारों को बसाने का प्रस्ताव है। 40,000 एकड़ भूमि देने के अलावा, उड़ीसा सरकार ने 15.75 लाख रुपये की सीमा तक पानी की नालियों की अनुपातिक लागत को वहन करने की सहमति दे दी है।

सिंचाई परियोजना को राज्य सरकार द्वारा और पुनर्वास परियोजना को दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।

Sale of Adulterated Vegetable Ghee and Edible Oils

4004. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Min ister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of cases of sale of adulterated vegetable ghee and edible oils detected during the last six months;

(b) the number of licence holders/sellers out of them and the action taken against them;

(c) the types of diseases likely to be caused by taking these commodities as per results of the tests carried out on the seized vegetable ghee and edible oil; and

(d) the action taken by Government to check such ill practices and to make people aware of the diseases to be caused by taking them ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) to (d) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Adulterated Commodities Available in the form of Powder

4005. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of cases of sale of adulterated commodities available in the form of powder detected during the last three months;

(b) the names of the stuffs mixed in the said food-stuffs which are available in powder form on the basis of the test carried out on the seized adulterated commodities;

(c) the names of the diseases likely to be caused as a result of consuming them; and

(d) the steps taken to prevent it and to make the public known of it ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) to (d) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

मिलावटी तथा घटिया औषधियों का उत्पादन

4006. **हरि प्रसाद शर्मा :** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार भारत स्थित भेषज तथा औषध निर्माता कारखानों द्वारा मिलावटी और घटिया औषधियों तथा दवाइयों के उत्पादन के कितने मामले पाए गए;

(ख) इन मामलों में जिन उत्पादकों का हाथ था अथवा जिनके हाथ होने का शक था उनके नाम क्या हैं;

(ग) उन उत्पादकों के नाम क्या हैं जिन पर मुकदमा चलाया गया तथा इन मामलों में दोषी पाया गया तथा कितने मामलों में मुकदमा समाप्त कर दिया गया तथा उन उत्पादकों के नाम क्या हैं जिनका वाद वाले मामलों में हाथ हैं; और

(घ) जीवन रक्षक औषधियों तथा दवाइयों में मिलावट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) नकली और घटिया किस्म की दवाइयों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिये केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनका एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6504/74]**

मार्टिन वर्न संगठन को नियंत्रण में लेना

4007. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ मरकन्टाइल एम्पलाइज यूनियन और बर्न श्रमिक कर्मचारी को-ओर्डीनेशन कमेटी ने सरकार से अनुरोध किया है कि बर्न एण्ड कम्पनी तथा इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी को अपने नियंत्रण में लेने के साथ-साथ समस्त मार्टिन बर्न संगठन ग्रुप को अपने नियंत्रण में ले लिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) बर्न श्रमिक कर्मचारी सहयोग समिति का एक प्रतिनिधिमण्डल केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री से मिला और उनसे समस्त मार्टिन बर्न संगठन को अपने अधिकार में लेने का अनुरोध किया। किन्तु उनको यह स्पष्ट बताया गया था कि मे० बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड और मे० इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड का प्रबन्ध ग्रहण करने का निर्णय देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए इन दो कम्पनियों द्वारा बनाई जा रही वस्तुओं के महत्व और इन वस्तुओं का उत्पादन जारी रखने और उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया गया था। इस प्रकार समस्त मार्टिन बर्न संगठन को इसके सम्पिण्डित व्यापार और गैर-निर्माण-कार्यों सहित अधिकार में लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन पत्तन के हड़ताली श्रमिकों की मांग

4008. **श्री सी० एच० मोम्महद कोया :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन श्रमिकों की मुख्य मांगें क्या हैं जिन्होंने हाल में कोचीन पत्तन पर हड़ताल की थी;

(ख) इस संकट को टालने के लिए विभाग ने क्या कार्यवाही की थी ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जिन श्रमिकों ने कोचीन पत्तन में 15-2-1974 से हड़ताल की, उनकी मुख्य मांगें पंजीकृत गोदी श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को तथा कोचीन पत्तन में घोषित की गई आपात् स्थिति को वापस लेने से सम्बन्धित थीं।

(ख) यह हड़ताल बिजली की सी तेज़ी के साथ हुई और हड़ताल का नोटिस हड़ताल के शुरू होने के बाद प्राप्त हुआ था। कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड के अध्यक्ष और सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), अर्नेकुलम ने श्रमिकों को सामान्य स्थिति बहाल करने की सलाह दी। केरल के मुख्य मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में हुए एक समझौते के पश्चात् 19-2-1974 से सामान्य कार्य पुनः शुरू कर दिया गया।

दिल्ली पुलिस द्वारा नर्सों का घेराव और उन्हें पीटा जाना

4009. **कुमारी कमला कुमारी**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस वालों ने जनवरी, 1974 में दिल्ली में लगभग एक दर्जन नर्सों का घेराव किया और उन्हें पीटा था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में पुलिस वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

'अपोला' स्कूटर के लिये अग्रिम जमा राशि के बारे में भरतपुर स्थित प्रजा सहकारी उद्योग की जांच

4010. **श्री शशि भूषण**: क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अपोलो' स्कूटर के लिये अग्रिम जमा राशि के बारे में भरतपुर स्थित प्रजा सहकारी उद्योग की जांच की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) क्या जिन प्रत्येक व्यक्तियों ने 250 रुपयों की राशि जमा कराई थी उनको पूरी अथवा आंशिक राशि अब तक वापिस कर दी गई है; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जिन गरीब व्यक्तियों ने इस कम्पनी में धनराशि जमा की थी उनकी सहायता करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह मामला अभी भी न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा है। न्यायालय द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् धन राशि वापिस करने के प्रश्न की जांच की जायेगी।

पंजाब में भारी औद्योगिक कारखाने

4011. **श्री महेन्द्र सिंह गिल**: क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पंजाब में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने भारी उद्योग कारखाने स्थापित किये जाने की मंजूरी दी गई; और

(ख) इनकी किन-किन स्थानों पर स्थापना की गई तथा इनमें राज्य का सहयोग कितना-कितना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राज्य क्षेत्र में, मे० पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड, चंडीगढ़ को ग्राम मोहाली (चडीगढ़ के निकट) में एक कृषि ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने के लिये दिनांक 10 नवम्बर, 1971 को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है। इस कम्पनी में पंजाब औद्योगिक विकास निगम के 41 प्रतिशत, सरकारी वित्तीय संस्थाओं के 50.2 प्रतिशत हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के 7 प्रतिशत और जनता से 1.8 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं।

गैर सरकारी क्षेत्र में मे० बाइफोर्ड ट्रैक्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली को ग्राम मोहाली (चडीगढ़ के निकट) में कृषि ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये 10 जनवरी, 1972 को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था और मे० परफेक्ट ट्रैक्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के पटियाला स्थित उनके विद्यमान उपक्रम में कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये 20 मई, 1971 को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। इन एककों में से किसी में भी राज्य को साझीदार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लघु क्षेत्र को ई०सी० ग्रेड एल्यूमिनियम का आबंटन

4012. **श्री भालजी भाई अरमार:**

श्री सोमचन्द सोलंकी:

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु क्षेत्र के आल एल्यूमिनियम कंडक्टर/एल्यूमिनियम कण्डकटर्स स्टील रीइफोर्सड कण्डक्टर उद्योग को केवल 25,000 टन ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम आंवटित किया गया जबकि दो पारी के आधार पर 1,00,000 टन एल्यूमिनियम की मांग की गई थी और डी०जी०टी०डी० एककों के 60,000 टन एल्यूमिनियम आवंटित किया गया जबकि 1,00,000 टन एल्यूमिनियम की मांग की गई थी;

(ख) क्या बिजली की कटौती के कारण सरकार ने वर्ष 1973-74 में इस धातु के नियतन में डी०जी०टी०डी० के एककों के मामले में 50 प्रतिशत तथा लघु क्षेत्र के एककों के मामले में 40 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय किया है;

(ग) क्या उत्पादकों द्वारा एल्यूमिनियम की इस घटी हुई मांग की भी सप्लाई नहीं की जा रही है तथा वे 1972-73 के लिए नियतन में से 1973 में सप्लाई किये गये एल्यूमिनियम की मात्रा की 1973-74 के कोटे से कटौती कर रहे हैं; और

(घ) क्या लघु क्षेत्र को नियतन के अनुसार एल्यूमिनियम सप्लाई कराने के लिए सरकार कोई प्रयत्न कर रही है ।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख) आरम्भ में वर्ष 1973-74 के लिए छोटी इकाइयों के लिए 25,000 टन तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय के लिए 75,000 टन का आवंटन किया गया था। परन्तु, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्रद्रावकों पर लागू की गई भारी बिजली कटौतियों के कारण एल्यूमिनियम का वास्तविक उत्पादन काफी कम हुआ अतः आरम्भिक आवटनों में क्रमशः 60 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत तक की कमी की गई।

(ग) और (घ) प्राथमिक उत्पादकों से कहा गया है कि वे संशोधित आवंटनों के अनुसार शीघ्र पूर्ति करने का सुनिश्चय करें। बिजली कटौतियां समाप्त हो जाने, एल्यूमिनियम के उत्पादन में वृद्धि होने तथा क्षमता, मांग और सप्लाई की गई धातु के वास्तविक उपयोग के सम्बन्ध में ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध होने पर विभिन्न इकाइयों को धातु की पूर्ति बढ़ा दी जाएगी।

केरल में छपाई एवं कागज कटाई की मशीनों का कारखाना आरंभ करने के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र

4014. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने केरल में छपाई और कागज कटाई की मशीनों का कारखाना आरम्भ करने के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र दिया है;

(ख) आवेदन-पत्र कब प्राप्त हुआ; और

(ग) लाइसेंस दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) छपाई मशीन एक अनुसूचित उद्योग नहीं है अतः इसके लिये आशय-पत्र या औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते । फिर भी, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स 1973 से अपने कलामस्सेरी स्थित एकक में छपाई मशीनों का निर्माण कर रहा है।

Proposal for Town Hall and Library in Danapur Cantonment

4015. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether there is neither any town hall nor any library in Danapur Cantt. despite its being a Class I Board;

(b) whether the said Board has sent any proposal to him in this regard and if so, the outlines thereof ; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J.B. Patnaik) : (a) Yes, Sir. The Cantonment Board is, however, maintain a small public reading room since August, 1972.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

सीमेंट संयंत्रों के लिये मशीनों और उपकरणों के उत्पादन के लिये सहयोग पर प्रतिबंध

4016. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री पी०ए० स्वामिनाथन् :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट संयंत्रों के लिये मशीनों और उपकरणों के उत्पादन के लिये कम्पनियों से सहयोग किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, नहीं । फिर भी सरकार निश्चित समय सीमा के अन्दर सहयोग करारों को रोकने के लिए सक्रियरूप से प्रयास कर रही है।

Recognition of All-India Provident Fund Employees Federation

4017. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether All-India Provident Fund Employees Federation has been granted recognition; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) Verification of membership of the two Federations namely the All India Provident Fund Employees Federation and the Progressive Provident Fund Employees Federation of India functioning in the Central Provident Fund Organisation, as per procedure laid down under the Code of Discipline, is still in progress.

मिस्र के राष्ट्रपति का दौरा

4019. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्र के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है और उससे क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। मिस्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति 24-25 फरवरी, 1974 को भारत की यात्रा पर आये थे।

(ख) राष्ट्रपति सादात और भारत की प्रधान मंत्री के बीच आपसी हित के मामलों पर विचार विमर्श हुआ था। इसमें पश्चिम एशिया की समस्या, उप-महाद्वीप की स्थिति, गुट-निरपेक्षता आंदोलन, तेल-सम्बन्धी समस्यायें और मिस्र तथा भारत के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध के विषय भी शामिल थे। चर्चित विषयों पर दोनों नेताओं के विचारों में बहुत साम्य था।

सलेम इस्पात परियोजना पर परिव्यय में कटौती

4020. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलेम इस्पात परियोजना पर 1974-75 के लिये परिव्यय में पर्याप्त कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या परिव्यय में वृद्धि किये जाने के लिये राज्य सरकार की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) संसाधनों की सीमित उपलब्धि को देखते हुए वर्ष 1974-75 के लिए इस्पात विभाग की योजनागत परियोजनाओं के परिव्यय में कमी कर दी गई है। यह कमी खर्च को निर्धारित सीमा में रखने के लिए की गई है। इस प्रकार सलेम के परिव्यय में भी कुछ कमी होगी लेकिन वर्ष 1974-75 में खर्च की जाने वाली ठीक राशि के बारे में हिसाब लगाया जा रहा है। तथा यदि आवश्यक हुआ तो इस्पात विभाग के अधीन अन्य प्रायोजनाओं के मामलों के साथ इसकी भी समीक्षा की जायेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) 1974-75 के लिए उपलब्ध कुल राशि में से धन का आवटन करते समय राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाएगा।

खाद्य पदार्थों और दवाईयों में मिलावट के मामले

4022. **श्री सत पाल कपूर**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत वित्तीय वर्ष में 28 फरवरी, 1974 तक खाद्य पदार्थों तथा दवाइयों में मिलावट के कितने मामले सरकार को बताये गये हैं; और

(ख) उनका राज्यवार तथा संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Decision taken at Lahore Islamic Conference

4023. **Shri M.C. Daga**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state whether any decisions have been taken at the Lahore Islamic Conference which is detrimental to India's interests ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): Government are not aware of any decisions taken at the Conference detrimental to India's interests.

W.H.O. Assistance for Health

4024. **Shri M. C. Daga**: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the total amount of assistance provided by the W.H.O. during 1973-74 indicating the nature thereof and the areas for which it was intended; and

(b) the manner in and the basis on which Government allocated that assistance ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku): (a) The World Health Organisation gave assistance in the nature of experts, fellowships and supplies and equipment to the tune of $ 1,611,711 the calendar year 1973 in the following fields of Health :—

1. **Strengthening of Health Services** :—Medical, Rehabilitation, Nursing Administration, Nursing in Clinical Specialities, Strengthening of F.P. Aspects of Nursing Administration.

2. **Health Laboratory Services** :—Production of Freeze—dried Smallpox Vaccine and B.C.G. Vaccine.

3. **Family Health** :—Maternal and Child Health, Paediatric Education, Integration of Maternal and Child Health Services into General Health Services.

4. **Nutrition** :—Applied Nutrition Programme, Nutrition Training.

5. **Health Education** :—Health Education in Schools including Family Life, Assessing and Strengthening of Health Education in Family Planning.

6. **Health Manpower Development** :—Medical Education, Post Basic Nursing Education. Training Programme for Medical Officers and Trainees of Basic Health Workers. Training of Medical Education.

7. **Strengthening of Teaching of Human Reproduction** :—Population Dynamics and Family Planning in Nursing and Midwifery Education.

8. **Disease Prevention and Control Communicable Diseases Prevention** :—Epidemiological Surveillance of Communicable Diseases. Malaria and other Parasitic Diseases, Filaria Control, Smallpox Eradication.

9. **Mycobacterial Diseases** :—Leproxy Control, National Tuberculosis Control Programme.

10. Training in Veterinary Public Health.

11. **Non-Communicable Diseases** :—Prevention and Control-Cancer, Cardiovascular Diseases, Improvement of Dental Education.

12. Drug Laboratory Techniques and Biological Standardization.

13. **Promotion of Environmental Health** :—Village Water Supply, Ground Water Training Course, Solid Wasters Disposal, Prevention and Control of Water Pollution, Control of Air Pollution.

14. Occupational Health.

15. **Biomedical and Environmental Health Aspect of Ionizing Radiation** :—Training of Radiographers, Radiation Medicine Centre, Bombay Course in Hospital Physics, Public Health Engineering Education.

16. Development and Strengthening of Health Statistical Services.

The W.H.O. propose to give similar assistance amounting to $1,703,965 during the calender year 1974.

(b) The W.H.O. gives assistance according to its general programme of work for mutually agreed projects/institutions under Central of State Governments for a specific period. After the proposals are approved by the World Health Assembly and World Health Regional Committee for South East Asia, action is initiated by the W.H.O. for the recruitment of experts and procurement of supplies and equipment and these are made available to the institutions earmarked for such assistance. Fellowships provided for under the various Health Programmes are circulated by the Ministry of Health and Family Planning to the State Governments, Union Territory Administrations and other concerned institutions. Selection is made for the award of fellowships by the Selection Committee in the Ministry.

Participation in Asia-72 by Defence Production Units and Ordnance Factories

4025. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Defence Production units and Ordnance factories had participated in 'Asia-72'; and

(b) if so, the total expenditure incurred thereon ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Yes, Sir, approximately Rs. 17,27,500.

Criteria for Fixation of Coal Rates

4026. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the criteria taken into consideration while fixing the rates of coal by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : There is no statutory control imposed on the price of coal by Central Government. The State Governments have been delegated the powers under the Essential Commodities Act, 1955, to fix the prices at which coal and coke may be sold within their jurisdictions.

फ्रांस के सहयोग से युद्धपोत बनाने का प्रस्ताव

4028. श्री राम सहाय पांडेय :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्रांस के सहयोग से युद्धपोत बनाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में नकली और घटिया किस्म की औषधियों की बिक्री

4029. श्री राम सहाय पांडेय :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर नकली और घटिया किस्म की औषधियों की बिक्री की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अपराध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय बन्द पड़ी कोयला खानें

4030. डा० कर्णी सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय कितनी कोयला खानें बन्द पड़ी हुई थीं; और

(ख) इन में कितनी कोयला खानों में इस बीच काम शुरू कर दिया गया है और बाकी कोयला खानों में कब तक काम शुरू हो जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) बन्द कोयला खानों की संख्या 297 थी।

(ख) कुछ खानें कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् पुनः खोली गई हैं। यह बताना संभव नहीं है कि सभी बन्द खानें कब तक फिर से चालू कर दी जायेंगी, क्योंकि यह प्राब्द्यों-आर्थिक विचारों सहित अनेक बातों पर निर्भर करता है।

Labour Courts in Jammu and Kashmir, Haryana, Himachal Pradesh and Punjab

4031. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the number and locations of labour courts in Jammu and Kashmir, Haryana, Himachal Pradesh and Punjab at present;

(b) the number of Labour cases filed in these courts during the last three years and the number of cases disposed of so far as also the number of remaining cases;

(c) whether some trade unions have demanded setting up of more labour courts and if so, the names of the said unions and the places where setting up of more courts have been demanded; and

(d) the number of districts and tehsils and area in miles and the number of industries with more than 20 workers in each of them covered under the jurisdiction of a labour court ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) The Central Government utilises the services of State Government Tribunals/Labour Courts in different States, besides the Central Government Industrial Tribunal-*cum*-Labour Courts set up by it. No Central Government Industrial Tribunal-*cum*-Labour Court is located in the States of Jammu and Kashmir, Haryana, Himachal Pradesh and Punjab.

(c) According to the available information no such demands have been received by the Central Government.

(d) Except for purposes of Sec. 33C(2) of the Industrial Disputes Act,1947, the Central Government Industrial Tribunals-*cum*-Labour Courts have all-India jurisdiction.

Payment of E.S.I. Benefits to Employees in Himalaya Woollen Mills, Amritsar

4032. Shri Hukam chand Kachwai : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the employees of the Himalaya Woollen Mills, G.T. Road, Amritsar have been deprived of the benefits of Employees State Insurance Scheme; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : The Employees' State Insurance Corporation has furnished the following information—

(a) and (b) The employees of the Himalaya Woollen Mills were disentitled to medical care under the Employees' State Insurance Scheme on account of non-payment of contributions in respect of the employees by the employer. However, as per existing practice, the facility of medical care is restored on production of a certificate of continuing employment by the disentitled workers, notwithstanding non-payment of contributions. Cash benefit was not withdrawn by the Corporation. The employer has also now started paying the contributions.

E.P.F. Dues from Tea Plantations in Kerala

4033. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the number of tea plantations in Kerala against whom dues of Provident Fund are outstanding at present;

(b) the amount of money outstanding against each of them with names; and

(c) the steps being taken by Government to realize the money ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : The Provident Fund Authorities have reported as under :—

(a) There are 16 Tea Plantations/Tea Estates in Kerala State against which dues of Provident Fund (employers' and employees' contributions) are outstanding at present.

(b) and (c) A statement giving the information is enclosed. [Placed in the Library See No. L.T.—6505/74].

पुलिस और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा पकड़ी गयी नकली अनलजिन और प्रीडनोसोलन

4034. श्री आर० वी० स्वामीनाथन्:
श्री निहार लास्कर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा नकली अनलजिन और प्रीडनोसोलन की एक लाख गोलियां पकड़ी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके कब्जे से अन्य कौन-सी वस्तुएं मिलीं थीं

(ग) क्या इस बात का पता चला है कि देश में नकली औषधियां बनाने वाला यह एक अखिल भारतीय गिरोह है; और

(घ) यदि हां, तो उनको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्क) : (क) जी हां।

(ख) इन दवाइयों के स्टाक के अलावा लेबल और खाली डिब्बे भी मिले हैं।

(ग) यह एक अखिल भारतीय गिरोह है इसके फिलहाल कोई प्रमाण नहीं मिले हैं।

(घ) मामले पुलिस में दर्ज कर दिये गये हैं और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा इनकी छानबीन कर रही है।

जबलपुर के आयुध कारखाने के प्रशासनिक नियंत्रण को भारी उद्योग मंत्रालय को सौंपना

4035. श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :
श्री निहार लास्कर:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर के आयुध कारखाने, जो कि शक्तिमान ट्रकों का निर्माण कर रहा था, के उत्पादन ढांचे में असैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या इस एकक के प्रशासनिक नियंत्रण को भी रक्षा मंत्रालय से भारी उद्योग मंत्रालय में अन्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो किस तिथि से ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमन् । जबलपुर में व्हीकल फैक्टरी शक्तिमान ट्रकों का निर्माण करती रहेगी। तथापि, असैनिक गाड़ियों का निर्माण करने की व्यवहार्यता सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) फैक्टरी की संभावित क्षमता का उपयोग; और

(2) असैनिक आवश्यकताओं के लिए भारी मोटर गाड़ियों की बढ़ती हुई आवश्यकता पूरी करने के लिए।

(ग) फैक्टरी के प्रशासनिक नियंत्रण की रक्षा से भारी उद्योग को हस्तांतरित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में तमिलनाडु में भारी उद्योग का सर्वेक्षण

4036. श्री एम० कतामुतु :

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में तमिलनाडु में भारी उद्योग को पूरा होने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) इनमें से पूरे हो चुके भारी उद्योग कौन-कौन से हैं; और

(ग) इनमें से कौन-कौन से भारी उद्योग अभी पूरे होने बाकी हैं और वे कब तक पूरे हो जायेंगे ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारी उद्योग मंत्रालय की देख-रेख में आने वाले उद्योगों के क्षेत्र में एक मात्र परियोजना जिसे सरकार ने चौथी योजनावधि में तमिलनाडु में कार्यान्वयन के लिए लिया था, तिरुची में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हाई प्रेशर बायलर निर्माण एकक का विस्तार करना है। दिसम्बर, 1972 में इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तैयार किये गये विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन 1974 के प्रारम्भ में शुरू हो जाना था और 1100 मेगावाट की निर्धारित क्षमता 1974-75 में प्राप्त की जानी थी। परियोजना के कार्यान्वयन के सर्वेक्षण से पता चलता है कि पी०ई०आर०टी० के कार्यक्रम के अनुसार वास्तव में प्रगति होती रही है और वर्ष 1974-75 में बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार पूरा उत्पादन होने लगेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Military Recruiting Offices and Training Centres in Madhya Pradesh

4037. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of military Recruiting Offices and the number of Schools Colleges for imparting military training in Madhya Pradesh;

(b) their number in Adivasi areas; and

(c) whether Government propose to set up some more offices and schools colleges for this purpose and if so, the action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) :

(i) Sainik Schools/Colleges	**One**
(ii) Recruiting Offices	**Four**

(b) No, Sir.

(c) No such proposal is under consideration at present.

मौलाना आज़ाद मेडिकल कालेज, दिल्ली के प्लास्टिक यूनिट को मान्यता देना

4038. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री मौलाना आज़ाद मेडिकल कालेज, दिल्ली के प्लास्टिक शल्य चिकित्सा यूनिट के बारे में 10 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4060 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौलाना आज़ाद मेडिकल कालेज, दिल्ली के प्रमुख निदेशक ने मार्च, 1972 में प्लास्टिक शल्य चिकित्सा में एस०सी०एच० कोर्स के लिए प्लास्टिक यूनिट को पूरी तरह सज्जित मानते हुए इसको मान्यता देने के लिए कहा है; और

(ख) इसको मान्यता देने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्क) : (क) मौलाना आज़ाद मेडिकल कालेज, दिल्ली ने प्लास्टिक शल्य चिकित्सा में एम०सी०एच० पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिये मार्च, 1972 में दिल्ली विश्वविद्यालय से अनुरोध किया था।

(ख) चूंकि वहां जो सुविधायें मौजूद थीं वे मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा की गई न्यूनतम सिफारिशों के अनुरूप नहीं थीं इसलिए इस मामले पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई।

केबल निर्माता एककों के लिए एल्यूमिनियम का आयात

4039. श्री डी० डी० देसाई :

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम उत्पादन में कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार केबल निर्माता एककों के लिए एल्यूमिनियम का आयात करने का है; और

(ख) यदि नहीं तो केबल निर्माता एककों की एल्यूमिनियम की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) एल्यूमिनियम के आयात का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तटस्थ देश की एकता के विरूद्ध विश्व की बड़ी शक्तियों की कथित कार्यवाही

4040. **श्री एस०सी० सामन्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटस्थ देशों की एकता में दरार पैदा करने के लिए विश्व की कुछ बड़ी शक्तियों द्वारा की जा रही कार्यवाही के बारे में प्राप्त संकेतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रकार के प्रयत्नों को निष्फल बनाने के लिए भारत सहित तटस्थ देशों द्वारा सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति ने वैसे तो गुट-निरपेक्षता की नीति की वैधता को स्पष्ट कर ही दिया है लेकिन कतिपय निहित स्वार्थ वाले देशों से अपने विचार व्यक्त करते हुए गुट-निरपेक्ष देशों की नीतियों से असहमति प्रकट की है। गुट-निरपेक्ष देश, जिनमें भारत भी शामिल है, इस ओर से सजग है कि उनकी एकता में दरार डालने की कोई कोशिश सफल न हो और गुट-निरपेक्ष देशों की एकता तथा अपनी नीतियों की प्रभावकारिता बनाये रखने के लिए एक-दूसरे से निकट संपर्क बनाये रखते हैं।

कोयला खान प्राधिकरण में सरकारी अधिकारियों की पुर्नियुक्ति

4041. **श्री दामोदर पांडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान प्राधिकरण में इसकी स्थापना के समय से कितने सरकारी अधिकारियों की पुर्नियुक्ति हुई है;

(ख) क्या कुछ सेवा-निवृत्त सरकारी अधिकारियों को उच्च वेतन पर नियुक्त किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो अधिक वेतन पर इन अधिकारियों की नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में इंजीनियरिंग संवर्ग में अनेक कार्यकारी अभियन्ता

4042. **श्री दामोदर पांडे** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में इंजीनियरिंग संवर्ग में कार्यकारी अभियन्ताओं तथा उससे बड़े पदों में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हतायें क्या हैं;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या-क्या है जो कि कार्यकारी अभियन्ता या उनसे बड़े पदों पर बिना उक्त अर्हताओं के काम कर रहे हैं; और

(ग) इन पदों पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सशस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की भर्ती ।

4043. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्थल सेना, वायु सेना तथा सशस्त्र सेनाओं के असैनिक अंगों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कितने व्यक्ति भर्ती किए गए;

(ख) क्या उनको सशस्त्र सेनाओं में भर्ती करने के लिए आयु तथा अर्हताओं के मामलों में कोई रियायत छूट दी जाती है; और

(ग) क्या सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने के लिए भारतीय समाज के इन वर्गों में आकर्षण पैदा करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) (1) **सेना और वायु सेना**—ऐक विवरण संलग्न है।

(2) नौसेना और सशस्त्र सेनाओं में असैनिकों के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। यह एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) सशस्त्र सेनाओं में योद्धी के तौर पर भर्ती के लिए मिलने वाली रियायतें/छूट और इस सम्बन्ध में जो कतिपय कदम उठाए जा रहे हैं उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल०टी० 6506/74]**

सशस्त्र सेना संगठन में असैनिक पदों पर असैनिकों की भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण की औसत वही हैं जो सिविल में हैं अर्थात्—

अनुसूचित जाति	15 प्रतिशत
अनुसूचित आदिम जाति	7-1/2 प्रतिशत

चयन मानकों आदि में छूट आदि जैसी अन्य रियायतें जो सिविल में मिलती हैं वे ही सशस्त्र सेना संगठन में असैनिक पदों पर भर्ती के लिए असैनिकों को भी मिलती हैं।

नशे वाली तथा अन्य औषधियों के प्रयोग में वृद्धि

4044. **श्री एम०एस० पुरती** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नशे वाली तथा अन्य औषधियों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है; और

(ख) यदि हां; तो क्या सरकार का विचार इन औषधियों को "खतरनाक औषधियां" की कोटि में रखने का है ताकि केवल अर्हता प्राप्त डाक्टरों के लिखने पर ही वे मिल सकें ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) इस बारे में कोई सूचना नहीं है जिससे यह मालूम हो कि ऐसी औषधियों के प्रयोग में वृद्धि होती जा रही है। इस समय

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची 'ज' और 'ठ' में नशीली दवाइयां तथा साइकोट्रापिक पदार्थ शामिल हैं और किसी पंजीकृत चिकित्सक के नुस्खे पर ही इन्हें बेचा जा सकता है। "खतरनाक औषधि अधिनियम" के उपबन्धों के अधीन भी नशीली औषधियों को विनियमित किया जाता है और इनके अन्तर्गत नशीली दवाइयों के आयात, निर्यात, निर्माण, वितरण बिक्री आदि पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है।

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच वार्ता

4045. **श्री नवल किशोर शर्मा:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और आस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में औपचारिक स्तर पर वार्ता हुई थी और उसमें विदेश सचिव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था ।

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन विषयों पर वार्ता हुई; और

(ग) ऐसी वार्ता के परिणामस्वरूप भारत को कितना लाभ हुआ है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां, भारत और आस्ट्रेलिया के अधिकारियों की वार्ता का छठा दौर 27 फरवरी से 1 मार्च 1974 तक चला था । विदेश सचिव ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था ।

(ख) और (ग) यह बातचीत बहुत से अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मसलों पर हुई ।

बातचीत की समाप्ति पर जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-6507/74]**

रानीगंज खान क्षेत्र के श्रमिकों से प्राप्त ज्ञापन

4046. **श्री रागेन सेन:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रानीगंज खान क्षेत्र के श्रमिकों ने उन्हें कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों की रूपरेखा क्या है; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी, हां ।

(ख) मांग निकाले गए कामगारों को फिर से रोजगार देने के बारे में है ।

(ग) कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड के लिए यह संभव नहीं है कि वे राष्ट्रीयकरण से पूर्व नौकरी से हटाए गए कामगारों को फिर नौकरी पर ले लें । फिर भी, कालांतर में कोयला उत्पादन बढ़ने पर इन मामलों पर विचार किया जा सकता है ।

बोकारो में कच्चे लोहे का उत्पादन

4047. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र ने 10 लाख टन कच्चे लोहे का अभूतपूर्व उत्पादन किया है; और

(ख) कच्चे लोहे के वर्तमान उत्पादन से देशीय मांग की कहां तक पूर्ति होगी और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने ने 10 लाख टन गर्म धातु के उत्पादन का स्तर फरवरी, 1974 में पार कर लिया था । फरवरी, 1974 के अन्त तक कच्चे लोहे का उत्पादन 9,21,031 टन था ।

(ख) कच्चे लोहे की पर्याप्त मात्रा के उत्पादन के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है परन्तु कोयले बिजली और इस्पात कारखानों को तथा इस्पात कारखानों से बाहर माल ले जाने के लिए रेल के डिब्बों की कमी के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था । आशा है कि वर्ष 1974-75 में समस्त देशीय मांग की पूर्ति की जा सकेगी ।

फार्मेस्यूटिकल कंपनियों द्वारा रजिस्टर्ड नामों का बदला जाना

4048. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अनेक फार्मेस्यूटिकल कम्पनियां अपने कर्मचारियों, जनता और सरकार को धोखा देने के विचार से अपने रजिस्टर्ड नामों को प्राय: बदलती रहती है या अलग कम्पनियां चलाती रहती है और पहले की तरह उनका स्वामित्व और नियंत्रण बना रहता है ;

(ख) क्या इस आशय की रिपोर्ट सरकार को मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की भारतीय पद्धति को लोकप्रिय बनाना

4049. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पी० गंगा देव

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की भारतीय पद्धति को लोकप्रिय बनाया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या पांचवीं योजना की अवधि के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति का अखिल भारतीय संस्थान स्थापित किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) गांवों के लिये स्वास्थ्य योजना नामक एक मार्गदर्शी परियोजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ताकि सभी चिकित्सा-पद्धतियों के उपलब्ध चिकित्सकों को नियुक्त कर गांवों में इलाज की सुविधायें दी जा सकें ।

"गांवों के लिये स्वास्थ्य योजना के वर्तमान स्वरूप में भिन्न भिन्न चकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को शामिल करने की व्यवहार्यता का विस्तृत प्रयोगात्मक अध्ययन करने का विचार है ।

(ग) जी हां ।

श्रमिक असन्तोष के कारण एककों को हुई क्षति

4050. **श्री डी०पी० जदेजा :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान श्रमिक असन्तोष के कारण कितने एककों को क्षति हुई;

(ख) हड़तालों के कारण कितनी मासिक क्षति हुई तथा कितने जन-घंटों की क्षति हुई;

(ग) क्या इन हड़तालों के सम्बन्ध में कोई विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) आखिरी अनंतिम उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह बताया गया कि जुलाई-दिसम्बर, 1973 की अवधि के दौरान 1510 औद्योगिक विवाद हुए थे जिनके परिणाम स्वरूप काम-रोध हुए ।

(ख) से (घ) जुलाई-दिसम्बर, 1973 की अवधि के दौरान हुए विवादों की संख्या, हानि हुए श्रम दिनों की संख्या और हानि हुए उत्पादन के मूल्य संबंधी स्थिति इस प्रकार है :—

मास	विवादों की संख्या	हानि हुए श्रम दिनों की संख्या	हानि हुए उत्पादन का मूल्य (रु०)
जुलाई, 1973	437	1712430	99,976,025 (174)
अगस्त, 73	246	1445497	69,652,229 (175)
सितम्बर, 73	271	1842828	1,32,317,086 (189)
अक्तूबर, 73	230	1377349	62,398,239 (187)
नवम्बर, 73	201	1715563	57,856,821 (116)
दिसम्बर, 73	125	1206454	30,154,214 (91)
जोड़	1510	9300121	4,52,354,614 (932)

स्तम्भ (4) में कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उन विवादों की संख्या दर्शाते हैं जिनके सम्बन्ध में सम्बंधित सूचना उपलब्ध है ।

कानपुर में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा सफेद रोगन का विकास

4051. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला ने ऐसे सफेद रोगन का विकास किया है जो कि मक्खियों (हाउस फ्लाईज) के लिए घातक है;

(ख) यदि हां, तो इस रोगन की क्या और विशेषताएं हैं;

(ग) क्या यह अन्य कीटनाशक औषधियों, जैसे डी० डी० टी० इत्यादि, की भांति जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा; और

(घ) सरकार का विचार इसे किस प्रकार बिक्री के योग्य बनाने का है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) घरों में पायी जाने वाली आम मक्खियों को मारने के लिए प्रयोगशाला में एक पेंट तैयार किया गया है । इस पेंट का असर सात महीने तक रहता है ।

(ग) यह देखने के लिए कि क्या यह पेंट मनुष्य के लिए हानिकारक होगा, इसके विषवैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त विभिन्न सतहों पर इसकी कारगरता का भी जायजा लिया जा रहा है ।

(घ) इस पेंट का भारी मात्रा में उत्पादन किये जाने से पूर्व उपर्युक्त परीक्षणों के परिणामों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । यदि यह पाया गया कि यह मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है और विभिन्न सतहों पर यह कारगर है तो फिर इसे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के माध्यम से वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध किया जाएगा ।

Grant for Familly Planning

4052. **Shri Bibhuti Mishra :**

Shri P. G. Mavalankar :

Will the Minister of **Health and Fanily Planning** be pleased to state :

(a) the amount of money given to various States by Government for Family Planning purposes during 1972-73, and upto 25th February, 1974;

(b) the extent to which family planning programmes were implemented in each State; and

(c) whether success being achieved in this behalf is not commensurate with the money being spent ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) A statement showing the amount of Central Assistance given to States is attached (Statement I). [Placed in the Library. *See* No. L.T-6508/74]

(b) Two statements showing performance and the progress of the infrastructure in the States are attached (Statements II&III). [Placed in the Library *See*. No. L.T.-6508/74].

(c) Success of the programme cannot be measured in terms of money spent.

Steel for Agricultural Purposes

4053. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Union Government have asked various State Governments to submit their proposals for supply of various kinds of steel for agricultrual purposes at fixed rates; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

चेचक के उन्मूलन पर किया गया व्यय

4054. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1973-74 में चेचक के उन्मूलन पर कितना व्यय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के संचालन हेतु खर्च, सामग्री और उपस्करों के लिए शत प्रतिशत सहायता देने की व्यवस्था कर उसे केन्द्र-पोषित योजना के रूप में चलाया जा रहा है । धन राज्य सरकारों द्वारा खर्च किया जाता है और राज्य सरकारें जिस खर्च को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हों उससे अतिरिक्त खर्च होने पर उसकी प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है जिसके लिए बजट व्यवस्था भी की गई है । यह धन अस्थायी रूप से दिया जाता है और महालेखाकारों से प्राप्त होने वाले लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर इस धन का अन्तिम रूप से समायोजन करना होता है । 1973-74 में इस कार्यक्रम के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के लिए तीन करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में नियत किये गये हैं ।

मालापुरम अपहिल गोलाबारी रेंज की जगह

4055. श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालापुरम अपहिल गोलाबारी रेंज नगर के बीच में स्थित है और यह नगर जिला-मुख्यालय है ;

(ख) क्या अब इसका उपयोग गोलाबारी रेंज के रूप में किया जाता है और नगरपालिका ने गोलाबारी रेंज को वहां से हटाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पारित किया है;

(ग) क्या केरल सरकार ने सुझाव दिया है कि उपरोक्त भूमि नगर के विकास के लिए नियुक्त की जाये और उसने यह सुझाव दिया है कि सेना एम० एस० पी० के मेलमुरी स्थित गोलाबारी रेंज को उनके साथ मिलकर उपयोग करें; और

(घ) क्या इस मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : **(क) से (घ)** गोलाबारी रेंज को स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए मालापुरम नगर पालिका द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है । तथापि, केरल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । नगरपालिका का सुझाव विचाराधीन है ।

ध्वज दिवस पर एकत्र की गई राशि में कमी होना

4056. **श्री आर० एन० बर्मन:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में ध्वज दिवस पर एकत्र की जाने वाली राशि में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस प्रकार से एकत्र की गई धनराशि का उपयोग किस तरह किया जाता है; और

(घ) क्या इस प्रकार से एकत्र की गई धनराशि का हिसाब नियमित रूप से जांचा जाता है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एकत्रित की गई राशि, पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत रक्षा मंत्रालय की झंडा दिसव निधि में डाली जाती है । निधि की व्यवस्था, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बनी एक प्रबन्ध समिति करती है । भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की तकलीफों को दूर करने और सशस्त्र सेनाओं में सेवारत कार्मिकों की सुख-सुविधाओं के लिए इस निधि का उपयोग किया जाता है ।

(घ) जी हां, श्रीमन् ।

भारत पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच व्यक्तियों की स्वदेश वापसी

4057. **श्री आर० एन० बर्मन:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने पाकिस्तानी युद्धबन्दी और असैनिक नजरबन्दी भारत से, बंगाली पाकिस्तान से और पाकिस्तानी बंगलादेश से स्वदेश वापिस जाने की इन्तजार में हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): 11 मार्च 1974 को कुल मिलाकर 17381 पाकिस्तानी युद्धबन्दी तथा सुरक्षात्मक हिरासत में रखे गए असैनिक प्रत्यावर्तन के लिए रह गए थे । पाकिस्तान में बंगालियों तथा बंगलादेश में पाकिस्तानियों की, जिन्हें अभी प्रत्यावर्तित करना है, ठीक-ठीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं है ।

बैंकों और कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप औद्योगिक विवादों में कमी

4058. **श्री आर० एन० बर्मन:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों, कोयला खानों आदि के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों की संख्या में काफी कमी हुई है;

(ख) क्या औद्योगिक विवादों की संख्या में कमी के बावजूद केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र की संख्या आये दिन बढ़ाई जा रही है; और

(ग) कार्य भार का मूल्यांकन करने तथा संख्या बढ़ाने की बजाय कम करने के लिए मुख्य श्रम आयुक्त के संगठन के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) बैंकों और कोयला खानों के राष्ट्रीय करण के बाद केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क तंत्र द्वारा केन्द्रीय कार्य-क्षेत्र में संभाले गये औद्योगिक विवादों में कुछ कमी हुई है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) मुख्य श्रमायुक्त के संगठन के कर्मचारियों को रखने की स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है ।

कोयला खान प्राधिकरण के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा ज्ञापन

4059. श्री चन्द्र शेखर सिंह: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 दिसम्बर, 1973 को सरकार को कोयला खान प्राधिकरण लि० कर्मचारी संघ के अध्यक्ष की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी हां ।

(ख) यूनियन ने संरक्षण तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार की मांग की है । अकोक्कर कोयला खानों के प्रबन्ध का अधिग्रहण कर लेने के बाद कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा खपाये गए कर्मचारियों के सेवा हितों की रक्षा की गई । चूंकि ये कर्मचारी विभिन्न कोयला कम्पनियों से खपाये गए थे इसलिए उनके वेतनमानों और अन्य लाभों में अन्तर था । परन्तु वेतन-मानों और सेवा शर्तों आदि में एकरूपता लाने की दृष्टि से कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया कि वे वेतन बोर्ड के पंच फैसले अथवा केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन-मानों में से कोई एक चुन लें । इस विषय पर किसी एक अन्तिम निश्चय पर पहुंचने की दृष्टि से आजकल कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड और कर्मचारी यूनियन के बीच वार्ता चल रही है ।

गत तीन वर्षों के दौरान भारत लौटने वाले भारत मूलक लोगों की संख्या

4060. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष विभिन्न देशों से भारत लौटने वाले भारत-मूलक लोगों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) उनके द्वारा वहां पर कितनी चल और अचल सम्पत्ति छोड़ी गई; और

(ग) उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के लौटाये जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) माननीय सदस्य का तात्पर्य सम्भवतः उन भारतीय राष्ट्रिकों से है जिन्हें वित्तीय स्थिति बहुत खराब होने के कारण सरकारी खर्चे पर देश प्रत्यावर्तित किया तो जाता है किन्तु यह खर्च उनसे वसूल कर लिया जाता है । विगत तीन वर्षों में इस तरह देश प्रत्यावर्तित किए गए लोगों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है :

1971	184
1972	138
1973	141

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बीड़ी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजूरी का क्रियान्वयन

4061. श्री रण बहादुर सिंह: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मजूरी दर के सम्बन्ध में सभी सम्बद्ध राज्य सरकारों की 17 जनवरी 1973 को हुई राज्य श्रम मंत्रियों की बैठक में बीड़ी कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय को क्रियान्वित कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कौन से निर्णय अभी क्रियान्वित किए जाने हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) और (ख) 17 जनवरी, 1973 को हुई राज्य श्रम मंत्रियों की बैठक में यह स्वीकार किया गया था कि बीड़ी उद्योग में श्रमिकों की वर्तमान मजदूरियों को, कुछ राज्यों/क्षेत्रों में पहले से प्रचलित उच्चतर मजदूरियों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, 1000 बीड़ियां लपेटने के लिए उन्हें प्रतिदिन 3.25 रुपये तक लाने के लिए (प्रतिदिन 3.50 रुपये तक की घटाबढ़ी के साथ), 1 जूलाई, 1973 से संशोधित करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही आरम्भ की जाएगी। विभिन्न राज्यों में की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बीड़ी श्रमिकों की 1000 बीड़ी लपेटने के लिए मज़दूरी दरें निम्नलिखित राज्यों में संशोधित की गई हैं, जैसे कि प्रत्येक के सामने दर्शायी गई हैं :—

1. असम	3.25 रुपये	1-7-1973 से लागू।
2. गुजरात	3.25 रुपये से 4.00 रुपये तक	
3. राजस्थान	3.25 रुपये	
4. तमिलनाडु	3.25 रुपये से 3.50 रुपये तक	
5. कर्नाटक	21-7-1973 से 4.30 रुपये।	
6. उड़ीसा	1-8-1973 से 3.00 रुपये	
7. मध्य प्रदेश	25-9-1973 से 3.25 रुपये से 3.50 रुपये तक।	
8. महाराष्ट्र	1-12-1973 से 3.25 रुपये से 4.75 रुपये तक।	
9. उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन अगस्त, 1972 में 3.00 रुपये से 3.25 रुपये तक।	

अन्य राज्यों में स्थिति

1. आन्ध्र प्रदेश	राज्य सरकार ने 15-2-1974 को मजदूरी संशोधन के लिए मसौदा प्रस्ताव, आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किए हैं ।
2. बिहार	राज्य सरकार ने बीड़ी श्रमिकों की मज़दूरी के संशोधन के प्रश्न को राज्य सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया है ।
3. केरल	न्यूनतम मजूरियां 17-1-1973 को हुई राज्य श्रम मंत्रियों की बैठक में स्वीकार की गई मजदूरियों से पहले ही अधिक हैं ।
4. पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि वर्तमान मजदूरी दरें, पुरुलिया जिले को छोड़कर, राज्य श्रम मंत्रियों की बैठक में स्वीकार की गई दरों से पहले ही अधिक है । राज्य सरकार द्वारा पुरुलिया जिले में भी बीड़ी श्रमिकों की मजदूरी को संशोधित करने की कार्यवाही की जा रही है ।
5. त्रिपुरा	बताया गया है कि मजदूरी संशोधन का प्रश्न राज्य सलाहकार बोर्ड के विचाराधीन है ।

इस्पात संयंत्र की समस्यायें

4062. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्र प्राधिकारियों ने 'फैरो-मैंगनीज' उत्पादकों से कहा है कि वे कोक की किस्म में सुधार नही कर सकते क्यों कि जो कोयला उन्हें मिलता है उसकी किस्म पर उनका नियंत्रण नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस्पात संयंत्रों से आने वाले कोक में बारीकी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Spurious Drugs seized from Rajendra T.B. Hospital New Delhi

4063. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether a large quantity of supurious drugs have been seized from the Rajendra T.B. Hospital in Delhi;

(b) whether they have been sent to the Laboratory for chemical analysis;

(c) whether these drugs were being supplied in connivance with the officials of the Delhi Municipal Corporation; and

(d) the action taken in this connection ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) : (a) & (b). No spurious drugs have been seized. Samples of six drugs were taken from the medical stores of the Hospital and have been sent to the Government Analyst for testing.

(c) & (d) Does not arise.

विदर्भ, महाराष्ट्र के खनिज निक्षेपों का उपयोग

4064. **श्री बंसत साठे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कोयला, लोह और मेंगनीज जैसे खनिज निक्षेपों के उपयोग के लिए कोई बृहद् योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा : (क) जी हां ।

(ख) विदर्भ क्षेत्र में कोयला तथा मैंगनीज के विकास की योजनाएं इस प्रकार हैं :–

(1) कोयला

विदर्भ क्षेत्र के कोयला खानों के वर्तमान कोयला उत्पादन को, जो लगभग 29 लाख टन है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 63 लाख टन तक बढ़ाने का कार्यक्रम है । कोयले का यह बढ़ा हुआ उत्पादन वर्तमान खानों के विकास तथा आधुनिकीकरण और अछूते क्षेत्रों में नई खानें खोलकर पूरा किया जाएगा । अछूते क्षेत्रों में भू-छेदन करने वर्तमान खानों तथा पांचवीं योजना में खोली जाने वाली खानों की परियोजना रिपोर्टें तैयार करने, संयंत्र और मशीनरी आदि की आवश्यकता के बारे में एक अस्थायी कार्यक्रम बनाया है । पांचवीं योजना अवधि में कोयला उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के लिए कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड हर सम्भव प्रयास करेगा ।

(2) मैंग्नीज

मैंग्नीजी और इंडिया लि० महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में गुणगांव, कांदरी, मन्सार, बालगोंगरी तथा चिकला खानों को चलाती है । उनके द्वारा तैयार की गई विस्तार योजना के अनुसार मैंग्नीज अयस्को के वर्तमान 1,36,500 टन वार्षिक उत्पादन को 1977-78 तक बढ़ाकर 1,70,400 टन प्रतिवर्ष किया जायेगा ।

2. इस क्षेत्र में लौह अयस्क के विकास के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी कोटे से स्कूटर लेने वाले व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची और पांचवीं योजना के लिये लक्ष्य

4065. **श्री बसंत साठे** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी कोटे से स्कूटरों के आबंटन हेतु प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या कितनी थी तथा उसकी तुलना में कितना उत्पादन हुआ और पांचवीं योजना के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जानकारी निम्नलिखित है :—

वर्ष	उन व्यक्तियों की संख्या जिनका नाम सरकारी कोटे से स्कूटरों के आवंटन हेतु प्रतीक्षा-सूची में है	स्कूटरों का उत्पादन (संख्या में)
1971	22,981	67,212
1972	26,863	64,731
1973	34,136	78,079

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 4,00,000 संख्या तक स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाने का विचार है ।

भारतीय तांबा कम्पलेक्स द्वारा की गई प्रगति

4066. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973 में भारतीय तांबा कम्पलेक्स तथा अन्य तांबा परियोजनाओं द्वारा, परियोजनावार क्या प्रगति की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1973-74 (अप्रैल 1973 से फरवरी, 1974 तक) के दौरान भारतीय तांबा उद्योग समूह तथा अन्य तांबा परियोजनाओं की परियोजनावार, प्रगति नीचे दिखाई गई है :—

1. इंडियन कापर कम्पलैक्स, घटसिला :

अप्रैल, 1973 से फरवरी, 1974 तक इंडियन कापर कम्पलैक्स में मुख्य पदार्थों का उत्पादन नीचे दिखाया गया है :—

(आंकड़े मीट्रिक टनों में)

	1973-74 (अप्रैल से फरवरी तक)	1972-73 (अप्रैल से फेरवरी तक)
अयस्क चूर्ण	731161	664623
ब्लिस्टर तांबा	11459	11495
तार-छड़ें	7650	7498
काइनाइट	29399	27866

चालू वित्त वर्ष में बिजली की सप्लाई पर नियंत्रण तथा भट्ठी—तेल और कोयले की कमी के कारण इंडियन कापर कम्पलैक्स की प्रगति में बाधा पड़ी है ।

विस्तार कार्यक्रम :

उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चालू की जा रही हैं—

(i) **सुर्दा विस्तार योजना :**

हिन्दुस्तान कापर लि० ने 5 वर्ष की अवधि में सुर्दा खान के उत्पादन को 400 टन प्रति दिन से बढ़ाकर 4000 टन प्रति दिन करने के लिए एक योजना तैयार की है । खान की क्षमता के विस्तार के लिए सर्व प्रथम सुर्दा में एक नई तिरछी शाफ्ट गाड़ने के लिए सरकार ने सितम्बर, 1973 में 1.4 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की । इस विस्तार योजना की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

(ii) **मोसाबानी सान्द्रक :**

मोसाबानी खान में 2000 टन प्रति दिन की क्षमता का सान्द्रक संयंत्र निर्धारित समय से पहले ही बन कर चालू हो गया है ।

(iii) **सेलेनियम संयंत्र :**

1973 में घटसिला में एक सेलेनियम संयंत्र चालू किया गया।

(4) **पाथरगोडा खान :**

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने पाथरगोड़ा खान के 200 टन के दैनिक उत्पादन को 2 वर्ष की अवधि में 600 टन तक बढ़ा देने की एक विस्तृत योजना तैयार की है । इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया है।

2. **खेतड़ी ताम्र परियोजना (राजस्थान) :**

यह परियोजना निर्माणाधीन है ।

(i) **सांद्रक** : सांद्रक सयंत्र की पहली धारा जुलाई 1973 में शुरू की गई ।

(ii) **प्रद्रावक** : संयंत्र का सिविल निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है । उपकरण लगाने की प्रगति 2053 टन है जबकि कुल काम 2594 टन का है । संयंत्र का परीक्षण कार्य जून, 1974 के अन्त तक शुरू हो जाने की आशा है ।

(iii) **शोधनशाला** : शोधनशाला का 96% सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । उपकरण लगाने का काम चल रहा है । प्रद्रावक के चालू होने से 6 से 8 सप्ताह के अन्दर शोधनशाला में काम शुरू हो जाने की आशा है ।

(iv) **अम्ल-व-उर्वरक संयंत्र** : कुल मिलाकर लगभग 80% सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

3. **दरीबा ताम्र परियोजना** (राजस्थान) :

दरीबा में 100 टन की दैनिक क्षमता वाला सांद्रक संयंत्र सितम्बर, 1973 में अपने निर्धारित कार्यक्रम से पूर्व और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के विपरीत 95 प्रतिशत लागत से शुरू किया गया।

4. चांदमारी ताम्र निक्षेप (राजस्थान) :

इस परियोजना का विकास कार्य 500 टन तांबा अयस्क के दैनिक उत्पादन हेतु 1973 के अन्त में शुरू किया गया जिसे खेतड़ी तांबा परियोजना में सान्द्रित किया जायेगा और गलाया जायेगा ।

5. मालंजखंड ताम्र परियोजना (मध्य प्रदेश) :

अक्टूबर, 1973 में हिन्दुस्तान कापर लि० और एक रूसी एजेंसी के बीच मालंजखंड में खनन कार्यों तथा सांद्रक संयंत्र लगाने हेतु एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ।

6. राखा ताम्र परियोजना (बिहार) :

(i) **प्रावस्था-I**: 1000 टन की दैनिक क्षमता वाले सांद्रक संयंत्र का लगभग 97 प्रतिशत सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । खान का विकास कार्य चल रहा है ।

(2) **प्रावस्था-II** : राखा ताम्र खानों की दूसरी प्रावस्था के विकास हेतु खनन कार्यों के संबंध में एक प्रारम्भिक साध्यता रिपोर्ट कनाडा के परामर्शदाताओं से फरवरी, 1974 में प्राप्त हुई । इस रिपोर्ट पर विचार हो रहा है ।

एल्यूमिनियम उद्योग की प्रगति के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

4067. **श्री फतहसिंहराव गायकवाड** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एल्यूमिनियम उद्योग की प्रगति की व्यापक समीक्षा करने और उत्पादकों को दिये जाने वाले उचित उत्पादन मूल्यों का पुनरीक्षण करने के बारे में 24 मार्च, 1973 को प्रशुल्क आयोग द्वारा दिये गए अन्तरिक्ष प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) टैरिफ आयोग ने एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण के मामलों में वृद्धि

4068. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो अपमिश्रणकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने हेतु मिलावटी ब्रांडों के नाम तथा मिलावट करने वालों के नाम दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दिल्ली में खाद्य पदार्थों के मिलावट में भारी मात्रा में वृद्धि हो रही है।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मिलावट करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें चलाए जाते हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विदेशी कंपनियों के सहयोग से कार्य कर रहे उत्पादन-एकक

4069. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उत्पादन क्षेत्र में कोई एकक विदेशों अथवा विदेशी फर्मों के सहयोग से चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन से हैं तथा सहयोग किस प्रकार का है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) हरेक मामले में सहयोग के सही ब्यौरे भिन्न-भिन्न होते हैं। तथापि, मोटे तौर पर, वे उत्पादन सम्बन्धी जानकारी, भारतीय इन्जीनियरों के विदेश में प्रशिक्षण और सहयोगियों से इन्जीनियरों/विशेषज्ञों की भारत में प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था करते हैं। जहां आवश्यक होता है वे ऐसे विशिष्ट संयंत्र और कच्ची सामग्री आदि की भी व्यवस्था करते हैं जो देश में उपलब्ध नहीं है।

विशेष ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा।

कोयले के मूल्य

4070. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोयले और कोक के मूल्य क्या थे और अब उनके मूल्य क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : पहली मई, 1972 को, कोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व विभिन्न ग्रेड के कोककर कोयले के रेल पर्यन्त निशुल्क मूल्य रु० 30.23 प्रति टन से 45 रुपये प्रति टन के बीच थे। कोककर कोयले के चालू रेल पर्यन्त निशुल्क मूल्य 52.18 रुपये प्रति टन से 87.25 रुपये प्रति टन के बीच है। राष्ट्रीयकरण के बाद अकोककर कोयले के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा विभिन्न ग्रेड और आकार के कोयले के मूल्य 31.45 रुपये से 48 रुपये प्रतिटन (रेल पर्यन्त निशुल्क) हैं। विभिन्न किस्मों के सोफ्ट कोक के मूल्य, जो 55.65 रुपये प्रति टन (रेल पर्यन्त निशुल्क) होते थे, अब 60 रुपये से 72 रुपये प्रति टन (रेल पर्यन्त निशुल्क) के बीच है। एक मई, 1972 में राष्ट्रीयकरण से पूर्व, बी० पी० हार्ड कोक के लिये हार्ड कोक रेल पर्यन्त निशुल्क मूल्य 82 रुपये से 105 रुपये प्रति टन के बीच थे। बढ़िया किस्म के बी०पी० हार्ड कोक के रेल पर्यन्त निशुल्क चालू मूल्य 195 रुपये प्रति टन है। विभिन्न किस्म के बीहाइव हार्ड कोक के रेल पर्यन्त निशुल्क मूल्य 95 रुपये से 175 रुपये प्रति टन हैं।

भारत कोकिंग को प्राधिकरण द्वारा बिचौलियों की नियुक्ति

4071. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल प्राधिकरण हिन्दुस्तान स्टील जैसे सरकारी उपक्रमों को कोकिंग कोल सप्लाई करने के लिये कमीशन के आधार पर बिचौलिये नियुक्त करता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील लि० को कोककर कोयला सप्लाई करने के लिये भारत कोकिंग कोल लि० कमीशन के आधार पर दलाल नहीं रखती है जहां तक दुर्गापुर प्राजेक्ट लि० (पश्चिमी बंगाल सरकार का एक उपक्रम है) को भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा कोयला सप्लाई करने का सम्बन्ध है, एक समन्वयकर्ता नियुक्त किया गया है जिसका मुख्य कार्य भारत कोकिंग कोल के बिलों का समय पर अर्थात् सप्लाई की तारीख से 16 दिन के अन्दर भुगतान सुनिश्चित करना है चाहे दुर्गापुर प्रोजेक्ट द्वारा समन्वयकर्ता को भुगतान किया गया हो अथवा न किया गया हो।

पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड

4072. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) सरकार का विचार पत्रकारों के लिये कब तक नए मजूरी बोर्ड का गठन करने का हैं; और

(ख) इसके निदेश-पद क्या होंगे?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अधीन श्रमजीवी पत्रकारों के लिये शीघ्र ही एक मजदूरी बोर्ड स्थापित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा मजदूरी के निर्धारण और संशोधन के लिये सिफारिशें करते समय जो विचार ध्यान में रखे जाने हैं, वे अधिनियम में ही निर्धारित हैं।

Spurious Drugs Seized from Government Hospitals

4073. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the names of Government hospitals where spurious drugs were seized during 1972-73; and

(b) the action taken against persons found guilty ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) : **(a) & (b)** Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha when received.

स्पेन के राजकुमार तथा राजकुमारी द्वारा फरवरी, 1974 में भारत का दौरा

4074. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के औपचारिक निमंत्रण पर स्पेन के राजकुमार डान जुआन कार्लोस तथा राजकुमारी डोना सोफिया ने फरवरी, 1974 में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो वे यहां कितने दिन ठहरे और उन्होंने किन-किन स्थानों का दौरा किया; और

(ग) भारत सरकार तथा स्पेन से आए इन अतिथियों के बीच चर्चा मुख्यतः किन विषयों पर हुई तथा इस चर्चा के फलस्वरूप किन बातों पर सहमति हुई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ये अतिथिगण 21 से 25 फरवरी, 1974 तक भारत में रहे और इस बीच दिल्ली, बम्बई और मद्रास गए।

(ग) दोनों देशों के हित के अन्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय प्रश्नों पर मौटे तौर पर विचार किया गया था लेकिन कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें

4075. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार देश के महानगरीय तथा शहरी क्षेत्रों की गन्दी बस्तियों और अन्य ऐसे स्थानों में रहने वाले लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये विशेष तथा अतिरिक्त कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं, जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

बोनस पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन

4076. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस पुनर्विलोकन समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और यदि हां, तो कैसे और वे कब तक क्रियान्वित कर दी जाएंगी?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

पूना में सेवा-निवृत्त सैनिक अधिकारियों के लिए बहु-प्रयोजनीय सहकारी समिति

4077. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना में सेवा-निवृत्त सैनिक अधिकारियों के लिये स्थापित बहु-प्रयोजनीय सहकारी समिति सेवा-निवृत्त सैनिकों की पुनर्वास सम्बन्धी योजनाओं के लिये आदर्श सिद्ध हो सकती है; और

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) तथा (ख) आर्म्ड फोर्सिस एक्स आफीसर मल्टी सर्विस कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, पूना भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा स्थापित की गई अनेकों सहकारी समितियों में से एक है। इसे 1972 में प्रारम्भ किया गया था। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्व्यवस्थापन के लिये सरकार उन्हें सहकारी समितियां बनाने के लिये सदैव प्रोत्साहित करती है। सब सहकारी समितियों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा स्थापित की गई सहकारी समितियों को, जब भी आवश्यक होता है, इस मंत्रालय के पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशालय से तथा केन्द्रीय, राज्य तथा ज़िला स्तर के सैनिक, नौसैनिक तथा वायु सैनिक बोर्डों से मार्गदर्शन तथा सहायता मिलती है।

खानों में राष्ट्रीयकरण से पहले और बाद में हुई दुर्घटनायें

4078. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों और गैर-कोयला खानों में राष्ट्रीयकरण से एक वर्ष पूर्व तथा इसके बाद कुल कितनी घातक एवं गम्भीर दुर्घटनाएं हुई ; और

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे तथा स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

कोयला के भंडार

4079. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुमानतया कोयले का कितना भण्डार है और विशेषतया पश्चिम बंगाल और बिहार में यह कितनी अवधि तक चलेगा; और

(ख) देश में कोयले की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और प्रत्येक देश को कितनी-कितनी मात्रा में कोयले का निर्यात किया जाता है और निर्यात किये जाने वाले कोयले का रुपया में मूल्य कितना है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) देश में 1-2 मीटर तथा इससे अधिक मोटाई वाली पट्टियों में सामान्यतया 609 मीटर तक की गहराई में कुल 80,9520 लाख

टन कोयले का भण्डार होने का अनुमान है, जिसमें 20,1550 लाख टन कोककर कोयला तथा 60,7970 लाख टन अकोककर कोयला है। इसमें से पश्चिमी बंगाल तथा बिहार में लगभग 54,8490 लाख टन का भण्डार होने का अनुमान है जिसमें 19,8460 लाख टन कोककर कोयला तथा 35,0030 लाख टन अकोककर कोयला है। अनुमान है कि कोककर कोयले के भण्डार 40-50 वर्ष तक इस्पात उद्योग की प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिये काफी होंगे परन्तु उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं उपयोग में होने वाले उत्तरोतर सुधारों के परिणामस्वरूप यह अवधि और भी अधिक हो सकती है। अकोककर कोयले का भण्डार इससे भी अधिक अवधि तक चलता रहेगा।

(ख) कोयले की वर्तमान अनुमानित वार्षिक मांग लगभग 850 लाख टन से 900 लाख टन तक है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अप्रैल, 1973 से 8 फरवरी, 1974 तक बंगला देश, बर्मा व श्रीलंका को निर्यात किये गये कोयले की मात्रा 3,35,000 टन है जिसका मूल्य 285 लाख रुपये बैठता है। इसके अतिरिक्त कुछ थोड़ी मात्रा में नेपाल को भी निर्यात किया गया।

पटसन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4080. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पटसन मिलों में कितनी हड़तालें कब-कब हुई और इन हड़तालों में कितने कर्मचारी शामिल हुए; और

(ख) उक्त अवधि में कर्मचारियों और पटसन मिल मालिकों के बीच कितनी बैठकें हुई और इन बैठकों में, तिथिवार, कौन-कौन से मुख्य समझौते हुए?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला अनिवार्यत : राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है। तथापि, निम्नलिखित विवरण 1971, 1972 और 1973 के दौरान जूट मिलों में विवादों की संख्या (हड़तालें और तालाबन्दियों) अन्तर्ग्रस्त श्रमिकों की संख्या और नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना देता है।

वर्ष	विवादों की संख्या (हड़ताल और तालाबन्दियां)	अन्तर्ग्रस्त श्रमिकों की संख्या	नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या
1971 .	35	75,392	907,601
1972 . .	43	106,003	1,327,542
1973(अ०)	33	440,792	1,340,741

अ०—अन्तिम

उपर्युक्त अवधि के दौरान जूट उद्योग में किया गया मुख्य समझौता मई, 1972 का पश्चिम बंगाल जूट समझता था।

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण अस्पताल को सहायता

4081. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में ऐसे अस्पतालों की जिलावार संख्या कितनी है जिन्हे केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त हो रही है ;

(ख) क्या सहायता में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) गांवों में अस्पतालों के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को कोई सहायता नहीं देती ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

इस्पात के व्यापार और उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध

4082. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के व्यापार और उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर नये प्रतिबंध लगाये हैं; और

(ख) यदि हा, तो उनकी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी कोटे से लम्ब्रेटा स्कूटरों का आबंटन

4083. श्री **शशि भूषण :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा बनायी गई विभिन्न सूचियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों को अक्तूबर-दिसम्बर, 1973 तथा जनवरी-मार्च, 1974 की तिमाही के दौरान कितने लम्ब्रेटा स्कूटर आबंटित किए गए ;

(ख) क्या वर्ष 1973 में जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपने कार्यालयों के जरिए अपने नाम रजिस्टर कराए थे; उनकी सूची मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है और योजना आयोग में संगणना हेतु भेजी गई बताई गई है ;

(ग) क्या वहां सूचियों के न होने के कारण, कर्मचारी विभिन्न सूचियों में अपना नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं ; और

(घ) ये सूचियां संगणना हेतु योजना आयोग को कब भेजी गई थीं ; सूचिया प्राप्त होने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और वे कब तक वापिस आ जाएंगी ।

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अक्तूबर-दिसम्बर 1973 की तिमाही मे 1310 लम्ब्रेटा स्कूटरों का आबंटन किया गया था; चालू तिमाही होने के कारण, जनवरी-मार्च, 1974 की तिमाही के आंकड़े पूरे नहीं हैं।

(ख) जी, हां। वर्ष 1973 के दौरान स्कूटरों के आबंटन के लिए प्राप्त सभी आवेदन-पत्र कम्प्यूटरीकरण के लिए योजना आयोग को भेज दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं। जिन कर्मचारियों ने वर्ष 1973 मे आवेदन किया है वे साधारण रूप से अभी आवंटन के हकदार नहीं हैं।

(घ) योजना आयोग को आवेदन-पत्र वर्ष भर भेजे जाते हैं आवेदन-पत्रों का अन्तिम बैच जनवरी, 1974 के अंत में भेज दिया गया है। अप्रैल, 1974 के अंत तक सूचियों के प्राप्त हो जाने की आशा है और इस प्रकार इस प्रक्रिया में कोई विलम्ब नहीं है।

भारतीय नौसेना में पनडुब्बी-विनाशक अस्त्र (एन्टी-सबमैरीन)

4084. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 1974 के दूसरे सप्ताह में बड़े पैमाने पर सामरिक अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना के नए हथियार 'एन्टी-सबमैरीन' क्षमता का बड़ी कुशलता के साथ प्रदर्शन किया गया था ;

(ख) क्या पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए हमारी नौसेना को नवीनतम आधुनिक 'एल्टी-सबमैरीन' हैलीकाप्टर प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उन्हे प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) अपनी नौसेना में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् तथापि, पनडुब्बीरोधी (एन्टी-सबमैरीन) क्षमता भारतीय नौसेना का नया हथियार नहीं है।

(ख) और (ग) नौसेना के पास ऐसे हेलीकोप्टर हैं जिनपर पनडुब्बीरोधी आधुनिक साज-समान लगे हैं।

(घ) भारतीय नौसेना के विकास पर आवश्यक ध्यान दिया जा रहा है और इसकी चहुंमुखी क्षमता में सुधार करना इसका लक्ष्य रखा गया है। माननीय सदस्य यह मानेंगे कि इस बारे में आगे और सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

इस्पात का दुरुपयोग

4085. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल महाराष्ट्र में ही अगस्त, 1972 से मार्च, 1973 तक तीन हजार टन इस्पात का दुरुपयोग किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार गुजरात राज्य मे भी इस्पात का दुरुपयोग होता है; और

(ग) यदि हां, तो अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा उनको दी गई इस्पात सामग्री के दुरुपयोग के बारे में कई राज्यों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जिनमें महाराष्ट्र और गुजरात के राज्य भी शामिल हैं। अप्रैल, 1972 से फरवरी, 1974 की अवधि में महाराष्ट्र और गुजरात में क्रमशः 1600 टन और 1400 टन इस्पात के दुरुपयोग के संदेह के मामलों का पता चला है।

दिसम्बर, 1973 में श्रमिक अशांति से प्रभावित एकक

4086. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री निहार लास्कर :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1973 में श्रमिक अशांति से 25 एकक प्रभावित हुए ; और यदि हां तो उनके नाम क्या हैं ;

(ख) श्रमिक अशांति के क्या कारण थे ;

(ग) क्या इसके बाद श्रमिक अशांति मे वृद्धि हुई है; और

(घ) श्रमिक अशाति को कम करने के लिए मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) उपलब्ध अन्तिम सूचनानुसार माह दिसम्बर, 1973 के दौरान उन विवादों की संख्या जिनके कारण काम बन्दियां हुई, 264 थीं।

(ख) इन विवादों का कारण-वार विश्लेषण निम्न प्रकार है :–

मजदूरी और भत्ते . . .	71
बोनस	19
कार्मिक	30
छंटनी . .	9
छुट्टी और कार्य के घंटे	3
अनुशासनहीनता और हिंसा	44
अन्य . .	66
ज्ञात नहीं . .	22
जोड़ .	264

(ग) उन विवादों की संख्या के बारे में, जिनके कारण काम बन्दियां हुई, बाद के महीनों संबंधी अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) औद्योगिक सम्बन्धतंत्र वर्तमान सांविधिक उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जैसा आवश्यक है, अनौपचारिक मध्यस्थता, संसाधन, न्याय निर्णयन या विवाचन के माध्यम से कामबन्दियों को कम करने के प्रयास करता रहता है ।

दिल्ली में नकली दवाइयों का पकड़ा जाना

4087. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1974 में नई दिल्ली में भारी मात्रा में नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके विरुद्ध मामले रजिस्टर किये गये हैं।

वक्तरबन्द गाड़ियों के उत्पादन में वृद्धि की योजना

4088. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बख्तरबंद गाड़ियों के उत्पादन मे वृद्धि की कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमन्। योजना के ब्योरे देना लोकहित में नहीं होगा।

कोयला खान प्राधिकरण द्वारा डिब्बा लदान

4089. **श्री मधु लिमये :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के गत शरदकालीन सत्र में कोयले की कमी के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर चर्चा के दौरान कोयला खान प्राधिकरण तथा भारत कोकिंग कोल के लिये रेल लदान की अधिकतम व्यवस्था करने के लिये मुहानों, स्टेशन यार्डों आदि पर साईडिंग्स की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिये कोई दीर्घावधि तथा लघु अवधि योजनाएं बनाई गई हैं;

(ग) क्या आधुनिक लदान मशीनरी देश में बनाई जा रही है अथवा सारी मशीनरी आयात की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1974 में इस मशीनरी का देश में कितना उत्पादन होगा तथा कितना आयात होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) तथा (ख) रेलवे के अध्ययन-दलों ने पांचवीं योजना के लिये कोयला दुलाई के आयोजन सम्बन्धी समस्याओं तथा बंगाल-बिहार कोयला खानों, कोयले के लदान को युक्ति संगत बनाने की समस्याओं का अध्ययन किया है। युक्तिकरण अध्ययन का उद्देश्य लदान केन्द्रों की संख्या को कम करना है ताकि ब्लाक रेकों में तथा एकल केन्द्रों से अधिक लदान किया

जा सके। रिपोर्टों की जांच की गई है तथा लदान के केन्द्रीयकरण विस्तार और साइडिंग परिवर्तन आदि सहित लदान—व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने के अनेक अल्पकालीन उपायों के लागू करने के लिये उपाय किये जा रहे हैं।

(ग) तथा (घ) रेकों के शीघ्र लदान की सुविधा से युक्तिकरण प्रस्तावों में बंकर तथा कार हालेज उपकरणों की व्यवस्था की गई है। कोयला उद्योग की सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिये हालेजों कन्वेयरों तथा पहियेदार लोडरों के निर्माण की देसी क्षमता सामान्यतया पर्याप्त समझी जाती और आयात केवल उसी दशा में किया जाएगा जब देसी उपकरण उपलब्ध नहीं होंगे।

रेलवे में श्रम-दिवसों की हानि

4090. **श्री मधु लिमये** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष हुई श्रम-दिवसों की हानि की तुलना में वर्ष 1973 में अधिक श्रम-दिवसों की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो हानि में हुई वृद्धि के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इस वृद्धि का कारण मुख्यतः वे आन्दोलन हैं जो रेल कर्मचारियों के कुछ वर्गों ने मई-अगस्त और नवम्बर-दिसम्बर, 1973 के दौरान चलाये थे।

ईरान द्वारा हथियारों का जमा किया जाना तथा उन्हें पाकिस्तान भेजा जाना

4091. **श्री मधु लिमये** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधिकारियों तथा ईरान के विदेश मंत्री के बीच हाल ही में हुई चर्चा के दौरान ईरान द्वारा हथियारों को जमा किये जाने तथा उन्हें पाकिस्तान भेजने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था ; और

(ख) क्या ईरान के विदेश मंत्री ने सरकार को यह आश्वासन दिया था कि ईरान भविष्य में पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं भेजेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पटसन मिल मजदूरों की मजूरी

4092. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968, 1971 और 1973 में पटसन मिल मजदूरों को, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, श्रेणीवार और यूनिटवार क्या वेतनमान प्राप्त हुए ; और

(ख) गत तीन वर्षों में मजदूरों, मालिकों और सरकार के बीच मजूरी संबंधी कितने समझौते हुए ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला अनिवार्यतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ; तथापि, उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

(i) दिसम्बर, 1967 (मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों की अवधि की समाप्ति पर)	117.00 रु०
(ii) जुलाई, 1969 से (11-8-1969 के द्विपक्षीय समझौते से उत्पन्न)	172.60 रु०
(iii) मई, 1972 से (7-5-1972 के द्विपक्षीय समझौते से उत्पन्न)	235.00 रु०
(iv) नवम्बर, 1973 से जनवरी, 1974 . . .	263.25 रु०

पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग में जो मुख्य समझौते किए गए वे अगस्त, 1969, मई, 1972 और जनवरी, 1974 में हुए थे।

चाय बागान श्रमिक

4093. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968, वर्ष 1971 और वर्ष 1972 में देश के चाय बागानों में हड़ताल होने और उनके बंद होने के कारण कितने श्रमिकों की जबरी छुट्टी की गई ; और

(ख) इसी अवधि के दौरान चाय बागान श्रमिकों को मजूरी के रूप में कितनी राशि मिली ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

पश्चिम बंगाल में इस्पात निर्माताओं के लाइसेंस निलम्बित करना

4094. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बगाल में इस्पात निर्माण के लिये काफी सख्या में लाइसेंस निलम्बित कर दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिश्र के राष्ट्रपति के साथ पश्चिम एशिया संकट के संबंध में वार्ता

4096. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र के राष्ट्रपति ने हाल ही की यात्रा के दौरान लम्बे अरसे से बने पश्चिम एशियाई संकट पर वार्ता की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) और (ख) फरवरी, 1974 में अपनी भारत यात्रा के दौरान मिश्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति सादात ने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला था। इस प्रकार भारत को, जिसकी सहानुभूति इस संघर्ष में सदैव अरबों के साथ रही है, वर्तमान स्थिति का अद्यतम आकलन मिल सका।

तेल संकट के बारे में मिश्र के राष्ट्रपति के साथ बातचीत

4097. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मिश्र के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान तेल संकट के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थिति की समस्या पर बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) मिश्र, अरब गणराज्य के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान आपसी हित के मामलों पर विचार विमर्श किया गया था जिनमें तेल से संबंधित स्थिति पर भी विचार किया गया था। बहुत से दूसरे मित्र देशों की तरह मिश्र भी इस बारे में भारत की कठिनाइयों को इस समूची समस्या के प्रति उसके दृष्टिकोण को पूरी तरह समझता है।

वर्ष 1973-74 के दौरान राज्यों में खाद्य में मिलावट के मामले

4098. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 के दौरान, राज्यवार, खाद्य में मिलावट के कितने मामले सरकार द्वारा पकड़े गये हैं ; और

(ख) न्यायालयों में राज्यवार, इस बारे में कितने मामले अभी अनिर्णीत पड़े हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में केरल राज्य को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाएं

4099. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में केरल राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं के लक्ष्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) चिकित्सा सुविधायें राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और इसलिए लक्ष्य भी वे ही निर्धारित करती हैं। केन्द्रीय सरकार तो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, कुष्ठ, यक्ष्मा, रतिज रोग, रोहे, हैजा, आदि जैसे संचारी रोगों के नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए सहायता देती है।

(ख) जहां तक संचारी रोगों का संबंध है अलग-अलग कार्यक्रम के बारे में लक्ष्य तय कर लिये गये हैं और इस कार्यक्रम के लिये 1974–75 के दौरान 26.00 लाख रुपये की रकम देने का हमारा विचार है।

दिल्ली में विक्रेताओं द्वारा लम्ब्रेटा स्कूटरों के मूल्य में वृद्धि करना और अधिमूल्य पर इनकी बिक्री

4100. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में स्कूटरों के मूल्य में वद्धि करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कितना मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी गई है और इस वृद्धि का औचित्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि लम्ब्रेटा स्कूटरों के विक्रताओं ने लम्ब्रेटा स्कूटरों के मूल्य में मनमानी वृद्धि कर दी है और वे दिल्ली में स्कूटर को 4500 रुपये से अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बजाज और लम्ब्रेटा 150 सी० सी० स्कूटरों के कारखाने से निकालते समय के खुदरा बिक्री मूल्य में (बिक्रेता का कमीशन सहित) क्रमश : 249 रु० और 883 रु० की वृद्धि करने की अनुमति दी गई है। संवैधानिक करों और कच्चे माल और खरीदे गये हिस्से-पुर्जों की कीमत में वृद्धि होने के कारण मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है।

(ग) तथा (घ) निर्माताओं ने लम्ब्रेटा स्कूटरों की कीमतों में मनमानी वृद्धि नहीं की है। किन्तु मूल्य में जितनी वृद्धि करने की अनुमति दी गई है ; उससे लम्ब्रेटा 150 सी० सी० स्कूटरों का कारखाने से निकलते समय का खुदरा बिक्री मूल्य (बिक्रेता का कमीशन सहित) 3347 रु० पुननिर्धारित किया गया है। मानक सहायक सामान की कीमत, उत्पादन शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर, स्थानीय करों, विशद बीमा और परिवहन के अतिरिक्त प्रभारों सहित दिल्ली में लम्ब्रेटा 150 सी० सी० स्कूटर की शो-रूम कीमत 4644.69 रु० आती है।

Alleged Bungling in Retail sale of Coal

4101. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Coal Mines Authority has received complaints about serious fraud and bungling in the retail sale of coal; and

(b) if so, the facts thereof and the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) & (b) No complaints of a serious nature have been received.

50 करोड़ रुपये और इससे अधिक के पूंजी निवेश वाले उद्योग

4102. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 50 करोड़ रुपये और इससे अधिक के पूंजी निवेश वाले कितने उद्योग हैं और वे उद्योग कौन-कौन से हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक उद्योग में सरकार के कितने शेयर हैं ; और

(ग) इनके वित्तीय हितों पर नियंत्रण लगाने और इन्हें ठीक प्रकार से चलाने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) संभवतः माननीय सदस्य गैर-सरकारी क्षेत्र में उन औद्योगिक एककों का उल्लेख कर रहे हैं जो इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। इस मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार केवल दो कम्पनियों अर्थात मे० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, उत्तर-पाड़ा, प० बंगाल और मै० टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं० लिमिटेड, बम्बई ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी (शेयर पूंजी और ऋण) लगाई है।

(ख) और (ग) मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लि० में सरकार का कोई शेयर नहीं है। मै० टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी में सरकार के सौ-सौ रु० के 42 साधारण शेयर, सौ-सौ रु० के 126 संचित प्रति देण अधिमान शेयर और सौ-सौ रु० के 630 परिवर्तनीय ऋणपत्र (सभी पूर्ण रूप से चुकता) हैं।

Drive Launched by Central Citizens Council Against Adulteration in Food Stuffs

4103. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Central Citizens Council had launched a drive in the Capital against the adulteration in foodstuffs and drugs;

(b) the extent to which success has been achieved in this task;

(c) whether this drive is destined to root this evil out; and

(d) how much and what cooperation Government have extended to the Council in this drive ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) : (a) Yes. The Central Citizens Council had inaugurated a campaign in Delhi on 13th February, 1974 to mobilise public opinion against adulteration of foodstuffs and drugs.

(b) It is too early to assess the results of the campaign. However, as a result of the campaign, general awareness on various aspects of the problems and steps to be taken have been identified.

(c) The campaign and the educative and publicity programmes adopted by the Citizens' Central Council may help to check the evil.

(d) The Government has assured the Council of full support and cooperation. An **ad hoc** grant of Rs. 40,000 was released to the Council during 1973-74 for the anti adulteration drive.

पोन्डा (गोआ) के निकट फार्मागुडी स्थान पर नौसैनिक हैलीकाप्टर की दुर्घटना

4104. **श्री निहार लास्कर :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोन्डा (गोआ) के निकट फार्मागुडी स्थान पर 19 फरवरी, 1974 को नौसेना के हैलीकाप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उस में बैठे चारों व्यक्ति दुर्घटना-स्थल पर ही मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) जी हां, श्रीमन् ।

(ग) दुर्घटना का कारण जानने के लिए हैलीकाप्टर के इंजन को खोलकर देखने के लिये भेजा गया है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और इसके कर्मचारियों के बीच विवाद की वे बातें जिन पर समझौता नहीं हुआ

4105. **श्री बयालार रवि** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और इसके कर्मचारियों के बीच विवाद की कौन-कौन सी बातें हैं, जिन पर समझौता नहीं हुआ है ;

(ख) प्रत्येक विवाद की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) कर्मचारियों की शिकायतों को आपसी बातचीत के जरिये दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और उनके कर्मचारियों के बीच कोई विवाद नहीं है । तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारियों की यूनियनों और फेडरेशनों ने समय-समय पर कई मांगें उठाई हैं । इनमें वेतन मानों का संशोधन, अंतरिम सहायता की स्वीकृति, केरल और तमिलनाडु क्षेत्रों के कर्मचारियों को उन अवधियों की मजदूरी का भुगतान करना जबकि वे हड़ताल पर गए, बोनस की स्वीकृति, कार्य के मानकों का संशोधन अतिरिक्त पदों का सृजन और यूनियनों/फेडरेशनों को मान्यता प्रदान करना, सम्मिलित हैं ।

(ग) कुछ मांगें पहले ही तय कर दी गई हैं । कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन संबंधी मांग सरकार के विचाराधीन है ।

कलामासरी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल यूनिट के कर्मचारियों के वेतन-मानों में असमानता

4106. **श्री बयालार रवि** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलामासरी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल यूनिट के कार्यकरण तथा इस यूनिट में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के बीच वेतन-मानों में अधिक असमानता पाये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है।

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के प्रबन्धकों से प्राप्त तथ्यों से यह पता चलता है कि श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच तनावपूर्ण औद्योगिक संबंध और इसके साथ-साथ अन्तः यूनियन प्रतिद्वंदिता एकक के असंतोषजनक कार्य-संपादन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रही है। कर्मचारियों के बीच कोई भी घोर असमानता सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

पटपडगंज औषधालय के विभागाध्यक्ष द्वारा चिकित्सा सुविधाएं देने से इन्कार करना

4107. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में अंशदान करने वाले कुछ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की चिकित्सा सुविधा देने से इंकार किया गया है और पटपडगंज गांधी नगर के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के विभागाध्यक्ष ने इन कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा देने से इंकार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

यमुना पार क्षेत्र से मिली शिकायतें

4108. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना पार क्षेत्र के दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के डाक्टरों के कार्यकरण तथा व्यवहार के बारे में वर्ष 1973 में स्वास्थ्य मंत्रालय को कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या इन शिकायतों के मिलने पर कोई कार्यवाही की गई है और इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) 1973 के दौरान 12 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) और (ग) इन में से हर शिकायत पर उचित कार्यवाही की गई थी।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों में लापरवाही

4109. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में रोगियों की ठीक प्रकार से देखभाल नहीं की जाती है और आपातकालीन स्थिति में भी जरूरतमन्द व्यक्तियों को घंटों प्रतीक्षा करने के लिये कहा जाता है और सी० जी० एच० एस० को पटपड़गंज, गांधी नगर स्थित औषधालय में आपातकालीन स्थिति में भी वहां के प्रधान डाक्टर सहायता नहीं करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के उन लाभार्थियों को, जिन्हें तात्कालिक चिकित्सा की जरूरत होती है, जरूरत पड़ने पर औषधालय में अथवा उन के घरों पर अच्छी तरह से देखा जाता है। इस संबंध में पटपड़गंज, गांधी नगर के लाभार्थियों से जो शिकायतें मिली हैं उनकी जांच की गई और जहां आवश्यक समझा गया उचित कार्यवाही की गई।

प्राकृतिक उपचार के लिये प्रशिक्षण हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता देना

4110. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्राकृतिक उपचार का एक वर्षीय पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिय प्रत्येक राज्य में एक संस्थान को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को खानों पर लागू करना

4111. **श्री योगेन्द्र चन्द्र मुरमू** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खानों के नाम क्या हैं जहां कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू किया गया है और उन खानों के नाम क्या है जहां कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, लागू नहीं किया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में खानों के महानिदेशक से कोई विचार-विमर्श किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक इस समस्या का मूल्यांकन तथा जांच न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) उन खानों, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लायी गई हैं, की सूचियां और उन खानों की सूचियां, जिनका सर्वेक्षण, उनको कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाने के प्रयोजन किया गया था, संलग्न विवरण में दर्शायी गयी हैं।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम/योजना के उपबन्धों के खानों में विस्तारण के समय खान विभाग के साथ परामर्श किया जाता है।

विवरण

(1) उन खानों की सूची जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम/योजना, 1952 की परिधि में लाया गया है।

1. लौह-अयस्क खानें
2. मैंगनीज खानें
3. चूना-पत्थर खानें
4. सोने की खानें
5. अभ्रक खानें
6. बौक्साइट खानें
7. चीनी मिट्टी खानें
8. मैंगनीसाइट खानें
9. वाराइट्स खानें
10. डोलोमाइट खानें
11. अग्नि मिट्टी खानें
12. जिप्सम खानें
13. कायनाइट खानें
14. मिलिमिनाइट खानें
15. स्टीटाइट खानें
16. फेरो-मैंगनीज खानें
17. हीरा खानें

(2) सर्वेक्षण की गई खानों और कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम/योजना, 1952 के विस्तारण कर रही खानों की सूची।

1. अपाटाइट खानें
2. एस्बस्टोस खानें
3. कैलसाइट खानें
4. बाल क्ले और अग्नि मिट्टी खानें
5. कौरुंदम खानें
6. एमेराल्ड खानें

7. फेल्डस्पर खानें
8. सिलिका बालू खानें
9. क्वारट्ज खानें
10. ओकर खानें
11. क्रामाइट खानें
12. ग्रेफाइट खानें
13. फलोराइट खानें

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों की और कोयला खान भविष्य निधि की बकाया राशि

4112. **श्री योगेन्द्र चन्द्र मुरमू** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोयला खानों ने कर्मचारी निधि की कितनी राशि अदा नहीं की, उनकी और कुल कितनी राशि देय थी और उन खानों के मालिकों के नाम तथा पते क्या हैं ; और

(ख) इस राशि की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा भविष्य निधि अंशदानों की कितनी बकाया राशि वसूल की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :-

(क) राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोयला खानों की भविष्य निधि के बकाया की कुल राशि लगभग 11.85 करोड़ रुपये है। चूक कर्ता कोयला खानों के नाम और उनके मालिकों के पतों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) कोकिंग कोयला खानों की बकाया राशियों के संबंध में भुगतान आयुक्त के समक्ष दावे दायर किये गये हैं। गैर-कोकिंग कोयला खानों के संबंध में भी इस प्रकार के दावे भी, इस उद्देश्य के लिए भुगतान आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद, दायर किए जाएंगे। अभी तक कोई राशि वसूल नहीं की गई है।

बिहार में अभ्रक खानों में श्रमिक कानूनों का पालन न किया जाना

4113. **श्री योगेश चन्द्र मुरमू** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में हजारीबाग, गया, नवादा जिलों में अभ्रक की कितनी खानें हैं ;

(ख) क्या खान निदेशक, जिसका कार्यालय कोडरमा में है, और श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), जिसका कार्यालय धनबाद में है, श्रम कानूनों तथा भारतीय खनन अधिनियम को लागू नहीं कर रहे हैं जिसके कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी नहीं मिलती है तथा बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए सरकार का विचार खान महानिदेशक तथा मुख्य श्रमायुक्त को इन कानूनों का उल्लंघन करने के मामलों का मौके पर अध्ययन करने तथा व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिये हजारीबाग अभ्रक क्षेत्र में दौरा करने को कहने का है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) बिहार के हजारीबाग, गया (जोकि अब गया, नवादा और औरगांबाद इन तीनों जिलों में विभक्त किया गया है) में अभ्रक खानों की संख्या 219 है।

(ख) संयुक्त निदेशक, खान सुरक्षा, कोडर्मा क्षेत्र का कार्यालय झुमरीतिलैया में है, जोकि खान अधिनियम, 1952 के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों को लागू करता है। उपयुक्त क्षेत्र, खान सुरक्षा निदेशक, दक्षिण-पूर्वी अंचल, जिसका मुख्यालय रांची में है, के क्षेत्राधिकार में आता है, इस क्षेत्र में अभ्रक खानों में 1971 से 1973 के दौरान घातक दुर्घटनाओं की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	घातक दुर्घटनाएं	मारे गये व्यक्तियों की संख्या	गंभीर दुर्घटनाएं	गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की संख्या
1971	2	2	14	15
1972	2	2	12	12
1973	3	3	9	10

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) धनबाद और केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारी बिहार की अभ्रक खानों में श्रम कानूनों को लागू कर रहे हैं और उपलब्ध सूचनानुसार, श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरियों का भुगतान किया जाता है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, इस समय खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद या मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को उस क्षेत्र का दौरा करने के लिये कोई विशिष्ट निदेश जारी करने का विचार नहीं है, तथापि, उनके अधिकारी विभिन्न अधिनियमों को लागू करने के लिए क्षेत्र का दौरा करना जारी रखेंगे।

बेलाडीला परियोजना में लोहे का उत्पादन

4114. **श्री लबोदर बलियार** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेलाडीला परियोजना में प्रतिवेदन लोहे का कितना उत्पादन होता है ;

(ख) इस परियोजना में श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी हैं ; और

(ग) यदि बस्तर के आदिमजाति के व्यक्ति इस परियोजना में कार्य कर रहे हैं तो उनकी कुल संख्या कितनी है तथा उनकी श्रेणियां क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) बेलाडीला निक्षेप संख्या 14 में प्रतिवेदन औसतन लगभग 14,000 टन लौहा अयस्क का उत्पादन होता है।

(ख) नियमित रूप से काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या 1,618 हैं। उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

अधिकारी	81
कर्मचारी	1005
श्रमिक	532

इनके अलावा ठेकेदारों के पास लगभग 12,500 व्यक्ति काम कर रहे हैं ।

(ग) सामान्यत: रोजगार के आंकड़े जिलेवार नहीं रखे जाते हैं ।

पश्चिम त्रिपुरा जिले के फटिचारा क्षेत्रों के कृषकों को मुआवजे की अदायगी

4115. **श्री दशरथ देव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य में पश्चिम त्रिपुरा जिले के फटिचारा क्षेत्रों के कुछ कृषक परिवारों को, जिनकी कृषि भूमि को बंगलादेश स्वाधीनता युद्ध 1971 के दौरान सैनिक गतिविधियों के कारण बहुत अधिक क्षति पहुंची थी, अभी तक मुआवजा नहीं मिला है ;

(ख) यदि हां, तो कितने परिवारों के मामले अभी तक विचाराधीन हैं ; और

(ग) सभी पात्र मामलों में मुआवजे की शीघ्र अदायगी के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) 19 जनवरी, 1973 तक पश्चिमी त्रिपुरा के 223 गांवों की 2,60,253.50 रुपए की मुआवजा मांगें तय हो चुकी हैं तथा प्रभावित व्यक्तियों को पंचाट दिए जा चुके हैं । 25 जनवरी, 1973 के बाद पश्चिमी त्रिपुरा के 32 गांवों से अनुग्रहपूर्वक क्षति-पूर्ति के लिए 478 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं । ये प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किए जा सके क्योंकि सिविल अधिकारियों द्वारा मौके की जांच करने पर कथित आपत्तियां प्रमाणित नहीं हुई। माननीय सदस्य द्वारा भी कटिकचेरा क्षेत्र के कृषक श्री अमुल्य देव नाथ की मांग को भेजा गया था किन्तु यह पाया गया कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा उनकी भूमि को कोई क्षति नहीं हुई थी । अतः उनके मामले में क्षतिपूर्ति करना सम्भव नही पाया गया ।

सैल्फ प्रोपेल्ड कम्बाइन्ड हारवेस्टर्स

4116. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में एक बड़े उद्योग गृह को पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के सहयोग से सैल्फ प्रोपेल्ड कम्बाइन्ड हारवेस्टर्स का निर्माण करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत की ओर पश्चिम जर्मनी की फर्मों के नाम क्या हैं और ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सहयोग करार की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं । किन्तु मे० लार्सन एण्ड ट्युब्रो लिमिटेड, बम्बई को अमरीका के मे० डीरे एण्ड कम्पनी के सहयोग से सैल्फ प्रोपेल्ड कम्बाइन्ड हार्वेस्टरों के निर्माण के लिये दिसम्बर, 1970 में एक आशय पत्र मंजूर किया गया था। औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति की रिपोर्ट में दी गई परिभाषा के अनुसार मे० लार्सन एण्ड ट्युब्रो बड़े औद्योगिक गृहों की सूची में सम्मिलित नहीं है। फिर भी एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 के उपबंधों के अंतर्गत यह कम्पनी एक बड़ा औद्योगिक गृह है ।

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत अमरीका की मे० डीरे एण्ड कम्पनी के सहयोग प्रस्ताव में केवल तकनीकी सहयोग का उल्लेख है और इसमें इस संबंध में बताई जाने वाली जानकारी के शुल्क का भुगतान तथा अमरीकी फर्म की आवर्ती रायल्टी निहित है ।

Rehabilitation of Repatriates from Foreign countries

4117. Shri Jagannath Rao Joshi : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of repatriates from foreign countries yet to be rehabilitated; and

(b) the steps taken for their permanent rehabilitation indicating the outcome there of ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) Information about the applications pending for rehabilitation assistance from repatriates from Burma, Sri Lanka and Uganda is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) Various rehabilitation schemes have already been sanctioned for the repatriates from Burma, Sri Lanka and Uganda. A statement showing the schemes and the facilities available under the schemes is attached. [Placed in the Library **See No. L.T.**—6509/74].

इस्पात की कीमतों में वृद्धि

4118. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री इस्पात की कीमत में वृद्धि के बारे में 14 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3134 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की कीमतों में और वृद्धि करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में यदि कोई निर्णय किया गया है ; तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय एल्यूमीनियम निगम का अधिग्रहण

4119. श्री डी० डी० देसाई :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय एल्यूमीनियम निगम का अधिग्रहण करने के बारे में सरकार को कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके प्रभावों का अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

सभा-पटल पररखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का संघ सरकार (रेलवे) के बारे में प्रतिवेदन; रेलवे के वर्ष 1972-73 के विनियोग लेखे और ब्लाक लेखे आदि

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री के० आर० गणेश की ओर से निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972-73 सम्बन्धी प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) वर्ष 1972-73 के लिए विनियोग लेखे, रेल, भाग-1—समीक्षा (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(3) वर्ष 1972-73 के लिए विनियोग लेखे, रेल, भाग-2—विस्तृत विनियोग लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(4) वर्ष 1972-73 के लिए ब्लाक लेखे (ऋण लेखे समेत पूंजी विवरणों सहित) तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखे, रेल (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 6494/74]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 115 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(2) हल्का डीजल तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) सशोधन आदेश, 1974, जो भारत के राज-पत्र दिनांक 2 मार्च, 1974 में अधिसूचना सख्या सा० सा० 116 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये एल० टी० संख्या 6495/74]

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1974

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 205 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 6496/74]

गोआ शिपयार्ड लिमिटेड का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-डा-गामा गोआ का वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा-पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 6497/74]

शेशगिरी रामगढ़ मेंगनीज खान (मैसूर) में हुई घातक दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन और केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड और कोयला खान श्रम कल्याण संगठन के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) शेशगिरि रामगढ़ मैंगनीज खान बेल्लारी जिला (मैसूर) में 22 मार्च, 1973 को हुई घातक दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6498/74]

(2) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6499/74]

(3) कोयला खान श्रम कल्याण संगठन के वर्ष 1972-73 के कार्यकलापों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6500/74]

सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

48वां प्रतिवेदन

श्रीमती सुभद्रा जोशी (चांदनी चौक) : मैं पाईराइटस, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स, लिमिटेड के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 39वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 48वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

39वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन से, जो 20 मार्च, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन से, जो 20, मार्च, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था। सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

बिहार की स्थिति के बारे में चर्चा

DISCUSSION *RE* SITUATION IN BIHAR

अध्यक्ष महोदय : अब हम बिहार की स्थिति पर चर्चा आरम्भ करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : — गुजरात के बाद अब बिहार की बारी है । अब वहां के लोगों का रोष व्यक्त हो रहा है । वहां विधान सभा में ही गोली चल गई और सभा के स्टाफ ने तीन मंत्रियों को पीटा । मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता था कि क्या उन्होंने फ्रांस की क्रान्ति का इतिहास पढ़ा है । आज सारा देश ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है । लोग रोटी और रोजगार चाहते हैं लेकिन उन्हें इसके बदले गोलियां मिलती हैं और उनका दमन किया जाता है । सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में सर्वथा असफल रही है ।

18 मार्च को कम से कम 30 व्यक्ति मारे गये और लगभग 200 व्यक्ति घायल हुए । लेकिन सरकार ने बताया था कि उस दिन केवल 5 व्यक्ति मरे थे ।

गुजरात में हिंसा में 130 व्यक्ति मारे गये जिनमें अधिकांश युवक थे । ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, में पैदा होने वाली है । सरकार के पास जनता की सब कठिनाइयों का जवाब केवल मात्र गोली है । 20 वर्ष पूर्व पुलिस का बजट तीन करोड़ रुपये का था जो इस वर्ष 166 करोड़ रुपये का है । यही स्थिति बिहार की है । सरकार के 'देखते ही गोली' मार दो' आदेश को गुजरात उच्च न्यायालय ने अवैध करार दिया है । सरकार इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने में असफल रही है ।

"सर्चलाईट" समाचार पत्र के कार्यालय पर हमले किये जाने की सब विद्यार्थी संघों ने निन्दा की है और ऐसा करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये । विद्यार्थियों ने कहा है कि हमारा संघर्ष सरकार से है समाचार पत्रों से नहीं ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और आनन्द मार्ग को दोष देना उचित नहीं । आनन्द मार्ग की लोग निन्दा करते हैं । यह उग्र आन्दोलन भ्रष्टाचार, खाद्यान्न की कमी मूल्यों में वृद्धि और बेरोजगारी के विरुद्ध है । सरकार का 'सर्चलाईट' समाचार पत्र के कार्यालय को जलाने के लिये छात्रों को दोषी ठहराना उचित नहीं है । उन्होंने तो स्वयं ही उक्त घटना की निन्दा की है ।

'सर्चलाईट' समाचार पत्र के कार्यालय पर हमले के पीछे एक षडयंत्र था । 'सर्चलाईट' ने बिहार में सरकार के कार्यों की आलोचना की थी । श्री ललित नारायण मिश्र उक्त समाचार पत्र को खरीदना चाहते थे लेकिन वे इस कार्य में सफल नहीं हुए और बड़ी चालबाजी से उक्त कार्यालय में आग लगा दी गई ।

बिहार सरकार की भ्रष्टाचार सहन करने की शक्ति बहुत अधिक है । श्री ललित नारायण मिश्र राज्य के मुख्य मंत्री और केन्द्र में रेल मंत्री की दोहरी भूमिका अदा कर रहे हैं ।

भारत सेवक समाज के मामले में दिये गये 17 लाख रुपयों में से श्री मिश्र ने 2.10 लाख रुपये स्वयं ले लिये और इसका कोई हिसाब योजना आयोग अथवा बिहार सरकार और यहां तक कि कपूर आयोग को भी नहीं दिया ।

श्री मिश्र ने मधुबनी चुनाव में भी बड़ी गड़बड़ी की । मधुबनी जाने वाली सब गाड़ियों और बसों का कोयले की कमी के आधार पर रोक दिया गया । इन सेवाओं को 36 घंटे तक बन्द रखा गया ताकि कोई बाहर के लोग निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें । लेकिन इस बारे में कोई जांच नहीं की गई ।

बिहार सरकार में अनेक मंत्री बहुत भ्रष्ट हैं । श्री बालेश्वर प्रसाद के दो क्रैबरे रेस्टरों चल रहे हैं । श्री बालेश्वर प्रसाद मंत्री पद के लिए 5 लाख रुपये दिये थे ।

एक दूसरे मंत्री श्री शंकर दयाल सिंह की कोयले की खानें हैं । उन पर बिहार सरकार का कम से कम एक करोड़ रुपया बकाया है और जब एक अधिकारी ने उक्त धनराशि की मांग की तो उसका स्थानान्तरण कर दिया गया ।

राज्य के शिक्षा मंत्री ने अपने पुत्र को 15 प्रतिशत अंक अनुग्रह के रूप में दिलाये हैं । वहां के छात्रों का यह कथन है कि यदि शिक्षा मंत्री के पुत्र को अनुग्रह अंक देकर पास किया जाता है तो हमारा क्या बनेगा वहां के छात्र चाहते थे कि कि उन्हें भी उतने ही प्रतिशत अंक देकर पास किया जाये । लेकिन उनकी मांग अस्वीकार कर दी गई ।

राज्य में खाद्यान्न के मामले में बहुत गड़बड़ी हुई है । 1971-72 में राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन 7881.2 हजार टन था जो 1972-73 में 25 प्रतिशत बढ़ गया, फिर भी अधिकांश खाद्यान्न बाजार में उपलब्ध नहीं है । इनके मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि एक आम आदमी इनको खरीदने की स्थिति में नहीं है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्णतया असफल रही है ।

बिहार में खाद्य स्थिति बहुत चिन्ताजनक है । राज्य में 16 जिलों में खाद्यान्न का अभाव है, लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है । राज्य की 100,000 टन अनाज की मांग थी जबकि उसे केवल 35,000 टन अनाज सप्लाई किया गया है । अतः केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में राजनीति का सहारा ले रही है ।

गेहूं का मूल्य एक वर्ष पूर्व 1.15 रुपये प्रति किलो था लेकिन अब 2.30 रुपये प्रति किलो है । उक्त मूल्य पर खरीद करना जनसाधारण की शक्ति से बाहर है ।

बिहार राज्य की शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, योजना में प्रति व्यक्ति आबंटन के मामले में अपेक्षा की गई है । इसका मुख्य कारण राज्य का पिछड़ापन है ।

बिहार विधान सभा को भंग किया जाना चाहिये और वहां फिर से चुनाव कराये जाने चाहिये । राज्य में गोलियां चलाये जाने की सब घटनाओं की जांच की जानी चाहिये । गोली से मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिये । छात्रों की सब मांगों को स्वीकार किया जान चाहिये और हाल ही के आन्दोलन में गिरफ्तार सब व्यक्तियों को छोड़ दिया जाना चाहिये ।

Shri A. P. Sharma (Buxar) : The students are being misguided in Bihar. Political parties like the C.P.M., Jana Sangh, R.S.S., and Congress (O) are behind the agitation in Bihar. These parties have been trying to exploit the situation in the name of students.

It has been stated that the shortage of foodgrains and rise in prices have angered the students. But these problems cannot be solved by the methods adopted by these partie? How can the burning of Government properties solve our problem or bring down the pricess

Most of the demands of the Students have been accepted by the Bihar Government. These parties after being defeated in recent elections are taking recourse to undemocratic methods. They are not interested in solving problems of food or the problem of prices. They are interested simply in creating disorder in the country and to bring about dictatorship. It is high time that they should desist from destructive activities and contribute for the development of the country.

Most of the demands of the students have already been accepted. Even in regard to the outstanding demands of the students, the Chief Minister has stated that he is prepared to have a dialouge with the students unions.

The opposition parties have stated that they have no hand in the acts of violence. If it is so, why some important leaders of opposition went to Patna on the 16th instant to see Shri Anand Murti, the Chief of Anand Marg, who has a leading role in the present agitation ? They should realise that the path they have adopted will bring nothing but trouble for them and they will have to face the consequences.

Shri Bhogendra Jha (Jai Nagar) : The situation that has arisen in Bihar is the result of Governments own policies of playing in the hands of capitalists and land lords. Bihar has a very good crop of rice this year. Even then the prices are very high and the people have to suffer. The rationing system in the state has totally collapsed. The rise in prices has been so steep that the students living in hostels have to pay more every month. About 600 unions took part in the demonstration organised on 21st January. There was a total Bihar Bandh on that day. There was not a single case of looting or arson on that day. All the demonstrator's demanded that the Government should stop rise in prices and take over the wholesale trade of foodgrains in under to assume fair distribution.

Bihar Government has imposed a professional tax upto the income of Rs. 300. In case efforts are made to realise this tax the coal mines will stop working. It is not proper to impose professional tax on the fixed income group.

Large-Scale malpractices were indulged in by the Ruling Party in the Madhubani bye-election and as a result of that the people have lost faith in the present Government. All kinds of methods were adopted to rig the elections.

The large-scale malpractices indulged in by the Ruling Party in the Madhubani bye-election have made the people very bitter and critical and they have lost faith in the system of elections. All kinds of methods were adopted to rig the elections. Voters were intimidated. A fake leaflet was issued and distributed on behalf of C.P.I. wherein people were told to vote in favour of Shri Abdul Gafoor. In the counting of votes also unfair means were adopted. Shri Raj Kumar Gurve, M.L.C. and an election agent of the C.P.I. candidate, was arrested who has not so far been released. His application for release on bail has been rejected by the order of Bihar Government.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

A murderer of 18 persons has not been detained in prison, but an election agent of C.P.I. candidate is still in jail.

The blackmarketeers spent huge amounts during the Madhubani bye-election. Today, great discontentment is prevailing amongst the people in Bihar. All India students Federation, Students Federation of India and other leftest Students' Organisations had organised demonstrations on the 16th throughout the state and they demanded that wholesale trade and the responsibility for distribution should be taken over by the Government; but the Government did not care to think over their demands. Shri Gafoor had announced that he was going to provide the items of their necessity at controlled rates, but they have got nothing so far. (*Interruptions*) Still the assurance has not been implemented. Efforts are being made to paralyse the distribution system of the country.

No property belonging to any blackmarketeer and wholesaler was burnt or looted, but instead the public property was looted and burnt.

As far as press is concerned 'Searchlight' had been supporting our struggle of independence, but now this newspaper has changed its policies completely because it has been purchased by Birla. We know this also that the editor of 'Pradeep' is (*Interruptions.*)

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : For this reason their offices should not be burnt. This should not happen.

Shri Bhogendra Jha : Please have a list of patience. Please listen to me. The editor of the "Pradeep" newspaper had inaugurated the front which was formed on the 18th instant and at that time he had advised to resort to revolt. The agitation of the people has been spreading. This agitation has been started against coruption and price increase etc. At the instance of the American Embassy, the Ananda Margis and R.S.S. people hatched conspiracy so that the agitation of the people may not succeed the Government have not declared these two organisations as illegal. They all were united.....

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : The officers of the newspapers are attached by you and we are maligned (*Interruptions*)

Shri Bhogendra Jha : The organisations,lik e Anand Marg and R.S.S. which do not call themselves as political parties, are responsible for these attacks and they have damaged the public property.

The Government are trying to distort facts and they are painting a bad picture about this agitation which is very unfair. I want to know as to what is being done by Bihar Government in this connection. The state Government has proved worthless, this Government should be removed and a new Government formed which may be able to fight against the profiteers, corrupt persons and check rise in prices. If this is not done, such practices would get encourgement and there would be danger to the security of the country.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : We are very much distressed over the happenings of Bihar. It is not correct to say that our party is opposed to the demands of the students. In fact, we have always been supporting their demands ever since the days of national movement. Even today, if they have got certain demands, we fully support them. But we would not advise them to indulge in acts of violence as some political parties have been doing. It seems that these parties have been very much disappointed by their defeat in the recent elections in Bihar and other places they are taking recourse to such tactics. But these parties should remember that the people won't tolerate such acts. The election results have clearly indicated that the people are still with the congress. Although they are facing difficulties yet they have got confidence in the leaders of the Congress (Interruptions). The Swantantra Party has got only one seat. The parties like Swantantra, Jan Sangh and the Socialist party have conspired and they want the country to be destroyed. The persons belonging to Anand Marg, Smajvadi Jana Sabha and R.S.S. indulged in acts of arso n, loot and violence, but the students were only staging peaceful demonstrations in support of their demands.

When these parties fail to win in the elections through democratic process, they try to adopt undemocratic methods so that they may come to power. We might have got some differences within our congress party, but our party wholeheartedly supports Shrimati Indira Gandhi as its leader and our party is confident that the country would make progress under her leadership.

We understand the importance of the opposition parties in a democracy. But is it fair to indulge in acts of arson and loot to damage public property.

I would request the Home Minister to have direct negotiations with the students. I am glad that the Defence Minister went to Bihar and had talks with the students. In regard to the demands of the students, the Government should start direct negotiations with them. If they want cheap books and other assistance, it should certainly be made available to them.

There is a longstanding demand that a radical change in the system of education should be brought about. The economic structure of the society should also be so changed so that disparities are completely eliminated. Above all the political and administrative set up of the State should also be completely changed.

I want to advise the students that they should condemn these persons and have direct negotiations with the Government in connection with their demands.

Shri G. P. Yadav (Katihar) : Today when Bihar is going through a great crisis, the authorities are enjoying here unmindful of the happenings taking place in that State. It is clear that there is starvation. Graduates are not getting jobs although the state abounds in rich resources. Compelled by these circumstances the students of Bihar barring communists have formed students Action Committee and placed eight demands before the Government.

The students decided to gherao Bihar legislative Assembly on March 18 when their demands were not conceded by the Government. The communists controlled students Fedration decided to give dharna in front of the office of collectorate of Bihar on March 16. This resulted in violent demostration and two students were killed and several students injured in Police firing. The hon. Education Minister of Bihar was insulted. The Searchlight Press was also attacked . The hon. Minister has not mentioned these things in his report. The students of Student Action Committee were to stage dharna in front of the legislative Assembly and Sectariate on March 18 and on the night of March 17 it was decided in the office of the Communist Party to frustrate the dharna. On March 18, when members of Students Action Committee were sitting on dharna, the mischieveous elements under the banner of student Federation set fire to the office of the searchlight, the office of Tourist department and tried to set on fire the office of the Intelligence department. Upon this Shri Lal Bihari Prasad, M.L.A of the Communist Party and who was leading the mob was arrested by the Police. But this was not mentioned anywhere even in the broadcasts of All India Radio and in the report of the Home Ministry. But when other members of Socialist Party and Jan Sangh were arrested. This was promptly announced.

When the house of the Secretary of Bihar Legislative Assembly was set on fire, the employees of the secretariate got angered and they entered into the Assembly to question the Minister why protection was not given to the secretary. Upon this the guards openedt fire. You can say that these are R.S.S and members of other political parties and will no say anything about C.P.I.

Searchlight had played a great role by becoming the mouthpiece of freedom fighters during independence struggle. The State Government was irritated with the Searchlight and the Pradeep. Advertisements were stopped to them. The Editor of the searchlight had pointed out some irregularity in matter of giving status of Minister to two correspondents. This angered the Bihar Government and they knowingly took such a steps. Not only this a mobe of 500 agitated people stoned the collectorate and the Police Station. Afterwards they set fire to the office of Kosi Flood Control. The Police had arrested a C.P.I leader. But this matter is being kept secret obviously because they have alliance with communists.

Nobody can say what will happen in case the sentiments of the people are flouted. For the last 4-5 years the situation in Bihar has worsened due to drought and lack of rains. Instead of giving foodgrains the Government have given them personnely of C.R.P and Army who are cracking down the people. If the Government wants the matter to be solved they should concede the demands of the students. Blaming R.S.S is not good. Rather they should appoint a Commission to find out the facts in this matter.

Shri Satpal Kapur (Patiala) : It cannot be denied that the whole country is suffering from spiralling prices and unemployment. But the question is which policies can help in solving such problems. There are some people in the country who want to avail of situation and sabotage in the country.

It is not understandable if one blame the election system on getting routed in the elections. Some people are trying to shake up the confidence of the people in elections and democracy and bring fascism in the country.

We have no objections to the demand of the students. But these R.S.S. people create lootiganism. They are trying to change those policies which are helping in the extinction of Capitalism. They are advocating the policies of free-enterprise and private trade in foodgrains. They want to bring fascism in the country by replacing the policies being followed by the Prime Minister. But they are mistaking because the people will never be misguided by their uttarances.

I demand from the Government that fascist organisation like R.S.S. should be banned The people want socialism. The Government should take steps to solve the problem of high prices and unemployment.

Shri Madhu Limaye (Banka) : I am sorry to point out that the statement made by the Home Minister on the situation in Bihar is far from satisfactory. The situation has not been properly analysed. The main reasons of such a situation of Bihar are famine conditions, stoppage of development works, decrease in agricultural production and increase in unemployment. The Government have not taken any step for a pretty longtime and this explosive situation has arisen as a result thereof. The wrong policies followed by the Government are responsible for this situation. There is not use of levelling charges against opposition. It was pointed out to the Chief Minister by the Congress Members of the Legislative Assembly that if effective steps are not taken to check price rise, hoarding, profiteering, adulteration, etc., the happenings of Gujarat may repeat themselves in Bihar also. How can opposition be blamed for this situation? I would like to say that famine conditions are prevailing in Bihar since 1961 census. The proportion of landless agricultural labour in the total population of Bihar had increased from 22.9 per cent in 1961 to 38.2 per cent in 1971 and the proportion of agriculturists has gone down to 42.3 per cent in 1971. as Compared tc 58.2 per cent in 1961 Bihar has been a deficit State and rice is being sold at Rs. 3.50P. to Rs. 4.00 per Kg. and maize is being sold at Rs. 2.50P to Rs. 3.00 per Kg. in some of the areas. This is one of the reasons of dgscontentment among poor people of Bihar. Bihar had demanded 17 lakh 40 thousand ton of foodgrains but only 27 per cent of the demand has been met whereas in the case of some other States the demands were met upto 75 per cent.

The agricultural production has been declining at the rate of 2 per cent per annum due to wrong policies followed by the Government. The land ceiling laws have not been implemented in Bihar. There are so many Zamindars, supporters of Congress Party, who are in possession of 25-30 acres of land and these people do not give any foodgrains in the form of Levy. They had purchased foodgrains of Ration by offering illegal gratification and gave the same in the form of Levy. and they sold their wheat in Calcutta or other markets at the rate of Rs. 350/- per quintal. On the other hand the poor farmers had to purchase fertiliser at double the controlled price and sell wheat at Rs. 76/- per quintal. This is horn the plight of the poor people has become miserable.

It has been stated that the cost of irrigation is the lowest in Bihar. In spite of it no attention is paid to the irrigation schemes for making water available to cultivators for agricultural purposes when they needed it most.

The main demand of the students is to increase the amount of scholarship because of abnormal price rise. The cost of paper has increased manifold and we are not aware whether it would be possible to publish text books for the next year or not.

It has been observed that fertilisers are not available in the market at controlled rates. The failure of Government policies are responsible for the resentment of the people of Bihar. There is no use blaming opposition parties for the situation in Bihar. It has been proved that Ghafoor Cabinet is absolutely useless. Ghafoor Ministry should resign immediately. In case they do not submit their resignations I demand dissolution of the Bihar State Assembly. If timely action is not taken, the situation may go out of control and there may be demand for the dissolution of Lok Sabha as well.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): I express my full sympathies for the people including police personnel who have been killed in the disturbances in Bihar. An adequate compensation and relief should be given to the dependents of these people. The demands of the students should be discussed at Central level and steps may be taken to remove their grievances.

A number of persons have been killed in Bettial firing. An enquiry should be held into the incidents of arson and looting and the violence should be condemned. The mob had looted the shops of many refugees and damaged the property. We regret that 'Searchlight' press has also been damaged. This paper used to write against Anandmargis. 'Indian National' was also attacked. I would request the Government to give adequate compensation to the owners of shops which have been looted.

The violence must be comdemned. It has often been observed that public property or railway property is damaged in the course of disturbances. Opposition parties have not been able to come together and they will never be in a position to form any Government. They have no standard of their own. They want to oust Shrimati Indira Gandhi but can they produce any leader of her statute.

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai): The situation in Bihar is very serious but our Prime Minister is not taking any interest in the proceeding of the House especially when a serious situation is being discussed. The administration of Bihar has been completely paralysed. It appears that the situation is likely to take a more serious turn and develop into a more complex crisis. It can be called more serious than Gujarat because more than 50 persons have been killed in only two days in Bihar. If timely action is not taken the violence may spread in other states also. The extent of poverty in Bihar is much more than that in Gujarat. The food situation is likely to take a serious turn in the near future and if no action is taken it may engulf the whole country. The ruling party should sit with the opposition and discuss the situation. The concept of democracy is quite different in the minds of the ruling party. They do not want consensus or near consensus. They want to rule through brute force and the people are fighting with the same force. Shri Jay Prakash Narayan was astonished to see the atmosphere of corruption in Bihar and in his view this explosion should have taken place much earlier. The Government of the State Shri Bhandare himself admitted that most of the Ministers of Bihar are corrupt. The statement of Minister of Home Affairs is biased one and self deceiving. He visited Bihar but he has no courage to name the elements who were responsible for violence and destruction. It would be wrong to say that our party was in any way connected with the disturbances in Bihar. Our struggle will always be based on truth and non-violence. In fact ruling party is responsible for indiscipline.

It was observed that sufficient protection was not provided to 'Search light' on 18th March in spite of the request for the same. So much so that even Fire Brigade was not made available to 'Search light' and the result was that the entire building was destroyed. Then I would like to refer the shameful incidence which incurred inside Legislative Assembly. None of the opposition Members was present there when the employees had assaulted the Ministers. But who is responsible for this incidence? Then Students' Action Committee has condemned the incidences of violence and destruction in clear terms. It is clear that the explosion has not occurred all of a sudden. It is the result of wrong policies followed by the person who are occupying high positions. In order to deal with such a serious situation I would suggest that a pragmatic economic programme should be drawn up to bring about economic development of the people. Secondly corrupt people whether in State or Centre should be removed because such people do not have moral courage to face the public. Thirdly an Enquiry Commission should be set up to fix the responsibility for the events which have occurred. Fourthly fresh election should be held to give clear administration to the State. In the end I would suggest that compensation should be paid to the dependents of the victims as early as possible.

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : छात्रों ने उस जनता की भावनाओं को व्यक्त करने का बीड़ा उठाया है जिसकी दशा मूल्य वृद्धि तथा कुछ अन्य आर्थिक कठिनाइयों के कारण बहुत ही दयनीय है । मैं यह नहीं चाहता कि छात्रों की गतिविधियां केवल शिक्षा तक ही सीमित रहें । छात्र वर्ग ने स्वतन्त्रता आन्दोलन से पहले और बाद में देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । अतः उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से अलग नहीं रखा जाना चाहिये । उन्हें इस प्रकार के आन्दोलनों में भाग लेना चाहिये । विभिन्न प्रगतिशील छात्र और युवक संगठनों ने पहले ही इस संबंध में विचार व्यक्त किये हैं कि मतदान के लिये आयु सीमा को घटा कर 18 वर्ष कर देना चाहिये । उनका यह भी कहना है कि उन्हें विश्वविद्यालय के सेनेट और सिंडीकेट में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । मेरे विचार में कालेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को हमारे लोकतन्त्रीय जीवन में प्रमुख भागीदार होना चाहिये और उनकी विचारधारा स्पष्ट होनी चाहिये । निःसन्देह उन्हें जनता के साथ मिलकर चलना चाहिये और देश की प्रगति के लिये प्रयत्न करना चाहिये । हमें छात्रों के विचारों पर ध्यान देना चाहिये और उन्हें समझना चाहिये । छात्रों द्वारा आरम्भ किये गये किसी आन्दोलन को दलगत रूप नहीं दिया जाना चाहिये । यह दुःख की बात है कि इस प्रकार के आन्दोलन में कुछ लोकतंत्र विरोधी तत्व घुस आते हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी गरीबी दूर करने के प्रयत्न करती रहेगी । परन्तु यह खेद की बात है कि जब कभी सरकार ने कोई प्रगतिशील उपाय किये तभी कुछ विरोधी दलों ने उनका विरोध करना आरम्भ कर दिया । छात्रों ने इस प्रकार के किसी भी उपाय का कभी विरोध नहीं किया । मैं विरोधी दलों से अनुरोध करता हूं कि वे छात्रों को अपना खिलौना मात्र न बनायें और उनके आन्दोलन से कोई अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न न करें । यदि कुछ राजनीतिक शक्तियां ऐसा सोचती भी हैं तो वह आत्मवंचता होगी । वे शायद यह नहीं जानते कि छात्र आन्दोलन असन्तोष का परिणाम है ।

गुजरात और बिहार में छात्र असन्तोष का मुख्य कारण क्या है ? विद्यार्थियों की यह मांग कि शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन किया जाये । में जानना चाहता हूं कि शिक्षा के विषय को समवर्ती सूची में क्यों नहीं रखा जाता । उसे राज्य का विषय क्यों बनाये रखा जा रहा है ? उससे गैर-सरकारी शिक्षा संस्थानों को मनमानी करने का अवसर मिलता है । इस विषय को समवर्ती सूची में रखने से दक्षिणपंथी शक्तियों को छात्रों का दुरुपयोग करने का अवसर नहीं मिलेगा । वास्तव में छात्र वर्ग प्रगतिशील विचारधारा का होता है किन्तु कांग्रेस (वि०) और जनसंघ छात्र वर्ग का दुरुपयोग करते हैं । मैं जनना चाहता हूं कि श्री आनन्द मूर्ति जी से जेल में किस उद्देश्य से मिलने गये जबकि श्री आनन्द मूर्ति जी ने सैकड़ों व्यक्तियों की हत्या करा दी ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब किसी मामले पर न्यायिक जांच हो रही है क्या उस पर सभा में चर्चा की जा सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : बिहार में असाधारण स्थिति होने के कारण हमें सभा में उस पर विचार करना पड़ रहा है । यह स्थिति उत्पन्न कराने में जिन व्यक्तियों का हाथ होने की सम्भावना है उनका उल्लेख करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । आप इसका खण्डन कर सकते हैं ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : महोदय ! मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । लगभग सभी कांग्रेसी सदस्यों ने मेरा उल्लेख किया है । अतः मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिये समय दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यही व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : गत एक वर्ष से हम यह कहते आ रहे हैं कि इन घटनाओं के पीछे किसी विदेशी एजेंसी का हाथ हो सकता है । उदाहरण के लिये श्री पीटर वर्लीर, जो सी० आई० ए० का एजेंट है जिस भी राज्य में या नगर में जाता है वहां अवश्य कोई न कोई घटना घट जाती है। अगर मेरी यह बात गलत हो, तो में अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूं । अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार दूतावस से यह अनुरोध करे कि इस व्यक्ति को देश से निकाल दिया जाये । उसी व्यक्ति ने हजारीबाग, अलीगढ़ और बनारस आदि में तबाही मचाई है ।

इस स्थिति को देखते हुये सरकार को आराम से नहीं बैठना चाहिये क्योंकि इन गतिविधियों का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को समाप्त करने का नहीं, वरन् प्रजातन्त्र प्रणाली को ही समाप्त करना है । अतः सरकार को छात्रों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिये । तथा इस छात्र शक्ति को सही दिशा देनी चाहिये ।

छात्र वर्ग आज देश में विद्यमान भ्रष्टाचार चोरबाजारी तथा जमाखोरी के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत चोरबाजारी करने वाले तथा जमाखोरों को क्यों नहीं दण्डित किया जाता ।

कुछ युवकों को नक्सलवादी बता कर जेल में उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है । उन पर बिना मुकदमा चलाये उन्हें जेल में रखा जा रहा है । मेरा सुझाव है कि सरकार इस समस्या पर पुनः विचार करे तथा सामान्य स्थिति लाने और शांति स्थापित करने के लिये उपयुक्त तथा प्रजातांत्रिक कदम उठाये ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : महोदय हिंसा का इतिहास में एक विशेष स्थान रहा है । कांग्रेसी सदस्यों ने प्रजातांत्रिक प्रणाली की महत्ता पर जो भाषण दिये है उन्हें सुनकर मुझे हंसी आती रही है । जब चुनावों में मतदाताओं को काला धन देकर खरीद लिया जाता है प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग किया जाता है तथा सत्ता हड़पने के लिये सभी छल प्रपंच अपनाये जाते हैं तो हिंसा के अतिरिक्त चारा ही क्या रह जाता है । 'गरीबी हटाओ' नारे से भारतीय जनता का दुखद उपहास किया गया है । अतः जनता ने सही समय पर सरकार का विरोध किया है तथा वह अब सरकार को हटाने पर तुली हुई है ।

कांग्रेस दल ने गैर-संवैधानिक तरीके अपना कर देश की जनता को व्यापक आन्दोलन और हिंसात्मक कार्य करने को विवश कर दिया है । 1968 में केरल में श्री नम्बूदिरीपाद मुख्य मंत्री थे जिन्हें जन आन्दोलन के नाम पर सत्ता छोड़नी पड़ी । उन दिनों कांग्रेस प्रेसीडेंट श्रीमती इन्दिरा गांधी थीं (**व्यवधान**) गुजरात और बिहार में अब भी व्यापक जन आन्दोलन हो रहा है ।

पश्चिमी बंगाल में भी, जब वहां संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने असंवैधानिक तरीका अपनाया था

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए]

[SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI IN THE CHAIR]

बिहार के राज्यपाल श्री आर० डी० भण्डारे ने महाराष्ट्र में यह वक्तव्य दिया था कि यदि मुझे अधिकार होता, तो मैं कुछ मंत्रियों को निकाल देता । किन्तु उन्हें अपने इस वक्तव्य को वापस लेना पड़ा क्योंकि उन पर दबाव डाला गया ।

पटना में एक मंत्री के होटल में जब आग लगी तो उसकी बालकोनी से जवान महिलाओं और लडकियों को छलांग लगाते देखा गया । क्या वह होटल था या घर था ? इस प्रकार के भ्रष्टाचारों के कारण बिहार के नवयुवकों में भारी आक्रोश है। उनके हिंसात्मक कार्य भ्रष्टाचार, कुप्रशासन आदि की प्रतिक्रिया मात्र हैं ।

श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि गफूर सरकार को पदच्युत किया जाये तथा वहां नये चुनाव कराये जायें । जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा वहां शांति स्थापित नहीं हो सकती ।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन (बडागरा) : गत कुछ सप्ताहों में देश के राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनायें हुई हैं । गुजरात राज्य में जनता के असन्तोष का अनुचित लाभ उठा कर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने वहां के विद्यार्थियों का शोषण किया है तथा इस पर यह फासिस्ट शक्तियां सरकार तथा संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहती हैं ।

मूल प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार के आन्दोलनों से कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाया जा सकता है जिसके आश्वासनों तथा कार्यक्रमों पर विश्वास रखकर जनता ने उसे बहुमत प्रदान किया है । श्री चरन सिंह और बीजू पटनायक जैसे हारे हुये फासिस्टों ने अब प्रजान्तत्र की बातें करनी आरम्भ कर दी हैं । किन्तु उन्होंने संवैधानिक तरीके छोड़कर अब असंवैधानिक तरीके अपना लिये हैं । मुझे आशा है जनता उनके षड़यन्त्र को भी आज नहीं तो कल अवश्य कुचल देगी ।

भारत में जो फसिज्म पनपा है वह अत्यन्त राष्ट्र विरोधी है तथा अन्य वर्गों के साथ-साथ यह समाज के पिछड़े वर्गों आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के भी विरुद्ध है । (व्यवधान)

बिहार में वास्तव में आक्रोश तथा असन्तोष है । वहां निश्चय ही अभाव की स्थिति है । हमें वहां के विद्यार्थियों से सहानुभूति है ।

बिहार की अपनी सांस्कृतिक विरासत है । यह बुद्ध की पवित्र भूमि है । स्वतन्त्रता संग्राम में भी बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । ऐसी भूमि पर भी फासिस्ट तत्व आर्थिक कठिनाइयों का सहारा लेकर जनता में असंतोष व्याप्त करना चाहते है और विधिसम्मत सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं । लूटपाट, सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करने और हिंसा को राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और आनन्द मार्ग जैसे संगठन बढ़ावा दे रहे हैं । ये चाहते हैं कि न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में शांति-व्यवस्था भंग हो जाये और लोकतन्त्रीय ढांचा ढह जाये । ऐसा आरोप लगाया गया है कि आनन्द मार्ग की साठ-गांठ विदेशी शक्तियों से है । मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है ।

हमारे देश में यह भावना व्याप्त है कि हमारे यहां बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है । मैं इस बात से सहमत हूं कि भ्रष्टाचार समाप्त किया जाना चाहिये । तभी लोकतन्त्रीय संस्थाओं और परम्पराओं की रक्षा हो सकती है । परन्तु इससे भी बड़ा प्रश्न है टकराव का, जो वर्तमान आर्थिक विषमताओं एवं अभावों की स्थिति में पैदा होता जा रहा है । इस टकराव की समस्या का समाधान तो सरकार ही खोज सकती है और वह भी आर्थिक विषमता को दूर करके और अपने वचनों को पूरा करके । मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसे बिहार की स्थिति से सबक लेना चाहिये तथा जमाखोरों, चोरबाजारियों व समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करके, राष्ट्रीय खाद्य नीति लागू करके और अपने वचनों को पूरा करके एक आशाजनक वातवारण बनाना चाहिये । साथ ही सरकार को सक्रिय फासिस्ट शक्तियों को दबाने के लिये तत्काल कठोर कार्यवाही करनी चाहिये ।

*श्री आर० वी० उलगनम्बी (वैल्लोर) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरा दल द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता कि प्रस्तुत समस्याओं के समाधान के लिये हिंसा का सहारा लिया जाये । पिछले तीन-चार दिनों से बिहार में लूट-खसौट, आगजनी और हिंसा की लगातार वारदातें हो रहीं हैं । लगभग 70 व्यक्तियों के मर जाने और करोड़ों रुपयों की सरकारी और निजि सम्पत्ति के नष्ट हो जाने का समाचार है । 'सर्चलाइट' दैनिक पत्र के छापेखाने के जलजाने से उसे एक करोड़ रुपये की हानि हुई है । राज्य पुलिस हिंसा को नियन्त्रित करने में असफल रही और उस पर काबू पाने के लिये सेना, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल की टुकड़ियां बिहार में तैनात करनी पड़ी । यह बिहार की कांग्रेस सरकार के लिये भी शर्म की बात है ।

शासक कांग्रेस दल जब जन असंन्तोष तथा जन क्रोध को नियन्त्रित करने में असफल हो जाता है तब उस दल के श्री उन्नी कृष्णन् जैसे सदस्य विरोधी दलों पर इसके लिये आरोप लगाना शुरु कर देते हैं । हिंसक आन्दोलन के लिये वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आनन्द मार्ग, जनसंघ जैसी संस्थाओं तथा समाज विरोधी तत्वों को उत्तरदायी बनाते हैं । देश के दो राज्यों के छोड़कर शेष सभी में कांग्रेस दल की सरकारें हैं । ऐसी स्थिति में शासक दल को यह शोभा नहीं देता कि वह विरोधी दलों पर ऐसे निराधार आरोप लगायें । बजाय इसके शासक दल को उन कारणों का पता लगाना चाहिये जिनसे हिंसा भड़कती है या आन्दोलन शुरु होता है । विरोधी दलों पर आरोप लगाने से पूर्व उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि आरोप ठीक है अथवा नहीं । यदि मैं यह कहता हूं कि 'सर्चलाइट' के मुद्रणालय में आग शासक दल के सदस्यों ने उससे द्वेष होने के कारण लगाई, तो क्या कांग्रेस सदस्य इस आरोप को मान लेंगे । यह आरोप इस आधार पर लगाया जा सकता है कि 'सर्चलाइट' के सम्पादक ने प्रेस परिषद से यह शिकायत की थी कि बिहार के मुख्य मंत्री ने राज्य की खाद्य समिति में दो पत्रकारों को नियुक्त किया और उन्हें मंत्री का दर्जा दिया और इससे प्रेस की स्वतन्त्रता का हनन हुआ ।

18 मार्च, को एक और ऐसी घटना हुई जो अब तक किसी भी लोकतन्त्रिक देश में नहीं घटी है । पूरे स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी ऐसी घटना नहीं घटी । बिहार विधान सभा के भीतर ही पुलिस ने विधान सभा के सचिवालय के निहत्थे कर्मचारियों पर उस समय गोली चला दी जब कि वे सभा में उपस्थित मंत्री से अपने सचिव की रक्षा की मांग कर रहे थे, जिसके घर को दंगाइयों; ने आग लगा दी थी । यह सब कांग्रेस के शासन में हो रहा है । पहले आन्दोलन आन्ध्र प्रदेश में हुआ । गुजरात में भी आन्दोलन हुआ । जो आज बिहार में हो रहा है, वह कल उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में, या कर्णाटक में भी हो सकता है । जब ऐसे आन्दोलन पूरे देश में हो रहे हैं फिर कांग्रेस द्वारा अन्य दलों पर इसके लिये दोषारोपण करना उचित नहीं है । दुख की बात तो यह है कि कांग्रेस ने इस हिंसक आन्दोलन के असली कारण को खोजने का प्रयास ही नहीं किया । इसका कारण है दोषपूर्ण आर्थिक नीतियां जिन्होंने देश को विपत्ति के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है । आज देश और जनता के सामने जितनी भी कठिनाइयां हैं वे दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों का परिणाम हैं । जब तक कांग्रेस सरकार इस बात को नहीं समझेगी तब तक विद्यमान समस्याओं का समाधान नहीं होगा । क्या ससरकार इस बात से इन्कार कर सकती है कि मुद्रा स्फीती महंगाई और आवश्यक वस्तुओं का अभाव गलत आर्थिक नीतियों का परिणाम है । यदि बिहार में सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ते हुये मूल्यों को नियंत्रित किया जाए तथा आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध की जाए, तो वे क्या गलती

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रुपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

कर रहे हैं । अन्त में, मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि जब तक देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु तात्कालिक उपाय नहीं किये जायेंगे तब तक आन्दोलन जारी रहेंगे और निर्दोष लोगों पर गोली चलाकर आन्दोलनों को नहीं दबाया जा सकेगा ।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : Sir, it is wrong to say that congress people are not worried over what is happening in Bihar. It is also incorrect to say that the statement given by the Home Minister is far from reality. On the contrary, I support the statement given by the Minister. No doubt, there is scarcity of foodgrains and high prices are prevalent in Bihar. But this phenomenon is not confined to Bihar alone. It is all over the country.

The agitation which took place in Bihar is a politically motivated agitation. It should be condemned. But the opposition will never be able to achieve their ulterior motive with which the violent agitation was started in the state. They will not be able to separate people from the congress. People have faith in our policies of programmes. As regards the students, they expressed their resentment. But they made it clear through issuing statements to press that they do not believe in violence.

If opposition parties wanted to demonstrate against scarcity of foodgrains and high prices, they should have done it peacefully. I would like to know as to what they had achieved by resorting to violent agitation. Property, private as well as public, worth crores of rupees was destroyed in Bihar. Is it not a national loss? Will it strengthen our national economy or weaken it? I would like to know the steps taken by the opposition parties in solving the problem of scarcity of foodgrains and that of high prices. These problems can be solved with the cooperation of all political parties. In the end, I make an appeal to all opposition parties to give their cooperation to government in bringing about normalcy in Bihar.

सभापति महोदय : हमारी पहले की व्यवस्था के अनुसार मंत्री महोदय को 3 बजकर 30 मिनट अ० प० पर उत्तर देना था परन्तु मुझे पता चला है कि बहुत से सदस्य बोलने के इच्छुक हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मंत्री महोदय को 4.30 बजे बुलाया जाय।

सभापति महोदय : इस चर्चा का समय एक घंटे तक बढ़ाते हैं। मंत्री महोदय को 4.30 बजे बुलाया जायेगा।

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra) : The situation created in Bihar during the last three or four days due to arson and violence has endengered the public life but no individual or party has condemned it.

I would like to say that it is the basic duty of the Government to protect life and property. When there is serious situation in Bihar, every one should have supported the Government but it is a matter of regret that nobody is condemning the acts of violence and arson.

So far as the demands of students are concerned, the Chief Minister of Bihar has accepted them. Inspite of the announcement made by the students that no political party would participate in their agitation, the opposition took part in their agitation. The Opposition parties wanted not to allow the Governor to deliver his Address on the 18th instant. When the Opposition parties failed in doing so, they started indulging in destructive actities. Any party which tries to disturb the law and order, should be condemned and the Government which makes efforts to maintain law and order should be supported.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मुझे याद है कि जब 1942 में छात्र बिहार विधान सभा पर तिरंगा झंडा फहराना चाहते थे तो अंग्रेजों द्वारा उन पर गोली चलाई गई थी और आज 32 वर्ष बाद उसी स्थिति की पुनरावृत्ति हो रही है।

कुछ छात्र, जो भ्रष्टाचार, मंहगाई और सरकार की अक्षमता के विरुद्ध लड़ना चाहते थे, उन्हें बड़े से बड़ा बलिदान देना पड़ा। बिहार की समूची स्थिति पर उचित दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये। दूसरे, सरकार द्वारा की गई बहुत कम वसूली से सरकार की नीतियां असफल सिद्ध हुई हैं। तीसरे, प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने हमारे समाज का नैतिक पतन कर दिया है और चौथे, बढ़ती हुई बेरोजगारी की दृष्टि से छात्रों ने शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की मांग की है।

समूचे देश में विश्वास का संकट पैदा हो रहा है। यह स्थिति समूचे देश में पैदा हो गई है। गुजरात में जो स्थिति उत्पन्न हुई वह इस बुरी हालत का उपाय है। वहां कानूनी ढंग से बनी हुई सरकार को गिराने में लोगों को बहुत अधिक कुर्बानी करनी पड़ी।

बिहार में जो आन्दोलन हुआ है वह वहां के कोने-कोने में फैल गया है। यह बिहार का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस दल को भारी बहुमत प्राप्त होने के बावजूद, वहां काफी समय से अवांछनीय और कमजोर सरकारें बनी हैं। श्री जयप्रकाशनारायण तथा अन्य व्यक्तियों ने बिहार में कांग्रेस दल के कार्यकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार को सबके समक्ष रखा है:

इस आन्दोलन को कुचलने के लिये सेना, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और पड़ौसी राज्यों से पुलिस बुलाई गई और अंधाधुन्ध गोलीबारी के कारण 22 व्यक्तियों के प्राण पंखेरू उड़ चुके हैं। गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया है और विरोधी पर आरोप लगाये हैं। जब लोगों की सहन शक्ति समाप्त हो जाती है। तो वे या तो चुनाव से या गोलियों से सरकार बदलते हैं। आज यही स्थिति गुजरात और बिहार में है।

मैं अपने दल की ओर से मांग करता हूं कि गफूर मंत्रीमंडल को भंग किया जाए क्योंकि बिहार राज्य में संवैधानिक तन्त्र पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। बिहार विधान सभा को भंग किया जाना चाहिये तथा बिहार की समूची स्थिति की जांच करवाने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त न्यायिक समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The Minister of Home Affairs is not present here. He has to reply to the debate.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): गृह मंत्री घर नहीं गये हैं। वह राज्य सभा में हैं वह राज्य सभा में हैं जहां वाद विवाद हो रहा है। थोड़ी ही देर में वह यहां आने वाले हैं। इस बीच मुझे बातें 'नोट' करने को कहा गया है।

Shri R.P. Yadav (Madhepura) : The recent happenings in Bihar are distressing. It is fine that there is shortage essential commodities but the opposition parties want to exploit the situation. They have incited students which has resulted in such incidents.

These happenings took place after the meeting of Shri Atal Bihari Vajpayee with Anand Murti on the 16th instant and Shri Karpoori Thakur's provocative speech delivered to the students.

The office of the 'Search light' was set ablaze only because it has all along been writing against the activities of the Anand Marg. The present happenings are the result of a pre-planned scheme.

There were a few demands of the students and they were under consideration. Even then, these incidents took place. Therefore, it is obvious that the political parties incited such destructive activities.

I would like to request the Minister of Home Affairs that the two organisations viz. R.S.S. and Anand Marg.....

Shri Hukam Chand Kachwai: That is wrong.

Shri R.P. Yadav: I want that the Opposition parties should cooperate with the Government so that they may be able to have control over the situation.

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj) : I was pained to hear the statement of the Home Minister. Whatever has happened in Bihar is really shocking and tragic. Everyone is disturbed about the violence, loot and arson. It seems there is no democracy in the country. (*Interruptions*).

I think that Opposition Parties wo'nt get any help from the statement of the Home Minister. The Opposition has lost faith in democracy.

The Government are ansurable to the House. The people of this country are facing certain difficulties. The Government are also aware of these difficulties. But I want to say that the proper method has not been adopted. Moreover the problems of the people can not be solved by destroying public property and creating lawlessness. If you have seen the newspapers of these few days, you would understand every thing. If you don't want to read them, then it is another thing (*Interruptions*). What is the economics of the Opposition. It is neither leftist nor socialist. It cannot even be called Rightist or Fascist. As for as Wheat take over is concerned, Shri Vajpayee used to say differently in the villages from whatever be said here.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यद्यपि मैं गुजराती का हूं, तथापि बिहार की घटनायें भी बहुत ही दुखद हैं। यद्यपि हिंसा की निन्दा की जानी चाहिये तो भी सरकार को चाहिये कि वह इस बात को समझे कि हिंसा का सहारा लोग क्यों लेते हैं? यह इस कारण हो रहा है कि लोग यह समझने लगे हैं कि ये तथाकथित लोकतांत्रिक सरकारें जनता की किसी भी वैध तथा मूलभूत मांग को तब तक नहीं मानेंगी जब तक किसी प्रकार का दबाव और हिंसा की चालों को न अपनाया जायेगा।

बिहार की घटनायें हम सभी के लिये कष्टदायक हैं। यह बड़े ही खेद की बात है कि 'सर्चलाइट' के कार्यालय में घटी घटना के द्वारा स्वतन्त्र पत्रकारिता को एक प्रकार से नष्ट करने का प्रयास किया गया है। हमारा यह अनुभव रहा है कि जहां कहीं भी हिंसा की घटनायें होती है, वहां निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं और समाजविरोधी तत्व स्पष्ट रूप से बच जाते हैं।

विभिन्न राज्यों में स्थिति भिन्न भिन्न है। अतः उनमें तुलना करने का कोई लाभ नहीं है। परन्तु जो एक सामान्य बात है वह है सरकार की उदासीनता तथा उसकी अयोग्यता। सरकार लोकतन्त्र के नाम पर गोली चलाती है, अत्याचार करती है और लाठी चार्ज भी करती रहती है।

सरकार तथा विपक्ष दोनों की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाये जा रहे हैं। इस बात को आरम्भ करने के लिये गृह मंत्री स्वयं जिम्मेदार हैं। वास्तविक बात तो यह है कि जनता की सहायता के बिना विपक्षी दल आन्दोलन चला ही नहीं सकते। यदि जनता उनका समर्थन कर रही है, तो इसका अर्थ यह है कि बुनियादी तौर से कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य है।

अतः, मेरा सुझाव है कि हमें चर्चा से कोई भी लाभ नहीं होगा, यदि आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। वर्तमान आन्दोलन का मुख्य कारण तो यह है कि सरकार और जनता के बीच कोई सम्पर्क नहीं है। भ्रष्टाचार, मूल्य वृद्धि खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी, प्रशासनिक विलम्ब और बहुत अधिक बेरोजगारी है।

गुजरात के छात्रों ने विद्रोह किया और यही कुछ बिहार में भी हुआ। लोगों द्वारा किये गये इन विद्रोहों से विपक्ष तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के लिये शक्तिशाली सबक तथा चेतावनियां हैं कि यदि चुने गये प्रतिनिधि ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं करते हैं, तो वही जनता उन्हें सहन नहीं करेगी जिसने उन्हें चुना था।

यदि सरकार लोकतांत्रिक ढंग से, प्रभावकारी ढंग से समय पर कार्यवाही नहीं करती, तो सावधानी पूर्वक घोषित और विकसित हमारा लोकतन्त्र ढह जायेगा। यह सरकार केवल शाब्दिक समाजवाद में विश्वास करती है उसे कार्यरूप देने में नहीं। मैं सरकार का ध्यान इस मूल बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि वह लोकतांत्रिक परम्पराओं को बनाये रखने के लिये कार्यवाही करे ताकि इस प्रकार की स्थिति से बचा जा सके।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : हम गृह मंत्री के कृतज्ञ है कि वे यथाशीघ्र पटना गये तथा उन्होंने वहां की स्थिति का मूल्यांकन किया तथा इसके पश्चात् इस सभा में वक्तव्य भी दिया।

हम इस समय बिहार में व्याप्त गम्भीर स्थिति के बारे में पूरी तरह सचेत हैं। जो कुछ बिहार में हो रहा है, उससे प्रत्येक सही बात सोचने वाले नागरिक की आत्मा को आघात पहुंचा है, क्योंकि वहां जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है। इस के लिये कौन जिम्मेदार है। मैं इस बात समझ सकता हूं कि विरोधी दल उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के विधान सभा के हुये चुनावों में हार जाने के पश्चात् अपने आप को सन्तुष्ट करना चाहते थे। किन्तु उनके द्वारा हिंसा की कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। जनता को अधिकार है कि वह अपने भविष्य का निर्णय निर्वाचन के द्वारा करे न कि गोलियों के द्वारा। इन चुनावों में विपक्षी दल हार गये।चुनाव की लड़ाई में पराजित होने पर संयुक्त समाजवादी दल, जनसंघ और कांग्रेस (संगठन) जैसे दल आनन्द मार्गियों से साठ गांठ करके सरकारी भवनों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों रेलवे लाइनों के प्रति अपनी हिंसा को प्रदर्शित कर रहे हैं। इन राजनीतिक दलों ने लोगों को लूटपाट आगजनी आदि के लिये उकसाया है। इस से 25 के लगभग जानें गई हैं। लूटपाट और आगजनी करने वाले लोगों को कठोर दंड दिया जाना चाहिये।

श्री मधु लिमये ने छात्रों की शिकायतों को दूर करने की आड़ में हिंसा का समर्थन किया है। श्री बाजपेयी जी ने पटना में 'सर्च लाइट' भवन पर हुये आक्रमण की निन्दा की है, दूसरी ओर उनके दल का पटना में हुई हिंसा से सम्बन्ध रहा है। वह जहां तक एक स्थान पर हिंसा का समर्थन करते है, वहां वह दूसरे स्थान पर उसी बात की निन्दा कैसे कर सकते हैं? अतः, वे भविष्य में जो बात भी करें, उस में सावधानी बरतनी चाहिये।

मुझे इस बात से दुख हुआ है कि राजनीतिक दल हिंसा के इस प्रकार के कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। जो कोई भी हिंसा करता है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्ध क्यों न हो। मैं हिंसा करने वाले समाज विरोधी तत्वों को चेतावनी देना चाहता हूं। यदि उन्होंने बिहार में छोटा नागपुर तथा संथाल परगना क्षेत्रों में आने का प्रयास किया, तो हम आदिवासी उनका पूरी तरह सामना करेंगे। मैं गृह मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि हिंसा करने वालों को निवारक दंड दिया जाना चाहिये। विभिन्न दलों तथा व्यक्तियों द्वारा की गई हिंसा का मूल्यांकन करने के लिये एक जांच समिति का गठन किया जाना चाहिये। इस प्रकार की कार्यवाहियां करने वाले राजनीतिक दलों को भी इस सभा में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये।

Shri Tulmohan Ram (Araria): Whatever has happened in Bihar is not a sudden incident. The people, who have been defeated in the elections, want to resort to violence. They cry for democracy, but indulge in acts of violence. It is true that people are facing the problems like rise in prices, unemployment etc., but the Opposition parties are not explaining to the people that the financial balance has been deteriorated to some extent due to Bangla Desh liberation and due to war with Pakistan. The people are not behind these acts of violence. Anand Margis and R.S.S. are behind the trouble in Bihar.

I would ask the Home Minister that he should go into the demands of the students and the people and accept them. Efforts should be made to solve the problems of the people on war-footing. When acts of violence are committed by a person, it becomes necessary to resort to firing to same the democracy.... *Interruptions*.. .I want to tell the Home Minister, that in these incidents only a single party is not involved, but many political parties which have been defeated in the elections, have been indulging in these incidents... *Interruptions*. The opposition parties have got 210 seats by fair means but the congress has won 215 seats by unfair means? These parties are demanding for the dismissal of Bahuguna Ministry in Uttar Pradesh.

I would request the Home Minister to take stern measures and to enforce law and order. The elements, which want to create chaos and anarchy in the country should be dealt with severely.

Shri Ram Deo Singh (Maharajganj) : The incidents happened in Bihar on 18th are very shocking and distressing. We should go into the background of these happenings. An inquiry should he held to find out as to who was behind these incidents.

The people in Bihar are in very difficult situation. They are not getting foodgrains and other basic necessities of life. The young people are unable to get employment. Due to all these difficulties the people have become angry. The Government has completely failed to remove the difficulties of the people and to provide them with the basic necessities of life.

I want to know who is responsible for these incidents. I feel that the Government is responsible for this situation or those persons are responsible for the same who are agitating for getting Justice.

Shri Bhola Raut (Bagaha): I would confine my remarks regarding Betiah only. It has been proved that the incidents in Bihar are politically motivated. The political parties had hatched a conspiracy which has created the present situation in Bihar. The R.S.S. workers, Anand Margis and C.P.M. workers are responsible for creating trouble in Betiah where there is no shortage of foodgrains, which are available in the open market.

It is true that the people are facing problems like rise in prices. When these Opposition parties did not succeed to mislead the people, they hatched a conspiracy and they indulged in arson activities. Organisations like Anand Margis and R.S.S. should be banned so that the life and property of the public may be protected.

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : When these political parties could not win the elections in U.P. and Orissa, they formulated a scheme to have a peaceful demonstration on the 18th and under the cover of this demonstration they wanted to create trouble. Anand Margis and Jan Sangh people had burnt the offices of 'Search light', Hotel and Railway canteen.

The parties like Jan Sangh and Congress (O) hatched an conspiracy to create trouble Bihar.

I would request the Chief Minister of Bihar to accept the demands of the students immediately as their demands are justified.

I would ask the Home Minister to ban R.S.S., Jan Sangh and Anand Marg.

Shri Ramauatar Shastri (Patna) : I would condemn the incidents happened in Bihar on 18th March.

Our collegues of Jan Sangh have alleged that the C.P.I. was behind the incident of burning the office of 'Search light'. I want to tell that C.P.I. had nothing to do with the burning of the office of the 'Search light' and they had not even participated in the procession of 18th March. When C.P.I. was not in the procession, how they could burn the office of 'Search light' ? It is clear that some collegues, who are sitting in the House and Anand Margis were behind this incident... *(Interruptions)*. The Bihar Chief Minister has now said that Jan Sangh, R.S.S. and Anand Marg were responsible for creating the present trouble in Bihar and they were behind the incidents of loot and arson.

Shri Chiranjib Jha (Saharra) : The happenings in Bihar are distressing and shocking. The Opposition parties are exploiting the students to create trouble. The students wanted to put forward their demands peacefully, but these opposition parties, who have been defeated in the elections, wanted to create trouble and lawlessness. The fascist elements have resorted to violence and are responsible for creating the present situation. The leaders of the Opposition parties are always speak against Shri L.N. Mishra. They are doing this as they could not win the elections... *(Interruptions)*.

They are in the habit of inciting both the parties *(Interruptions)*

'Search light' and 'Pradip' had played a good role during the indepence struggle. It is really had that the offices of those newspapers has been destroyed by Jan Sangh workers .... *(Interruptions)*.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur): The Opposition had been defeated in the recent Madhubani election. After this trouble was created and one innocent person was called on the railway station of Samastipur on 27th February.. *(Interruptions)*. I want to warn the students that the Opposition parties are misleading them and utilising them for their own party purposes I would appeal to them to beware of the evil designs of these opposition parties. I hope that the students of this country would also do good work like the students of South East Asia and Indonesia. The students here had earned a good name during the great struggle of 1942.

Shri Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur): It has been conclusively proved that the trouble in Bihar was created by the Opposition parties. No such trouble was created in Jamshedpur as they had got no influence there.

It cannot be said that Bihar would become another Gujarat because the conditiont in Bihar are totally different. The state Government had conceded all the demands of students although there was some delay in implementation and this was exploited by the Opposition parties. Instead of asking the Gafoor Ministry to resign, these parties should extend their cooperation to it.

श्री समर गुह (कन्टाई) : कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैं भी उकसाने वालों और षडयंत्र करने वालों में से एक हूं और मैं 16 तारीख को पटना गया था कि लोगों को उकसा सकूं और उसी के परिणामस्वरूप 18 तारीख को सामूहिक रूप से गड़बड़ हुई। मैं वहां इस उद्देश्य से नहीं गया था। मुझे होने वाले प्रदर्शन के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था।

वास्तविक बात तो यह है कि बिहार से कुछ लोग जिनमें आनन्दमार्ग वाले भी थे, मेरे से मिले थे और बताया था कि श्री आनन्द मूर्ति 300 दिन से अधिक दिनों से आंशिक अनशन पर हैं। वह इस बात के विरोध में अनशन कर रहे थे कि उन्हें दिसम्बर, 1972 से मिल रही कुछ सुविधाओं को वापस ले लिया गया है। संयोगवश श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी विमान से गया जा रहे थे। मैं ने श्री वाजपेयी जी को अपने साथ जाने के लिये मनाया। मैं, श्री प्रसन्न भाई मेहता और श्री वाजपेयी वहां गये थे। श्री श्याम लाल यादव हमारे साथ नहीं थे। बाद में वह वहां गये थे . . . **(व्यवधान)**

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यदि मैं वहां होता, तो मैं भी वहां गया होता।

श्री समर गुह : मैं वहां गया। मैं तब तक एक अपराधी के अधिकारों तथा प्राधिकारों की रक्षा करना अपना अधिकार समझता हूं जब तक कि वह अपराधी दोषी प्रमाणित नहीं हो जाता... (**व्यवधान**)

उसके पश्चात् मैं राज्यपाल से मिला और उनसे काफी समय तक बातचीत की। मैं मुख्य मंत्री तथा मुख्य सचिव से भी मिलना चाहता था परन्तु वे बाहर गये हुये थे। मैंने एक पत्रकार सम्मेलन में भाषण दिया जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि आनन्द मार्ग के आन्दोलन के साथ मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है। परन्तु कानून के अनुसार भारत के एक नागरिक के नाते एक अपराधी को, जिस के विरुद्ध मुकदमें की सुनवाई हो रही है, भी कुछ लोकतन्त्री अधिकार प्राप्त हैं।...(व्यवधान)

श्री पीलू मोदी : यह स्वाभाविक है कि सत्तारूढ़ दल से सम्बन्धित सदस्य लोकतांत्रिक अधिकारों का उपहास करेंगे।

श्री समर गुह : यदि मैं उकसाने तथा षड्यंत्र करने वालों में से हूं तो मुझे गिरफ्तार करके जांच क्यों नहीं कराई जाती? क्या आप में ऐसा करने का साहस है?....(व्यवधान) अपने गृह मंत्री से मुझे गिरफ्तार करने के लिये कहिये।

जब संवैधानिक असन्तुलन होता है तो इस प्रकार की दुर्घटनायें हो ही जाती हैं। हमारे देश के राजनैतिक तन्त्र राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक असन्तुलन विद्यमान हैं। इन हिंसक घटनाओं का विस्फोट गुजरात से शुरू हुआ और इसके बाद दूसरे चरण के रूप में बिहार में हो रहा है। इसके कारणों का पता लगाने के स्थान पर सरकार बलि के बकरों की तलाश कर रही है। यदि सत्तारूढ़ दल यही करता रहा तो देश भर में ऐसी सामूहिक क्रांति होगी जिसका शिकार वह स्वयं ही बनेगा।

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : सभा में मैं अपनी राय व्यक्त कर रहा हूं। श्री श्याम नन्दन मिश्र ने कठोर शब्दों में लगभग धमकी देते हुये कहा है कि गत कुछ दिनों में जो कुछ बिहार में हुआ है, वह अन्यत्र भी होगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैंने तो यह कहा था कि आप जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं आप इस आग को फैलाने के लिये मार्ग बता रहे हैं। मैंने यह भी कहा था कि यदि आप के नैतिक प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, तो बहुमत के होते भी आप शासन नहीं कर सकते।

श्री उमाशंकर दीक्षित : श्री श्यामनन्दन मिश्र ने यह कहा था कि यदि यह बहुमत की बात है तो यह वास्तविक लोकतन्त्र नहीं है अथवा यह उचित संसदीय लोकतन्त्र नहीं है। यहां मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैंने यह नहीं कहा था। मैंने तो यह कहा था कि लोकतन्त्र एक ऐसा शासन नहीं है जिसे केवल मात्र बहुमत द्वारा चलाया जा सके।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि देश में मतैक्य से शासन होना चाहिये। यह ठीक है कि लोकतन्त्र में ऐसे अवसर आते हैं जब सत्तारूढ़ दल के नेता द्वारा दूसरों से परामर्श किया जाता है। वास्तव में हमारे देश में किसी अन्य लोकतन्त्र देश की अपेक्षा विपक्ष से अधिक अवसरों पर विचार विमर्श किया जाता है।

श्री पीलूं मोदी (गौधरा) : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के संकट के समय सर्व-दलीय सरकार होनी चाहिए ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं उस के पक्ष में नहीं हूं । ब्रिटिश लोकतन्त्र को विश्व में लोकतन्त्र का जनक कहा जाता है । हमारी बहुत सी प्रतिक्रियाओं का आधार भी वहां के लोकतन्त्र का कार्यकरण है । दो बार वहां पर एक दो सदस्य के बहुमत से लेबर पार्टी ने अपनी सरकार बनाई । हमारा तो यहां पर स्पष्ट बहुमत है और फिर भी हमने विपक्ष के सदस्यों से विचार-विमर्श किया है ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : श्री केदार पांडे को हटाते समय आपने विपक्ष से कोई विचार विमर्श नहीं किया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । यदि इसी प्रकार व्यवधान उपस्थित किये गये तो मैं समझ लूंगा कि आप मंत्री महोदय का उत्तर सुनने के इच्छुक नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगु सराय) : मेरे बोलते समय लगातार व्यवधान उपस्थित किये गये और अध्यक्षपीठ ने मेरी कोई सहायता नहीं की ।

श्री जगन्नाथराव जोशी : हर बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम क्यों लिया जाता है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हम इस समय बिहार की स्थिति पर विचार कर रहे हैं । हम उस बारे में लगाये गये आरोपों के उत्तर सुनना चाहते हैं ।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय शायद भूल गये हैं कि हम दो सौ वर्षों तक अंग्रेजी शासन के गुलाम थे ।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : माननीय सदस्य का प्रजातन्त्र में कोई विश्वास नहीं है और वह हमें प्रजातन्त्र के कार्यकरण के बारे में बताना चाहते हैं ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I rise on a point of order. All the members coming here take oath of the constitution. It is, therefore not fair on the part of the Home Minister to say that any hon. Member has no faith in Democracy.

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह कहा गया है कि बिहार की इस स्थिति के कुछ मौलिक कारण हैं । विद्यार्थियों के रोष और अन्य लोगों के असन्तोष के यही कारण हैं । यह भी कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल स्थिति की ओर पर्याप्त ध्यान न देकर विपक्षी दलों पर दोष लगा रहा है । वास्तव में इस बात से किसी ने इन्कार नहीं किया है कि विभिन्न वस्तुओं की कमी है और मूल्य वृद्धि हुई है । वित्त मंत्री ने अनेक बार स्थिति की व्याख्या की है । खाद्य मंत्री ने भी स्थिति का स्पष्टीकरण किया है ।

सरकारी पक्ष की ओर से दो बातें बार-बार कही गई हैं । पहली तो यह कि पाकिस्तान-भारत युद्ध और स्वतन्त्र बंगला देश के उदय के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृति बहुत अधिक बढ़ी है । दूसरे, लगातार दो वर्ष से अति पूर्व सूखे का भी अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है । विज्ञान अभी वर्षा पर नियंत्रण करने में सफल नहीं हुआ है ।

इन दोनों मौलिक कारणों से वस्तुओं की कमियां उत्पन्न हुई हैं। पिछले वर्ष डेढ़ करोड़ टन खाद्यान्न की कमी थी। इतनी अधिक कमी हमारे देश के इतिहास में कभी भी नहीं हुई। इस कारण मूल्य में वृद्धि हुई है। अमरीका विश्व में गेहूं का सब से बड़ा उत्पादक है परन्तु वहां पर भी पिछले 6 मास में गेहूं का मूल्य तीन गुना बढ़ा है इसी प्रकार कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I rise on a point of order. Instead of telling us something about less supply of food grains to Bihar, the Home Minister is bringing in so many irrelevant things ?

सभापति महोदय : अपनी बात की व्याख्या करने के लिये मंत्री महोदय किन्हीं बातों का उल्लेख कर सकते हैं। अतः मेरे मत के अनुसार इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री उमाशंकर दीक्षित : इंजीनियरिंग फर्में विश्वभर में अपनी वस्तुओं के मूल्य प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से बढ़ाती रही है। अतः यह सामान्य प्रवृति रही है। परन्तु गत डेढ़ वर्षों में और विशेषरूप से गत 6 मास में विश्व में इस बारे में जो कुछ हुआ है वह अभूतपूर्व है। पश्चिम से आयात की गई हर वस्तु के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई और उसके परिणामस्वरूप यहां के सामान्य मूल्य स्तर में भी वृद्धि हुई। इसी के कारण सब ओर असन्तोष है और लोगों में रोष है। यह सब कारण हमारे नियंत्रण से बाहर है।

यह कहा गया है कि बिहार को कम मात्रा में खाद्यान्न की सप्लाई की गई। वास्तव में यह केवल बिहार के साथ ही नहीं हुआ। यह कटौती नवम्बर मास से जनवरी तक नई फसल के आने के समय की गई। इसके साथ ही सप्लाई कमी भी एक समान नहीं रही है। फरवरी और मार्च मास में सप्लाई बढ़ा दी गई। यह जो विस्फोट हुआ वह उस समय हुआ जब सप्लाई बढ़ाई जा चुकी थी। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिये। यह आंकड़े मुझे खाद्य मन्त्रालय के उत्तरदायी अधिकारियों से प्राप्त हुए हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और आप मुझे उसे उठाने से नहीं रोक सकते।

श्री पीलू मोदी : हर एक सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है और इस अधिकार की उचितता अथवा अनुचितता पर अध्यक्ष, सभापति अथवा कोई अन्य कुछ नहीं कह सकता।

सभापति महोदय : मैं यह बताना चाहूंगा कि अध्यक्षपीठ को किसी ऐसे व्यवस्था के प्रश्न को उठाये जाने से रोकने का अधिकार है जिसका उद्देश्य केवल व्यवधान पैदा करना हो।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने से पूर्व आप यह कैसे कह सकते हैं कि वह क्या है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने जो कहा है कि यह आंकड़े उत्तरदायी अधिकारियों से प्राप्त हुए हैं तो वह यह स्पष्ट करें कि क्या वे उसके बारे में पूर्ण उत्तरदायित्व लेते हैं कि ये आंकड़े ठीक हैं।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । यदि मंत्री महोदय ने कोई गलत बात कही है तो नियमानुसार उस मामले को उठाया जा सकता है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : बिहार की स्थिति के बारे में मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि विपक्षी दलों ने इसे सत्तारूढ़ दल पर आक्रमण का स्वर्ण अवसर मान लिया है । मूल्य बढ़ रहे हैं, कमियां हैं, लोगों में असन्तोष है, रोष है । इस अवसर का राजनैतिक लाभ उठाया जा रहा है । यह एक बहुत ही मूर्खता पूर्ण रवैया है । कोई भी देशभक्त और जनता का हित चाहने वाला व्यक्ति मूल्यों को कम करने, कमियों की स्थिति को सुधारने आदि के लिये हिंसात्मक आन्दोलन प्रारम्भ नहीं करेगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : विद्यार्थी कार्यवाही समिति ने हिंसा की निन्दा की है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : बिहार में अनेक विद्यार्थी कार्यवाही समितियां हैं और हर राजनैतिक दल प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी समिति से सम्बद्ध है । इस प्रकार राजनैतिक दल अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिये विद्यार्थी समितियों का उपयोग कर रहे हैं ।

Shri Shyamnandan Mishra: We have decided to take recourse to 'Satyagraha, against the ruling party. We should pursue the path shown by Mahatma Gandhi.

श्री उमाशंकर दीक्षित : यही तो मैं कह रहा हूं कि वे यह करना चाहते हैं । संगठन कांग्रेस के प्रचार मंत्री श्री विशिष्ठ नारायण सिंह विद्यार्थियों की संचालन समिति के सदस्य हैं । संगठन कांग्रेस के अन्य समर्थक श्री मिथलेश कुमार साहा, अमरेंद्र प्रसाद भी इस ओर बहुत सक्रिय हैं । वह दुकानदारों से चन्दा इकट्ठा करते रहे हैं । *

Shri Shyamnandan Mishra: They sell Licences and permits to collect money. They have the power to do so. But we do not have any facility.

श्री विक्रम महाजन : श्री मिश्र ने गैर-संसदीय भाषा का प्रयोग किया है । उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाला जाये ।

Shri Madhu Limaye: I rise on a point of order. You should inform us as to what has been explunged by you.

सभापति महोदय : शोर के कारण मैं सुन नहीं सका, इस कारण कुछ भी वृतान्त में नहीं लिया गया ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने जो कुछ भी कहा है, उसे कार्यवाही वृत्तांत में लिया जायेगा ।

सभापति महोदय : मैंने विनिर्णय दे दिया है कि यह कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जायेगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं फिर यह कहता हूं कि ····· *

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जायेगा ।

श्री पीलू मोदी : मैं गृह मंत्री का यह कहना समझ सकता हूं कि*

सभापति महोदय : क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ? यदि नहीं तो मैं आप को अनुमति नहीं दूंगा । (**अन्तर्बाधाएं**) ।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशनुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

Expunged as ordered by the chair.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री विक्रम महाजन : पहले वे अपने शब्द वापस लें तब उन्हें अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि शोर के कारण मैं जो कुछ नहीं सुन सका वह कार्यवाही वृत्तांत में नहीं लिया गया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ..... (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभा में श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा गृह मंत्री पर कुछ गम्भीर आक्षेप लगाये गये हैं ।**.... (**व्यवधान**) ।

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : नहीं सुना इसलिये नहीं जायेगा । अध्यक्षपीठ को नई परम्परा नहीं स्थापित करनी चाहिये ।

सभापति महोदय : संसदीय अथवा गैर-संसदीय बात का निर्णय तभी हो सकता है जब अध्यक्षपीठ को सारी बात सुनाई दे ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप बाद में कार्यवाही वृत्तांत देख कर किन्हीं शब्दों के संसदीय अथवा गैर-संसदीय होने का फैसला कर सकते हैं । इस प्रकार की नई परम्परा स्थापित करना उचित नहीं। इस प्रकार कार्यवाही वृत्तांत से किसी की कही बातों को निकाल देना उचित नहीं । मुझे बताया जाये कि आप को मेरे किस शब्द पर आपत्ति है ? मंत्री महोदय ने पहले जो कुछ कहा उस पर आपने कोई आपत्ति नहीं की। **

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैंने वह बात नहीं कही।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने बाद में कहा कि.... **

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 380 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि श्री मिश्र ने कौन से आपत्तिजनक व गैर-ससंदीय शब्द का प्रयोग किया है । हमारे भी यहां कुछ अधिकार हैं और प्रक्रिया के भी कुछ नियम हैं । अध्यक्षपीठ भी नियमों से बाध्य है ।

सभापति महोदय : नियमों के अनुसार अध्यक्षपीठ का विनिर्णय अन्तिम है । मैं नियम 380 के अधीन यह विनिर्णय दे रहा हूं कि माननीय सदस्य के वक्तव्य को अपमानजनक होने के कारण में कार्यवाही वृतान्त से निकाल रहा हूं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : मेरे विनिर्णय पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : और मेरे बारे में उनकी टिप्पणियों का क्या होगा ।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।
Expunged as ordered by the Chair.

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैंनें "सदस्य" शब्द नहीं "समर्थक" शब्द का प्रयोग किया है ।

सभापति महोदय : मैं यह बात कार्यवाही वृतान्त से देखूंगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरे बारे में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए यह भेदभाव उचित नहीं ।

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त से देखूंगा यदि किसी ने भी कोई अपमानजनक बात कही होगी तो उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा । (**व्यवधान**)

Shri Jagannath Rao Joshi : The charge levelled by the Home Minister is more serious.

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्होने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। (**व्यवधान**) एक समय इतने सदस्य बोल रहे हैं अतः यह सब कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा ।

कुछ माननीय सदस्य ***

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैंने कांग्रेस संगठन दल के किसी सदस्य की ओर निर्देश नहीं किया । वास्तव में इस प्रकार की बाते 'गुजराती नाटक' "कम्पनी रेडियोग्राम" में खलनायक की हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : माननीय मंत्री ने अभी जो टिप्पणी की है उसकी आशा ऐसे अनुभवी व्यक्ति से नहीं की जा सकती । गुजरात के हाल ही के संघर्ष की भूमिका में यह टिप्पणी अपमानजनक व निन्दाजनक है । आप मंत्री महोदय से इसे वापस लेने को कहें अन्यथा हमें सभा भवन के बाहर चले जाना पड़ेगा ।

श्री विक्रम महाजन : मंत्री महोदय ने कोई अपमानजनक व निदाजनक बात नहीं की है । उन्होने गुजराती ड्रामे की ओर निर्देश किया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होने उगुंली से मेरी ओर इशारा किया था । अतः नियम 380 के अन्तर्गत इसे कार्यवाही बृतान्त से निकाल दिया जाये । (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यदि इससे सदस्य की भावनाओं को चोट पहुची है तो मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखेंगे ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मेरा मतलब किसी सदस्य की भावनाओं पर चोट करना नहीं था।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री ने श्री ज्योतिर्मय बसु के विरुद्ध कुछ शब्दों का प्रयोग किया तो मामला उन पर ही छोड़ दिया गया परन्तु मेरे मामले में अध्यक्ष-पीठ ने स्वयं ही निर्णय करके उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है। क्या यह उचित और पक्षपात रहित ढंग है ? मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह भेदभाव पूर्ण व्यवहार है ।

सभापति महोदय : श्री श्यामनन्दन मिश्र का यह आरोप बहुत ही दुःखपूर्ण है । अध्यक्षपीठ द्वारा कभी भी भेदभाव नहीं किया गया । मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका आशय किसी पर चोट करना नहीं था ।

***कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

श्री उमाशंकर दीक्षित : मुझे दुःख है कि यह सब अनावश्यक बातें उठी हैं। "सर्चलाइट" पर आक्रमण के मामले में कहा गया कि है इस पर ही विशिष्ट रूप से आक्रमण क्यों किया गया । इसी प्रकार एक होटल पर आक्रमण किया गया परन्तु उसके साथ के ही एक होटल को छोड़ दिया गया। एक कार्यालय पर आक्रमण किया गया परन्तु दूसरे को छोड़ दिया गया । मैं किसी दल को इससे सम्बद्ध नहीं कर रहा, परन्तु फिर भी मुझे उत्तरदायी स्तरों से मालूम हुआ है कि चन्दा मांगा गया और जिसने दे दिया ठीक है, दूसरों का यह अन्जाम हुआ है । एक मामले में मुझे यह भी बताया गया है कि 1000 रुपये चन्दा देने वाले के साथ भी यही हुआ है । अतः यदि चन्दे का ही सवाल होता तो यह सब कुछ न होता ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[(MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

इसी प्रकार की बातें "सर्चलाइट" के बारे में कही गई ।यह कोई भी नहीं कह सकता कि सत्तारूढ़ कांग्रेस दल का भीड़ के कुछ अंश पर नियंत्रण था और उनमें से कुछ लोगों को नगर के विभिन्न भागों में जाने को कहा गया । यह तो बहुत ही विचित्र बात है ।मैं पूर्ण उत्तरदायित्व से इसका विरोध करता हूं। मुख्य मंत्री द्वारा किसी व्यक्ति पर भी गोली न चलाने का आदेश देना बहुत ही अच्छी बात है।

इन्होंने जो दूसरी बात कही वह बिल्कुल झूठ है।अब इस मामले में दूसरा प्रश्न यह है कि मुख्य मंत्री ने पुलिस के आई०जी० को यह आदेश जारी किये कि गोली न चलाई जाये । इसी बीच जब डी०आई०जी० के घर पर हमला हुआ तथा विधान सभा के सचिव के घर को जलाया जा रहा था तो अधिकारियों को उचित आदेश मांगने पड़े...

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं आपसे इसे समझने का अनुरोध कर रहा हूं।

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : Why no assistance was provided to 'Search light' and 'Pradeep' ? (*Interruptions*).

श्री उमाशंकर दीक्षित : उन्होंने 'इन्डियन नेशन' तथा 'आर्यवर्त' पर भी आक्रमण किया। 'इन्डियन नेशन' से मुझे रात नौ बजे टैलीफोन मिला और कहा कि वे खतरे में हैं तथा उनकी रक्षा की जाये । इस बारे में प्रधान मंत्री के घर पर भी टेलीफोन आया ।मैंने सम्बन्धित अधिकारियों को टेलीफोन किया। उन्होंने कहा कि यथासंभव प्रबन्ध किये गये हैं। इससे पहले कई स्थानों पर लूट और आगजनी की घटनाएं हो चुकी थीं और पुलिस के लिये इतनी जल्दी वहां पहुंचना संभव नहीं था ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : 'सर्चलाइट' कार्यालय को जलाने से सारे देशवासियों को दुःख हुआ है । उनकी रक्षा क्यों नहीं की गई, इसके लिये कोई कारण नहीं बताया गया है।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं इससे बहुत दुःखी हूं । मैं जयप्रकाश जी से मिलने गया था । मैं अस्पताल गया और मैं अन्य स्थान भी देखना चाहता था ..... (**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye (Banka): Why protection was not provided to the 'Search light' ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : 'सर्चलाइट' रास्ते में पड़ता है और भीड़ उधर गयी और उसके बाद 'इन्डियन नेशन' की तरफ गयी .... (व्यवधान) ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Nobody was provided protection at Patna.

Shri G. P. Yadav (Katihar) : Mr. Deputy Speaker, it is not possible to carry on this way . . . . (*Interruptions*)

श्री उमाशंकर दीक्षित : पर्याप्त प्रयत्न किये गये हैं और अब पटना की स्थिति नियंत्रण में है। (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों से यह अपील करता हूं कि एक-एक करके प्रश्न पूछें ताकि मैं भी समझ सकूं और मंत्री जी भी समझ सकें। इन्हें आप लोग भाषण देने दें। आप बाद में हस्तक्षेप कर सकते हैं। हमें सुव्यवस्थित ढंग से काम करना चाहिये।

श्री उमाशंकर दीक्षित : अनेक राजनैतिक दलों के विद्यार्थी समितियों से सम्बन्धित थे। विद्यार्थियों ने मांग की थी कि छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि की जाये, राशन की मात्रा में वृद्धि की जाये, उन्हें कम मूल्यों पर पुस्तकें दी जायें और उनके रहन-सहन के लिये उचित व्यवस्था की जाये।

मुख्य मंत्री ने विद्यार्थी नेताओं से बातचीत की तथा हर मांग के बारे में स्पष्ट आश्वासन दिये। इसके बावजूद भी कुछ राजनैतिक कारणों से मामला आगे बढ़ा।

विद्यार्थियों की रोजगार प्रधान शिक्षा तथा मूल्य वृद्धि को कम किया जाये। उनकी ये दो मांगें थीं। लेकिन इन्हें तुरन्त स्वीकार करना तथा लागू करना संभव नहीं था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सदन के सभी वर्गों से अनुरोध करता हूं कि वे वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिये अपना सहयोग दें। हमने कठिन स्थिति पर काबू पा लिया है। हमने लगभग 90 से 95 लाख लोगों को हजारों सहायता कार्यों पर रोजगार देकर उन्हें विद्यमान ऊंचे मूल्यों पर खाद्यान्न खरीदने योग्य बनाया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। (**व्यवधान**)

मिश्र जी ने अहिंसा और सच्चाई के बारे जो कुछ कहा, उसे मैं मानता हूं। लेकिन शांतिपूर्ण सत्याग्रह भी यदि हिंसापूर्ण बन जाये तो इसे शांतिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। यह सत्याग्रह हिंसा की ओर बढ़ रहा है।

कुछ लड़के और लड़कियों द्वारा इंजन ड्राइवर को धकेलना तथा चढ़कर बटन दबाना तथा उसका यात्री गाड़ी से टकराना आदि आदि बातों से कौन खुश हो सकता है। जो लोग सच्चाई तथा अहिंसा की बातें करते हैं, उन्हें उपरोक्त बातों की ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री नरेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति ने 7 आर०टी० बसों का अपहरण किया था। मधुबनी के चुनाव में वे श्री ललित नारायण मिश्र के चुनाव के अध्यक्ष थे। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह तो मुझे एक मन गढ़ंत कहानी लगती है। (**व्यवधान**)

17 मार्च को पटना कालेज के विद्यार्थियों ने छः बसों का अपहरण किया और इन बसों को पटना कालेज कैम्पस के अन्दर ले जाया गया।

18 मार्च को अपहरण की गयी इन बसों में विद्यार्थी विधान सभा की ओर आये । इन बसों का उपयोग ऐसे कार्यों के लिये किया गया । सरकार किसी प्रकार की अनियमितता तथा अनुचित कार्य को नहीं सह सकती । गांधी जी ने एक हिंसापूर्ण क्रांति का एक पूरा विकल्प दिया है ।(**व्यवधान**)

यह उचित नहीं कि बात तो अहिंसा की की जाये और काम अहिंसा पूर्ण किये जायें । अनेक प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं । कहा गया है कि बिहार की पुनरावृत्ति अन्य स्थानों पर भी होगी । इस प्रकार की बातों से न तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा और न ही अन्न समस्या हल होगी।

मैं अपने मित्र जयप्रकाश नारायण का बहुत आदर करता हूं । श्री जयप्रकाश नारायण ने इस हिंसा की निन्दा तो की है लेकिन .....

स्थिति बहुत विकट है । माननीय सदस्यों को इस पर विचार करना चाहिये । यदि यातायात तथा सामान्य जीवन को अस्तव्यस्त किया जाये तो हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा । लोग हम से इस प्रकार की सुरक्षा की आशा आवश्य रखते हैं।

माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि "सर्चलाइट" भवन की रक्षा हम ने क्यों नहीं की। (**व्यवधान**) । साम्यवादी दल के श्री भोगेन्द्र झा तथा श्री रामावतार शास्त्री दो विपरीत दिशाओं में सोचने लगे हैं और इसका कारण यही है । भिन्न विचार रखते हुए अब वे क्यों व्यवधान डाल रहे हैं (**व्यवधान**) ।

माननीय सदस्यों को इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिये । विपक्ष के माननीय सदस्यों को भी हिंसा और लूट की निन्दा करनी चाहिये ताकि शीघ्र ही स्थिति पर काबू पाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर पहले ही एक लम्बी चौड़ी चर्चा हो गयी है और मंत्री महोदय ने भी अपना भाषण दे दिया है । अब मैं थोड़े ही प्रश्नों की अनुमति दूंगा ।

माननीय सदस्य अब थोड़े ही प्रश्न पूछें ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मंत्री महोदय ने महात्मा गांधी के अहिंसा मार्ग की बात की है । हम भी अहिंसा और असत्य की उतनी ही निन्दा करते हैं जितनी सरकार करती है लेकिन असंख्य लोग मारे गये हैं और हमें सरकार के रवैये के विरुद्ध लड़ना है ।

मंत्री महोदय ने उस विधान सभा सदस्य का नाम क्यों नहीं लिया जो आगजनी के अपराध में गिरफ्तार हुये थे । 'सर्चलाईट' भवन की रक्षा के लिये पहले ही क्यों नहीं कदम उठाये गये थे ? 18 मार्च को भी 'सर्चलाइट' और 'प्रदीप' को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी । इसलिये कि यह समाचार पत्र सरकार की निन्दा करते थे ?

Shri Madhu Limaye (Banka) : This explosive situation developed due to allotment of only 25 percent foodgrains during the months of November, December and January. Figure given are incorrect.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मंत्री ने देखते ही गोली मारने संबंधी निर्णय को देखा है ? क्या उन्होंने विधान सभा भंग करने की मांग को सुना है ? श्री ललित नारायण मिश्र के विरुद्ध मधुबनी चुनाव के बारे में गंभीर आरोप लगाये गये हैं ? इन बातों की ओर किस प्रकार के कदम उठाये जाने का विचार है ?

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I want to know whether the Government would hold judicial enquiry into the incidents of arson and looting in several cities of Bihar and whether it would convene a meeting of leaders of opposition parties to discuss the situation so that peace could be restored in the state ?

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं पुछना चाहता हूं कि क्या उनको पटना जेल में आनन्द मार्गियों के अध्यक्ष के साथ बातचीत करने के लिये बाहर से आये चार दलों के बड़े नेताओं के बीच 16 तारीख को हुई बातचीत के बारे में कोई जानकारी है ? क्या कलकत्ता स्थित अमरीकी वाणिज्य दूतावास के कार्यालय का राजनीतिक अधिकारी पटना आया था और यदि हां तो वह किन व्यक्तियों से मिला था ? क्या केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो को इस बारे में कोई जानकारी है ? और क्या आगजनी तथा लूटपाट के साथ उसका कोई सम्बन्ध था ? क्या आगजनी और लूटपाट की घटनाओं के समय मुख्य मंत्री ने पुलिस के इन्स्पैक्टर जनरल को आदेश दिया था कि किसी पर भी गोली न चलायी जाये ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Sir, Is it a fact that firing took place inside the building of G.P.O. on the 18th instant ; if so, what are the reasons thereof and is it a fact that five persons of P&T Department were injured as a result thereof and one of them died on the same night? I would also like to know whether the students were called upon to launch a movement on the lines of 1942 through an editorial and publication of 'Pradeep' has been stopped as a result thereof ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : क्या मंत्री महोदय इस बात का पता लगायेगें कि क्या इन आरोपों में कुछ सच्चाई है कि इस षडयंत्र में कुछ विदेशी तत्वों का हाथ है ? दूसरी बात यह है कि विधान सभा के कर्मचारियों ने कुछ मंत्रियों को पीटा था । क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी ?

Shri R. S. Pandey (Rajnand village) : Sir, is it not a fact that the Governor has been empowered to address joint sitting of both the Houses ? Is it not a fact that an Address was prepared and the Governor was told that instead of addressing the joint session, he should stand at a particular point and address it ? Is it not a fact that Mr. Ghafoor had categorically told not to open fire and is it not a fact that he had given an assurance to the students that their demands would be discussed ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मैं किसी छात्र से नहीं मिल सका था, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय था । इस गड़बड़ के सम्बन्ध में कई व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया गया परन्तु जब तक तथ्यों का पता नही लगा लिया जाता तब तक हम उनका उल्लेख नहीं करते । आनन्द मार्ग का विशेष रूप से उल्लेख किया गया परन्तु जिस व्यक्ति को देखा गया था उसके नाम का पता नहीं लग सका । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, कांग्रेस संगठन और भारतीय साम्यवादी दल का भी नाम लिया गया था । जहां तक बिहार को अनाज कम दिये जाने का सम्बन्ध है, फरवरी और मार्च में अनाज की सप्लाई बढ़ा कर 25,000 और 30,000 टन कर दी गयी थी । यही मैंने कहा था। गुजरात के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था परन्तु वह इस संदर्भ में असंगत है । जहां तक विधान सभा के एक सदस्य की गिरफ्तारी का सम्बन्ध है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है । वहां पर अभी स्थिति अशांत है अतः जांच करने के बारे में कोई आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता । चार संसद सदस्यों के साथ हुई बातचीत के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether he is prepared to discuss the matter with leaders of the opposition parties ?

Shri Uma Shankar Dikshit : In case leaders of opposition parties are prepared to condemn the violence, then we shall be happy and discuss with them (*Interruptions*)

अमरीका के एक व्यक्ति श्री पीटर बरले के बारे में कहा गया है कि वह जब कभी किसी स्थान पर जाते हैं तो वहां कोई न कोई घटना अवश्य घटती है। यह संयोग की बात हो सकती है अथवा इसका कोई अन्य कारण हो सकता है । परन्तु मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है । पटना जी० पी० ओ० वाली घटना का भी मुझे कुछ पता नहीं । मैंने जिन लोगों के साथ बातचीत की थी उन्होने उसका कोई उल्लेख नहीं किया ।

विधान सभा में जो कुछ हुआ उसके बारे में पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर सकती । हमारे अध्यक्ष की तरह उस विधान सभा के अध्यक्ष ही उचित कार्यवाही कर सकते हैं ।

मुझे पता चला है कि श्री करपूरी ठाकुर ने विधान सभा के लिए अभिभाषण का मसौदा राज्यपाल को दिया था परन्तु राज्यपाल ने उसे पढ़ने से इन्कार कर दिया था । मुझे बताया गया कि उन्होंने उत्तजना पैदा करने वाला भाषण भी दिया था ।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 22 मार्च, 1974/1 चैत्र, 1895(शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 22nd March 1974/Chaitra 1, 1895 (Saka).

MGIPRRND—Sec. V Day—16 LSS/74—15-6-74—490.